खण्ड-313, अंक-10
गुरूवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(13 मार्च, 1975 ई0)

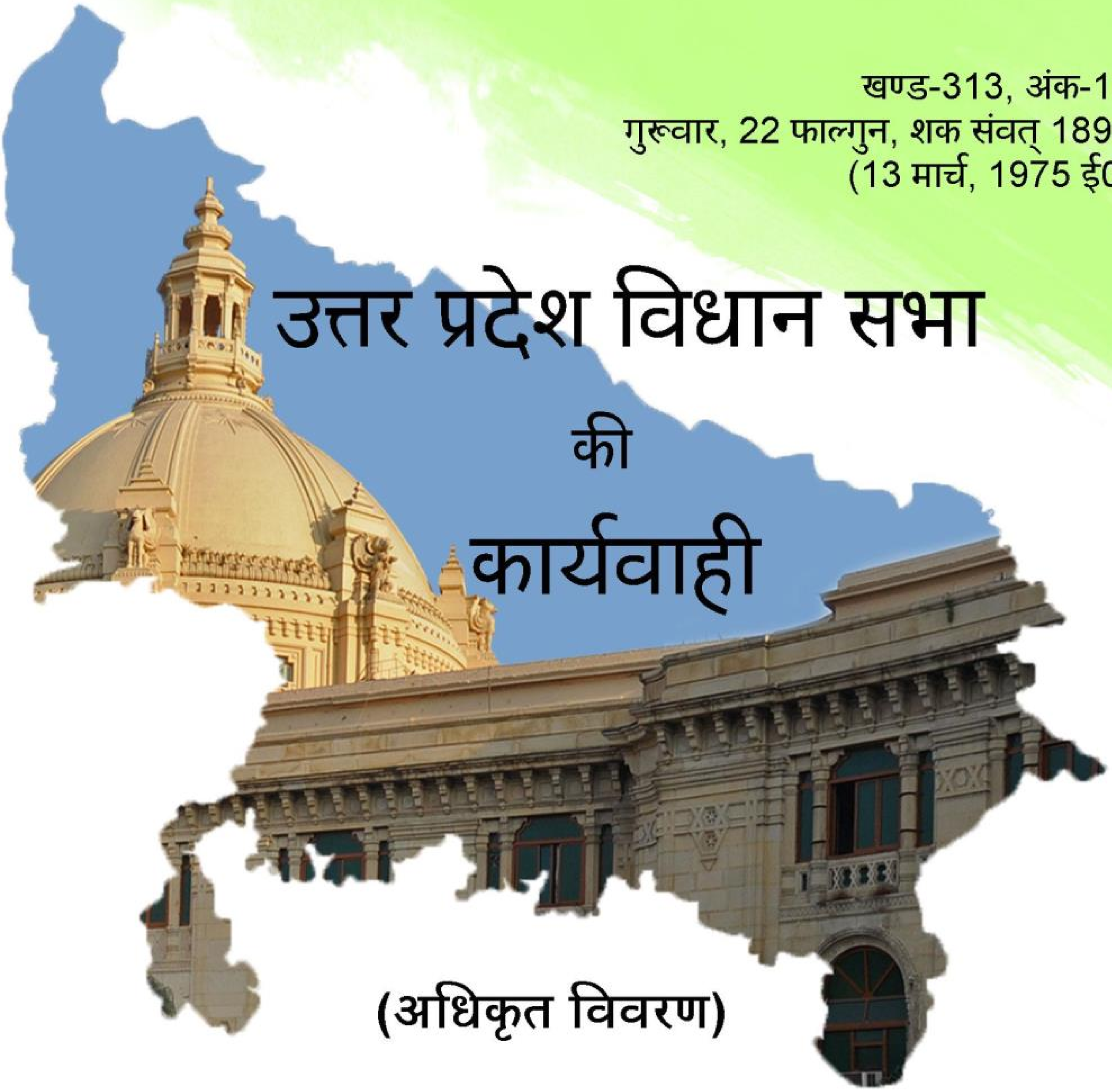

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 313 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक १३ मार्च, १९७५ की कार्यवाही का शुद्धि-पत्र

क्रम-सं०	पृष्ठ संख्या	विवरण
१	ग	नीचे से सातवीं पंक्ति के सामने लिखे अंक "११९०-२०९" के स्थान पर "११९०-१२०९" पढ़ा जाय।
२	१०८४	प्रारम्भ में उलटा छपा अंक "६८०१" के स्थान पर "१०८४" पढ़ा जाय।
३	१०८५	कालम १ में नीचे से चौथी पंक्ति में सदस्य का नाम "बनी प्रसाद वर्मा; श्री" के स्थान पर "बेनी प्रसाद वर्मा, श्री" पढ़ा जाय।
४	१०८५	कालम १ में नीचे से पांचवीं पंक्ति में सदस्य का नाम "बचन राम, श्री" के स्थान पर "बेचन राम, श्री" पढ़ा जाय।
५	१०९१	ऊपर से सातवीं पंक्ति में "को" और "के" के मध्य शब्द "पकने" के स्थान पर "पकड़ने" पढ़ा जाय।
६	१०९८	ऊपर से तीसरी पंक्ति में शब्द 'से' और 'जाय' के मध्य शब्द 'खेला' के स्थान पर शब्द "खोला" पढ़ा जाय।
७	१०९८	ऊपर से तीसरी पंक्ति में शब्द 'जाय' और 'तक' के मध्य शब्द "अब" के स्थान पर "जब" पढ़ा जाय।
८	१०९९	नीचे से ६ ठवीं लाइन में 'पर' और 'परिषद्' के मध्य शब्द 'विद्युत' के स्थान पर 'विद्वत' पढ़ा जाय।
९	१०९९	नीचे से पांचवीं पंक्ति में 'जायगा' और 'परिषद्' के मध्य शब्द 'विद्युत' के स्थान पर 'विद्वत' पढ़ा जाय।
१०	११०४	ऊपर कोष्ठक में दाहिनी तरफ लिखी हुई तिथि "१८ मार्च, १९७५ के स्थान पर "१३ मार्च, १९७५" पढ़ी जाय।
११	११०५	ऊपर से नीचे की ओर उट्ठाईवीं पंक्ति का प्रथम शब्द "गधा" के स्थान पर "गया" पढ़ा जाय।

क्रम-सं०	पृष्ठ संख्या	विवरण
१२	१११०	नीचे से द्वितीय पंक्ति में "सितम्बर," और शब्द "की" के मध्य अंक "१८७४" के स्थान पर "१९७४" पढ़ा जाय।
१३	१११६	ऊपर से उन्नीसवीं पंक्ति में शब्द "कारखाना" और "यूनियन" के मध्य शब्द "मजदूर" बढ़ा दिया जाय।
१४	१११९	तारांकित प्रश्न संख्या ३१ की चौथी पंक्ति में तिथि "४ अगस्त, १९७३" के स्थान पर "४ अगस्त, १९७४" पढ़ा जाय।
१५	११२०	ऊपर से पन्द्रहवीं पंक्ति में 'पृष्ठ' और 'पर' के मध्य "१२२७–१२२८" पढ़ा जाय।
१६	११२५	पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति में "पृष्ठ" और "पर" के मध्य "१२३" के स्थान पर "१२३०–१२३२" पढ़ा जाय।
१७	११७४	ऊपर से सोलहवीं पंक्ति में शब्द "१० करो जनता" के स्थान पर "१० करोड़ जनता" पढ़ा जाय।
१८	११७७	ऊपर से पांचवीं पंक्ति में "अधिक" और "करना" के मध्य शब्द "खर्च" के स्थान पर "चर्चा" पढ़ा जाय।
१९	१२००	पैरा २ की पंक्ति ४ में "अथवा" और "लगा" के मध्य "२२४" के स्थान पर "२२८" पढ़ा जाय।
२०	१२०१	द्वितीय पंक्ति में "भूत' और 'है' के मध्य शब्द "सवाल" के स्थान पर शब्द "सवार" पढ़ा जाय।
२१	१२०६	पृष्ठ के सबसे नीचे भाग में रेखा के नीचे "* मारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।" पढ़ा जाय।
२२	१२०८	अनुदान/क्रम-संख्या '७८' के सामने शब्द "सामुपायिक" के स्थान पर शब्द "सामुदायिक" पढ़ा जाय।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1083–1088
प्रश्नोत्तर	1088–1129
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर	
श्री राज्यपाल का उत्तर	1130
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	1130
आश्वासन समिति का 40वां प्रतिवेदन (जारी) ..	1130–1137
आडीटर जनरल की 1972–73 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग	1137–1139
समिति का 40वां प्रतिवेदन	1140–1142
श्री ओम प्रकाश सिंह की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना	1142–1144
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1144–1147
मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1147–1156
1974–75 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	1156–1179
1974–75 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—	
अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल (स्वीकृत)	1179–1180
अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	1180
अनुदान संख्या 5—निर्वाचन (स्वीकृत)	1180
अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व (स्वीकृत) ..	1180
अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण (स्वीकृत) ..	1180–1181
अनुदान संख्या 11—बिक्री कर (स्वीकृत) ..	1181
अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत) ..	1181
अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति (स्वीकृत)	1181
अनुदान संख्या 18—सचिवालय (स्वीकृत) ..	1181–1182
अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	1182
अनुदान संख्या 20—कोषागार एवं लेखा प्रशासन (स्वीकृत)	1182
अनुदान संख्या 21—पुलिस (स्वीकृत) ..	1182
अनुदान संख्या 22—कारागार (स्वीकृत) ..	1182–1183
अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	1183
अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण (स्वीकृत) ..	1183
अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्वीकृत)	1183
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें (स्वीकृत)	1183–1184
अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं (स्वीकृत)	1184
अनुदान संख्या 28—शिक्षा (स्वीकृत) ..	1184

विषय		पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या 29––कला एवं संस्कृति (स्वीकृत)	..	1184
अनुदान संख्या 31––चिकित्सा (स्वीकृत)	..	1184–1185
अनुदान संख्या 32––परिवार नियोजन (स्वीकृत)	..	1185
अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	..	1185
अनुदान संख्या 36––सूचना तथा प्रसार (स्वीकृत)	..	1185
अनुदान संख्या 38––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (स्वीकृत)		1185–1186
अनुदान संख्या 40––अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं (स्वीकृत)		1186
अनुदान संख्या 41––सहकारिता (स्वीकृत)	..	1186
अनुदान संख्या 42––विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत)		1186
अनुदान संख्या 43––अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (स्वीकृत)		1187
अनुदान संख्या 44––कृषि (स्वीकृत) ..	..	1187
अनुदान संख्या 45––सामुदायिक विकास (स्वीकृत)	..	1187
अनुदान संख्या 47––क्षेत्र विकास (स्वीकृत)	..	1187
अनुदान संख्या 48––खाद्य तथा पोषाहार (स्वीकृत)		1188
अनुदान संख्या 49––पशुपालन (स्वीकृत)	..	1188
अनुदान संख्या 50––दुग्धशाला (डेरी) विकास (स्वीकृत)		1188
अनुदान संख्या 51––मत्स्य उद्योग (स्वीकृत)	..	1188
अनुदान संख्या 52––वन (स्वीकृत)	..	1189
अनुदान संख्या 53––उद्योग (स्वीकृत)	..	1189
अनुदान संख्या 54––ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत)	..	1189
अनुदान संख्या 56––विद्युत् विकास (स्वीकृत)	..	1189
अनुदान संख्या 57––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	.. ..	1190
अनुदान संख्या 59––सिविल विमानन (स्वीकृत)	..	1190
अनुदान संख्या 60––सड़कें तथा पुल (स्वीकृत)	..	1190
अनुदान संख्या 61––कार्यात्मक भवन (स्वीकृत)	..	1190
अनुदान संख्या 62––सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान (स्वीकृत)		1191
अनुदान संख्या 63–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत) ..	.. ..	1191
अनुदान संख्या 65––पर्यटन (स्वीकृत)	..	1191
अनुदान संख्या 66––स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण (स्वीकृत)	.. ..	1191–1192
अनुदान संख्या 67––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)		1192
अनुदान संख्या 68––कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)		1192
अनुदान संख्या 70–चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	.. ..	1192
अनुदान संख्या 71––आवासन पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)		1193

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या 73––सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1193
अनुदान संख्या 74––विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1193
अनुदान संख्या 77––कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1193–1194
अनुदान संख्या 78––सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1194
अनुदान संख्या 80––पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1194
अनुदान संख्या 82––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1194
अनुदान संख्या 84––सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1195
अनुदान संख्या 88––ऋण और अग्रिम शिक्षा (स्वीकृत)	1195
अनुदान संख्या 89––ऋण और अग्रिम–स्वायत्त शासन (स्वीकृत)	1195
अनुदान संख्या 91––ऋण और अग्रिम–उद्योग (स्वीकृत)	1195
अनुदान संख्या 92––ऋण और अग्रिम सहकारिता (स्वीकृत)	1196
अनुदान संख्या 93––ऋण और अग्रिम–कृषि (स्वीकृत) ..	1196
अनुदान संख्या 95––ऋण और अग्रिम–विद्युत् (स्वीकृत)	1196
उत्तर प्रदेश विनियोग (1974–75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 .... (विचारोपरान्त पारित)	1196–1209
लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1209
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 (विचारोपरान्त पारित)	1209–1217
दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वालों की रिहाई	1218
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1218–1219
नत्थियां	1220–1234

विधान सभा सचिवालय, पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 13 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--382

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवर मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र पाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमा नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झामलाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्म पाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास चौधरी,
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बचन राम, श्री
बनी प्रसाद, वर्मा श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद शैनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्स सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहनलाल बुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री

संसद पुस्तकालय

हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री	हुब राज, श्री
हिम्मत सिंह, श्री	हेमराज, श्री
हुकम सिंह, श्री	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मंत्री श्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 13 मार्च, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर शहर के मुहल्ला दीवान दया राम व खूनीपुर में हत्या सहित डकैती

**1—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 10 फरवरी, 1975 को गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार साहबगंज में सायंकाल 7 बजे मेसर्स गोरखपुर टैक्सटाइल्स एवं फतेहचन्द विमल कुमार के दुकानों में सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें 5 वर्षीय कृष्ण कुमार की मृत्यु एवं 5 व्यक्ति रिवाल्वर की गोली एवं चाकू से आहत हुये जिसके कारण शहर में क्षोभ एवं आतंक के कारण सभी दुकानें बन्द रहीं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-2-1975 को सायंकाल गोरखपुर नगर के मुहल्ला दीवान दया राम की एक गली के अन्दर स्थित गोरखपुर टेक्सटाइल्स नामक एक छोटी सी दुकान पर 5-6 दुराचारी जो देशी तमंचे व चाकू लिये थे पहुंचे। उन्होंने दो व्यक्तियों को छर्रे की और दो अन्य व्यक्तियों को चाकू से चोटें पहुंचाई। छर्रे की चोटों से घायल 5 वर्षीय कृष्ण कुमार की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई।

दुराचारियों ने उपरोक्त मुहल्ले से लगे मुहल्ले खूनीपुर के आवासी क्षेत्र में स्थित फतेह चन्द बिमल कुमार नामक गल्ले के आढ़त की दुकान पर दो व्यक्तियों को चोटें पहुंचाई तथा 839 रु0 नकद, एक कलाई की घड़ी व एक कोट उठा ले गए।

इन घटनाओं की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अन्य पुलिस अधिकारियों सहित कुछ मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पुलिस अधिकारियों को समुचित निदेश दिये तथा चिकित्सालय में घायलों के उपचार की पूर्ण व्यवस्था की।

उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में थाना राजघाट व कोतवाली में मुकदमें कायम हुए तथा तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई। एक अभियुक्त बन्दी बनाया जा चुका है। शेष की गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

घटना के अगले दिन मंगलवार था जिस दिन गोरखपुर नगर के अधिकांश भागों में दुकानें बन्द रहती हैं। नगर के कुछ शेष भागों में दिनांक 11-2-1975 को कुछ दुकानें आतंक के कारण नहीं वरन् मृतक कृष्ण कुमार की मृत्य के शोक तथा उनके परिवार के प्रति सहानुभूति में बन्द रहीं।

नगर में पुलिस गश्त को पुलिस अधिकारियों की देखरेख में अधिक सुदृढ़ कर दिया गया तथा गुण्डों एवं दुराचारियों को पकड़ने के लिये विशेष अभियान चलाया गया।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कुछ मिनटों में पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गये तो पहले जो डकैती हुई और दूसरी जो डकैती हुई खूनीपुर में इन दोनों डकैतियों के बीच का समय कितना है? दोनों डकैती पड़ने के कितने समय बाद घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और दोनों डकैतियों की दूरी कितनी है?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, एक डकैती 10-2-1975 को 7 बजे सायं पड़ी है और साढ़े सात बजे थाने में रिपोर्ट हुयी है। दूसरी डकैती 7.30 बजे सायं को हुयी-आधे घंटे के बीच में। दोनों के बीच की दूरी लगभग 2 फर्लांग की है।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह बतलाया कि घटना के कुछ ही मिनट बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे तो रिपोर्ट दर्ज हुई उसके कुछ ही देर बाद पहुंचे या दूसरी डकैती पड़ने के कुछ मिनट बाद पहुंचे?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, घटना के बाद ही 7.30 बजे पहुंचे हैं और उसके पूर्व पहुंचने का कोई मतलब नहीं होता।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि दोनों घटनाओं के बीच में आधे घंटे का फर्क है। तो दोनों घटनाओं की सूचनाओं में आधे घंटे का फर्क है या डकैती पड़ने में आधे घंटे का फर्क है? दूसरे सूचना मिलते ही पुलिस तुरन्त वहां पहुंच गयी, तो दूसरी घटना होने के पहले पुलिस वहां पहुंची कि नहीं यह बतायें? यदि पहुंच चुकी थी तो दूसरी घटना का कारण क्या है? इस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, यह करीब-करीब दूरी दो-तीन फर्लांग की है। जो मेरे पास इत्तिला है उसमें यह है। एक आदमी रिपोर्ट लिखा कर जाता है तब तक दूसरा आदमी रिपोर्ट कराने पहुंच जाता है। जो मैंने पढ़ा कि कुछ मिनटों के अन्दर पुलिस पहुंच गयी तो इसका यानी कुछ मिनटों का मतलब है कि एक घन्टे के अन्दर-अन्दर पुलिस पहुंच गयी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो।

श्री मधुकर दिघे--

एक दिन में तीन घटनाएं हुईं। मंत्री जी कह रहे हैं कि दो तीन फर्लांग की दूरी है तो यह तथ्य से परे है। तीन घटनाएं हुईं और इनके बीच की जो दूरी है वह सब मिलाकर 1 फर्लांग की है। आपका कहना है कि पुलिस तुरन्त पहुंची तो जिन लोगों ने डकैती डाली, छूरे मारे और एक लड़के की हत्या हो गयी तो पुलिस ने गिरफ्तारी करने में इतना विलम्ब क्यों किया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और बाकी के बारे में पूरा केस वर्क आउट हो चुका है। दोनों डकैतियों में एक ही गोल के लोग थे।

श्री मधुकर दिघे--

यह एक व्यक्ति कब गिरफ्तार हुआ ?

श्री राज मंगल पांडेय--

25-2-75 को।

श्री मधुकर दिघे--

यानी 15 दिन बाद गिरफ्तार हुआ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो मुलजिमान की गिरफ्तारी हुई वह प्रश्न करने के बाद हुई है और दूसरी बात यह कि घटना स्थल से कोतवाली की दूरी कितनी है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मेरे सामने प्रश्न की तिथि नहीं है। लेकिन मैंने बतला दिया कि 25-2-75 को गिरफ्तारी हुई।

श्री अध्यक्ष--

20 को आपने प्रश्न किया और 25 को गिरफ्तारी हुई।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

जैसा कि अभी माननीय रावत जी ने पूछा था कि कोतवाली और घटना स्थल की दूरी कितनी है उसका उत्तर आना चाहिये। दूसरी बात यह है कि इन दो-तीन घटनाओं के बीच में 1 फर्लांग की दूरी है तो क्या पुलिस ने पहुंचने पर उन डकैतों का मुकाबला किया था या ऐसा है कि जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक डकैत निकल कर भाग चुके थे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, अगर पुलिस से कंफ्रान्टेशन होता तो डकैत जरूर गिरफ्तार हो जाते। दूसरी बात यह कि अगर एक ही फर्लांग की दूरी सीधे हो तो भी हम किसी का मकान तोड़ कर वहां पहुंच नहीं जायेंगे। यही कारण है कि दो फर्लांग की दूरी है। जब दूसरी रिपोर्ट भी आधे घंटे के अन्दर हो जाती है तो पुलिस वाले और क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंचते हैं और डकैत वहां से भाग चुके होते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह बतलावें कि कोतवाली से कितनी दूरी थी. . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह इससे कैसे सम्बद्ध है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

वहां से निकटतम पुलिस स्टेशन कौन सा है, यह सवाल है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

एक ही दिन में तीन डकैती पड़ीं और केवल एक मुलजिम पकड़ा गया और बाकी जो मुलजिम हैं उनके बारे में जानकारी हो गयी। उन मुलजिमों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई, क्या उनके खिलाफ 82/83 की कार्यवाही की गई ? दूसरी बात यह है कि जो कृष्ण कुमार मरा है उसका कोई बयान लिया गया कि नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

82/83 की कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वह व्यक्ति अज्ञात है। उनमें से एक आदमी गिरफ्तार हो गया है, बाकी और भी गिरफ्तार हो जायेंगे और अगर उनके खिलाफ 82/83 की कार्यवाही करेंगे तो वह भाग जायेंगे। अगर नामजद होते तो वह गिरफ्तार हो गये होते, लेकिन हमने वर्क-आउट कर लिया है और हम घेरा डाले हुये हैं। हम उनको पकड़ लेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, एक प्रश्न करने की इजाजत दी जाय. . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब कोई सवाल करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। आप उनका जवाब तो सुनते ही नहीं हैं। जब उन्होंने यह कहा है कि सारे मुलजिमान का पता चल गया है और मामले का पता लगा लिया है तो फिर क्या रह गया. . . .

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई इजाजत नहीं दे सकता। आप जबरदस्ती पूछना चाहते हैं। अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कभी इजाजत नहीं दूंगा। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत संसदीय पद्धति के माहिर हैं और आप मुझे झुका देंगे तो इस तरह से नहीं झुका पायेंगे (हंसी) जब यह जवाब आ गया है कि मुलजिम पकड़ लिये जायेंगे और उनका पता चल गया है तो इसमें अब क्या रह गया ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई नई बात नहीं है और अगर कोई नई बात है तो आप चर्चा मांगिये आधे घंटे की ओर बहस कीजिये । (व्यवधान)

[* * *] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

जघन्य अपराध हो रहे हैं और मंत्री कुछ करने में असमर्थ हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दीजिये, तब विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बोलते रहने पर)

यह नहीं लिखा जायगा। माननीय ओझा जी का कुछ नहीं लिखा जायगा जब तक कि मैं उनका नाम न लूं या जब तक वह इजाजत न लें लें। जब मैं उनको इजाजत दे दूंगा तभी वे बोलेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दें। आपका कुछ लिखा नहीं जायगा। आप इस तरह से प्रश्नों का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। जो बातें आप उठा रहे हैं उनकी मैं इजाजत नहीं देता क्योंकि कोई लिखित सूचना नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता। एक भी शब्द आपका नहीं लिखा जायगा। आप कुछ भी बोलने के अधिकारी नहीं हैं। जो मुझ से बोलने की अनुमति नहीं लेता वह बोलने का अधिकारी नहीं हो सकता। प्रश्नों के समय इन सवालों को नहीं उठाना चाहिये। इनको अलग से उठाना चाहिये।

(व्यवधान)

मैं आज दिन भर आपको सुनना नहीं चाहता। जब तक आप अनुमति नहीं ले लेंगे आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा। आप की जान को खतरा था तो लिख कर भेज देते। (व्यवधान) जो कुछ आपने कहा है वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा। आप अनधिकृत रूप से प्रश्नों का समय नष्ट कर रहे हैं। बिना नोटिस दिये आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। जब आप अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानते हैं तो एस० पी० भी आपके प्रति अनादर-पूर्ण व्यवहार कर सकता क्योंकि यह चक्र चलता है। जो लोग विधान सभा के अध्यक्ष की इज्जत नहीं करते तो फिर किसी एस० एस० पी० से इज्जत की आशा कैसी?

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं निवेदन करूं कि आपके मुंह से यह जो बात निकल गयी कि एम० पी० भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा इससे सरकारी आफिसर्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और सारे विरोध पक्ष के लिये वह तलवार ले कर खड़े हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

मेरा निवेदन है कि एक विधि है, नियम है तथा मर्यादा है लेकिन जो उनका पालन नहीं करता है और यहां अधिकारी बैठे हैं.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं।

श्री अध्यक्ष---

जनता के लोग भी यहां बैठे हैं और जब वह यह समझेंगे कि ऐसा भी विधायक है जो निराधार बात कहता है, लिख कर नहीं दिया है, उसकी जान को खतरा है तो मेरे पास लिख कर नहीं भेजा है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल न करें जिनसे हमारा अहित हो।

श्री अध्यक्ष---

अहित नहीं होगा। जितनी ईमानदारी के साथ मैं उनको नियमानुकूल बनाने की कोशिश करता हूं उससे आधा भी अगर आप उनको नियमानुकूल बनाने का प्रयत्न करें तो यह सदन इतनी मर्यादा पूर्वक चलेगा कि किसी एम० पी० की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह किसी से कुछ अनुचित कह सके।

विधान भवन के समक्ष होम्योपैथिक छात्र संघ का अनशन

**2---डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक छात्र महासंघ के सदस्य जो विगत 7 (सात) दिनों से विधान भवन के समक्ष क्रमिक अनशन कर रहे हैं, मांगें क्या हैं? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उनसे वार्ता की तथा उनकी मांगों पर अब कोई निर्णय लिया? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)---

जी हां, वे क्रमिक अनशन कर रहे हैं। उनकी आठ सूत्री मांगें हैं, जिनकी प्रतिलिपि सदन के सूचनार्थ संलग्न है। छात्र प्रतिनिधि मण्डल से 25 फरवरी, 1975 को वार्ता की गई थी। उनकी प्रत्येक मांगों के संबंध में उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1220 पर)

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

मान्यवर, इन मांगों को पढ़वा दें। यह साफ-साफ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य-मुख्य मांगे आप पढ़ दें।

(मुख्य प्रश्नोत्तर का संलग्नक पढ़ा गया।)

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 10-3-74 को जो पत्र उन्हें दिया गया कि कन्डेन्स्ड कोर्स की व्यवस्था की जाय। 1969-70 में उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने बी० एम० एस० उत्तीर्ण छात्रों के लिये दो वर्ष का कोर्स करके जी० एच० एम० एस० की डिग्री की मान्यता दी है। लेकिन अब यह कर दिया है कि इन्टरमीडिएट वाले ही इसे कर सकते हैं जब कि इसकी मिनिमम योग्यता हाई-स्कूल साइन्स है। तो माननीय मंत्री जी को इस मांग को पूरा करने में क्या परेशानी है, जब कि 1969 में यह किया जा चका है ?

श्री प्रभुनारायण--

इस सम्बन्ध में केवल एक ही नेशनल होमियोपैथिक कालेज है जहां पर कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है बाकी और जगहों पर निजी कालेजेज हैं, निजी विद्यालय हैं वहां पर ऐसी व्यवस्था की सम्भावना नहीं है क्यों कि इसके लिये बहुत सा इन्तजाम करने की आवश्यकता पड़ेगी ऐसी स्थिति में जहां तक नेशनल होमियोपैथिक कालेज का प्रश्न है, उसमें ऐसी व्यवस्था करने की मांग हमने स्वीकार कर दी है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 25 फरवरी को उनकी जो वार्ता हुई है उसमें क्या बातें आई हैं और स्थिति से क्या अवगत कराया गया है ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

अनशन तोड़ दें.....

श्री प्रभुनारायण--

मान्यवर, माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने यह कहा कि अनशन तोड़ दें.....

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, इन्होंने कहा कि अनशन तोड़ दें हम स्वीकार करेंगे.....

श्री प्रभुनारायण--

मान्यवर, स्वस्थ परम्परा यही थी कि अनशन तोड़ने के बाद ही यह होता तो अच्छा होता। माननीय सदस्य ने मुझे बाध्य किया और मुझे बाध्य होकर बात करनी पड़ी। चार घंटे तक मेरी बात हुई और सभी विषयों पर बात हुई। जितना करना सम्भव था, वह सारी बातें मैंने मान लीं। लेकिन वे फिर भी जिद्द पर अड़े हुए हैं। मैं विरोधी दलों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं कि लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आन्दोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आन्दोलन जारी रहे। मांगों के सम्बन्ध में उनका कोई मतलब नहीं है बल्कि मांगों के जरिये आन्दोलन को चालू रहने देना चाहते हैं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने उनकी कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की हैं?

श्री प्रभुनारायण--

मान्यवर, जहां तक सभी मांगों के सिलसिले में स्थिति थी और मांग थी उसके सिलसिले में मैं सदन में बता देना चाहता हूं।

जहां तक उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ऐक्ट को लागू करने का प्रश्न है उसको पूरी तरह से लागू करने की बात हो गई है और उसे लागू किया जा रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आपको अधिकार है, उसे लागू क्यों नहीं करते हैं ? वह विधान सभा से पास हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

पहले पूरा उत्तर आने दीजिये, उनकी बात सुन लीजिये। उसके बाद कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, दूसरी फैकल्टी बनाने की बात थी। इस संबंध में बात हो चुकी है। फैकल्टी के माध्यम से एक्जामिनेशन करने के लिये यह बात मान ली है लेकिन इसके पहले कि फैकल्टी के एक्जामिनेशन होंगे एक सप्लीमेन्टरी एक्जामिनेशन होगा जिसकी 17 तारीख फिक्स हो गई है। तो उसके बाद दूसरा एक्जामिनेशन जो होगा वह फैकल्टी के माध्यम से होगा।

फिर एक बोर्ड बनाने की बात आई। तो उसमें चेयरमैन का नामिनेशन हो चुका है। उसमें कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था जिसमें रजिस्टर्ड होम्योपैथी संस्थायें सदस्य हैं तो उनमें से कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। कानूनी स्थिति साफ होने पर उसके फंक्शन करने की व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक अलग निदेशालय का प्रश्न है उसमें खर्च का विशेष दौर होगा। सरकार की वित्तीय स्थिति को वैसे सभी माननीय सदस्य समझते हैं। इससे ज्यादा सर्विसेज का फैलाव होगा और खर्चा बढ़ेगा जो इस समय ठीक नहीं होगा। इसलिये निदेशालय बनाने की बात मान नहीं रहे हैं।

तीसरा समस्त होम्योपैथिक कालेजों का प्रांतीयकरण का प्रश्न है वह वित्तीय प्रश्न है। जो-जो कालेज ठीक तरह से फंक्शन करेंगे जिनको अनुदान देने की बात होगी उनको सरकार की सहायता होम्योपैथिक कालेज के इनिसियेटिव पर चलाने के लिए, ठीक तरह से चलाने के लिए सहायता दी जायेगी।

चौथा बी0 एम0 एस0 और जी0 एच0 एम0 एस0 डिग्री देने की व्यवस्था करने की बात थी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में दिक्कत है जैसा माननीय सदस्यों ने बात कही तो होम्योपैथी के अन्तर्गत जो डाक्टर निकल रहे हैं उनकी तनख्वाह वगैरा की बात है तो बहुत सी होम्योपैथी की डिस्पेन्सरीज खोलने की बात है उसके लिये क्वालिफाईड स्टूडेंट्स होने चाहिये। डिपार्टमेंट की राय है कि जो आई0 एस-सी0 स्टूडेंट्स और डिग्री वाले हैं उन्हीं को दिया जाय।

पांचवां सेवा नियम बनाने की बात है। मान्यवर, यह नियम वाली बात जो है वह छात्रों से सम्बन्धित नहीं है। तो उसमें अध्यापक भी उनको उकसा रहे हैं उनका भी इसमें हाथ है। जो सेवा नियम की बात है उस सम्बन्ध में आदेश हो चुके हैं और सेवा नियम बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। लेकिन मैं माननीय त्रिवेणी राय जी से जरूर कहना चाहता हूं कि वह इस संबंध में छात्रों को समझायें और छात्रों के आन्दोलन को खत्म करायें।

छठां जहां तक प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में होम्योपैथिक शाखायें खोली जायं तो उसके लिये 30 तो इस वर्ष मार्च तक हो जायेंगे और 30 अगले वर्ष यानी 75-76 तक खोलने की शासन की नीति है। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा सस्ती है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा।

चूंकि उसकी दवाएं सस्ती हैं, उसका अधिक से अधिक फैलाव किया जाए, इस पर हमारा ध्यान है। मैं इस सन्दर्भ में यह भी बता देना चाहता हूं कि जो 4 आने की होम्योपैथिक रजिस्ट्रेशन फीस की बात थी, उसके बारे में निश्चय किया गया है और उसको खत्म कर दिया गया है। इस शासन ने कैबिनेट में इस बारे में एक निर्णय लिया है।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों को राजपत्रित घोषित किया जाए, इस मांग के बारे में स्थिति यह है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वह सम्भव नहीं है। इसलिये हम उस पर कुछ इस समय कर नहीं पाएंगे। वैसे जो सेवा नियम बनवाने की बात है वह हम कर रहे हैं।

सेन्ट्रल कौंसिल आफ होम्योपैथिक में प्रदेश के समस्त कालेजों के प्रधानाचार्यों एवं योग्य चिकित्सकों को सदस्यता का स्थान दिया जाए, इस सम्बन्ध में यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस सम्बन्ध में केवल लिख सकती है, क्योंकि इस बात का केन्द्र से सम्बन्ध है, सूबे से इसका सम्बन्ध नहीं है। इसलिये सूबे की सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

ये जो 8 मांगें हैं, इनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई, ऐसा मालूम हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि वार्ता फेल हो गई है। आज मंत्री जी के बंगले का छात्र घेराव भी करने वाले हैं, शायद लाठीचार्ज भी हो जाए। उनकी भूख-हड़ताल भी चल रही है। तो इसे देखते हुए क्या सरकार उनके लिये एक अलग निदेशालय बनाने तथा अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार है, जिससे उनकी अधिक से अधिक मांगें स्वीकार हो जाएं?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस प्रश्न का जो जवाब दिया गया है, उसे वह समझे नहीं हैं।

श्री रामअधार—

जो भूख हड़ताल पर हैं, उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिये आप और आपकी सरकार क्या कर रही है?

श्री प्रभुनारायण—

जहां तक निदेशालय की स्थापना की बात है, उस सम्बन्ध में बात बता दी, किन्तु इसके अलावा एक डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति चिकित्सा निदेशालय में कर दी गई है, जो नेशनल होम्योपैथिक कालेज के प्रिंसिपल हैं। होम्योपैथिक के सम्बन्ध में सारा कार्य वह देखेंगे। जहां तक अनशन तुड़वाने की बात है, बिना रामअधार राय जी की सहायता के वह होने वाला नहीं है। इसलिये कृपया वह हमारी इस कार्य में सहायता करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक पृथक निदेशालय के सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो कठिनाई बताई है, उसे यदि ठीक समझा जाए, तो क्या सरकार इस मांग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लेगी कि ऐसा निदेशालय स्थापित किया जाए, भले ही इस समय सरकार न कर पाए?

श्री प्रभुनारायण—

"माननीय माधव बाबू ने जो बात कही है, उसके बारे में तो मैंने बहुत साफ तौर से कह दिया है। इस समय निदेशालय की बात सिद्धान्त रूप में मानने की बात भी नहीं हो सकती है। प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति में वह मानने की बात नहीं हो सकती है, चूंकि डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है, जोकि होम्योपैथिक का सारा कार्य प्रदेश में देख रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, उससे होम्योपैथिक के प्रति सरकार की क्या नीति है यह स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या यह एक प्रखर बुद्धि की साइंस है और कंडेंस कोर्स एलोपैथिक में हो गया है, इसमें नहीं हुआ है। तो यह चिकित्सा की शाखा अपने प्रखरता और तेजस्विता के बल पर अन्य शाखाओं के कम्पटीशन में आएगी, एलोपैथी की बराबरी में आएगी या फिर स्टेट प्रोटेक्शन के बल पर उनकी समता प्राप्त करेगी, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा?

श्री अध्यक्ष—

यह नीति का प्रश्न तो व्यापक है। अनुदान के समय मौका आएगा तो आप उस पर कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यही जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार की क्या नीति है? स्वतः उसके अन्दर कोई दम है या स्टेट प्रोटेक्शन से वह एलोपैथी का कम्पटीशन करेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया ऐसा लगता है कि आठ मांगों में से कई मांगों को आपने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानने की कोशिश की है। लेकिन एक बात अभी रह गयी और वह यह है कि आखिर कौन सी जिद है कि आज भी होम्योपैथिक छात्रों की भूख-हड़ताल चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि पहले भूख हड़ताल तोड़ दें तब मांगें मानी जायंगी, यह एक ऐसा विषय है कि हर वर्ष जब भी अधिवेशन शुरू होता है होम्योपैथिक छात्र भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं और हम लोगों के ऊपर लांछन लगाते हैं कि ये लोग उकसाये हुए हैं। आप के मंत्रिगण, तिवारी जी ने घुट्टी पिला दी, मीठी मीठी बातें कह दीं और बाद में कुछ नहीं। मेरा कहना यह है कि होम्योपैथिक छात्रों की भूख हड़ताल समाप्त हो जायगी इसका कोई प्रयास करेंगे मंत्री जी?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने बताया कि आप भी सहायता करें। वह भी कोशिश करें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा स्पष्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप सोच लीजिये, लिख लीजिये, तब प्रश्न कीजिये।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या माननीय चिकित्सा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि होम्योपैथी की पद्धति अपने प्रदेश में, सारे देश में दिन पर दिन बड़ी व्याप्त होती जा रही है और लोगों की निष्ठा

भी बढ़ती जा रही है, इसकी दवाएं बहुत कम पैसे में मिलती हैं, और इसकी दवाओं का बहुत भूदिंग इफेक्ट होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार करेंगे कि इस पैथी का निदेशालय अलग से खोला जाय, अब तक निदेशालय नहीं खोला जायगा, दूसरे जो और डाइरेक्टर्स हैं वह उस तरफ तवज्जह देते नहीं हैं, इस बात पर ध्यान देते हुए वह और वित्त मंत्री जी दोनों इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एलोपैथी के बजट से थोड़ा रुपया काट कर इस तरफ रुपया दिया जाय ताकि निदेशालय खुल सके?

श्री प्रभु नारायण--

इस सम्बन्ध में मैंने जवाब दे दिया है। मैं माननीय सदस्य से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि जहां तक होम्योपैथिक सिस्टम के डेवलपमेंट का सवाल है, जहां तक स्टेट के सहारे की बात है, जहां तक होम्योपैथिक चिकित्सा के बढ़ावे का प्रश्न है शासन की नीति है कि उसको बढ़ावा दिया जाय। इसी लिए 30 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज इस वित्तीय वर्ष में और 30 अगले वर्ष में खोली जा रही हैं। लेकिन माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन में बड़ी परेशानियां रही हैं। बहुत से लोग होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन में चले गये हैं जिनको जानकारी नहीं है। बहुत सी जगह पर क्वैक्स की स्थिति है। उसको धीरे धीरे इंटीग्रेट करने की बात है, उसको सहारा दे कर सही बेसिस पर कार्य कर सके इस स्थिति में लाना है। फिर आवश्यकता होगी तो देखने की बात होगी। इस समय इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

जैसा उन्होंने उत्तर दिया है, स्वतन्त्र निदेशालय खोलने से बहुत सी समस्याएं हल हो जायंगी। ऐसा निदेशालय न हो जैसा आपने आयुर्वेद में खोल रखा है। ऐसा निदेशालय हो जो सक्षम हो, मेडिकल हेल्थ वालों का उस पर अंकुश न हो। इस प्रकार का निदेशालय खोलें तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह सुझाव है आपका।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो कन्डेन्स्ड कोर्स वाली बात है उसके लिये क्वालीफिकेशन्स इण्टर साइंस बायोलोजी रखी गई है। मैं जानना चाहूंगा कि जब डिप्लोमा कोर्स के लिये हाई स्कूल क्वालीफिकेशन रखी गई है और श्री मुकर्जी बी० एम० एस० पास लैक्चरर हैं अगर वे कंडेन्स्ड कोर्स करना चाहेंगे तो उसमें इण्टर साइंस के क्वालीफिकेशन की क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न क्या हुआ?

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जब बी० एम० एस० के लिये क्वालीफिकेशन्स हाई स्कूल साइंस है तो डिप्लोमा करने के बाद डिग्री कोर्स करने केलिये इण्टर साइन्स क्वालीफिकेशन रखने की क्या जरूरत है यानी यह डिफरेंस क्यों रखा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—

आपने सबसे पहले यही प्रश्न किया था।

श्री प्रभुनारायण—

डिप्लोमा और डिग्री कोर्स के लिये कोई तो अन्तर रखना ही होगा और क्वालीफिकेशन निश्चित करनी पड़ेगी। अगर वैसे ही चलने देंगे तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जायेगा। कोई न कोई क्वालीफिकेशन तो रखनी ही पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न रुके रहते हैं?

श्री रामअधार—

क्या मंत्री जी पुनः अनशन तुड़वाने के लिये वार्ता करने के लिये तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब वे दे चुके हैं कि आप भी कोशिश कीजिये, वह भी करेंगे।

श्री प्रभु नारायण—

माननीय राय साहब यदि समझदारी से बात करना चाहेंगे तो मैं हमेशा तैयार हूं।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम परिवर्तन की मांग

**3—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों ने विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के लिये अपने द्वारा नवम्बर, 1974 से चलाये जा रहे आन्दोलन को फरवरी, 1975 के अन्त तक के लिये मुख्य मंत्री के इस आश्वासन पर स्थगित कर दिया था कि विश्वविद्यालय के एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा प्रस्ताव पास किये जाने पर सरकार नाम परिवर्तन कर देगी और क्या यह सही है कि सरकार को एकेडेमिक काउन्सिल (संस्कृत विश्वविद्यालय) द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन हेतु पारित प्रस्ताव, फरवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने नाम परिवर्तन की घोषणा करके आवश्वासन को पूरा कर दिया? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

सीधे विद्यार्थियों से मुख्य मंत्री जी की कोई भेंट नहीं हुई। हां, मुख्य मंत्री जी ने वाराणसी में एक पत्रकार सम्मेलन में यह कहा था कि इस प्रश्न पर विद्वत परिषद् विचार कर सलाह दे जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा। विद्वत परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव शासन को 5-3-75 को प्राप्त हुआ जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में विद्वत परिषद् ने जो प्रस्ताव पास किया है वह क्या है?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, प्रस्ताव काफी बड़ा है लेकिन उसकी भावना यही है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द का नाम इसके साथ जोड़ना ठीक नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जब विद्वत परिषद् ने छात्रों की मांग के अनुसार प्रस्ताव पारित कर दिया और मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यदि विद्वत् परिषद् प्रस्ताव पास कर देगी तो सरकार द्वारा नाम परिवर्तित कर दिया जायेगा तो क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि इसमें कोई पालिसी का मामला नहीं है तथा विश्वविद्यालय में आन्दोलन चल रहा है और शान्तिपूर्ण शिक्षण वातावरण नहीं है, नाम बदलने का तत्काल निर्णय ले लेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, अभी तो इस प्रस्ताव को आये हुये केवल आठ दिन हुये हैं और मंत्रि परिषद् के सामने भी यह नहीं गया है । हमें इसके लिये अधिनियम में भी संशोधन करना होगा और उसको दोनों सदनों से पास कराना होगा । इसलिये आज इस प्रश्न पर निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संस्कृत विद्यालय का प्रश्न है, इसको सब जानते हैं कि यह संस्कृत विद्यालय डा० सम्पूर्णानन्द के ही कारण बना है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज उस विद्यालय का जैसा नाम है, उस नाम को बरकरार रखेंगे ।

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि जब तक मंत्रि परिषद् में कोई विचार नहीं हो जाता है, तब तक मैं कोई आश्वासन कैसे दे दूं ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्वत परिषद् ने क्या प्रस्ताव भेजा है ? माननीय मंत्री जी उस प्रस्ताव को बताने की कृपा करें ।

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, विद्वत परिषद् ने यह कहा है कि यह नाम हटा दिया जाय और जो पहले नाम था, वही नाम रखा जाय ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले इसका नाम वाराणसी संस्कृत विद्यालय था । जब इसका नाम बदल दिया गया तब वहां पर आन्दोलन हुआ । वहां पर दो गुट हो गया, एक गुट नाम बदलना चाहता था और दूसरा गुट वही नाम कायम रखना चाहता था । मान्यवर, वहां के विद्यार्थीगण और मैं भी यह जानना चाहता हूं कि वहां की स्थिति जो इस समय तनावपूर्ण है, वह तनावपूर्ण न बनी रहे, और वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से अध्ययन का काम चलता रहे, वहां के विद्यार्थियों और विद्वत् परिषद् के बीच बैठ कर कोई समाधान निकाला जाय ।

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, यह इनका सुझाव है, इस पर विचार करूंगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिल बदायूं)—

मान्यवर, उनका जबाब तो आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जबाब तो दे दिया। आपका प्रश्न है कि वहां के विद्वत् परिषद् और छात्रों से मिल कर बातचीत करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सुझाव अच्छा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वाराणसी संस्कृत विद्यालय के बारे में सुझाव विचाराधीन है। शासन के सामने तुरन्त निर्णय लेने में क्या कठिनाई है ? क्या मंत्री जी इसी सत्र में नाम परिवर्तन की घोषणा कर देंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। अभी कैसे आश्वासन दे दूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, उस कालेज से मेरा जीवन संबंधित रहा है। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ जानता हूं, मैं बतला दूं। 1951 तक वह गवर्नमेंट संस्कृत कालेज था। वहां के प्रिंसिपल न केवल भारत के विद्वान अपितु विदेशी विद्वान रह चुके हैं। डा0 सम्पूर्णानन्द के प्रति मैं बहुत आदर एवं श्रद्धा रखता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

यह जानकारी आप दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, यदि उसका नाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय रहेगा तो व्यक्ति पूजा को बढ़ावा मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न आपको क्या करना है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं प्रश्न यह कर रहा हूं कि अगर उसका नाम सम्पूर्णानन्द रखा जायेगा तो व्यक्तिगत पूजा को बढ़ावा मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसे बहुत से नाम के हैं ।

श्री राम जी लाल सहायक—

किसी नेता या बड़े व्यक्ति के नाम से व्यक्तिगत पूजा का क्या सम्बन्ध है ?

श्री ऊदल—

उस संस्कृत विश्वविद्यालय के शुरू से अब तक के पूरे इतिहास को देखते हुये, कैसे वह विश्वविद्यालय बना, उसके पूरे ग्राउन्ड्स को देखते हुए उस पर कोई विचार करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, उस पर तो विचार किया ही जायेगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

चमोली जिले के ग्राम गंजिर, पट्टी बिचला नागपुर में बैटरी तथा मशीनयुक्त गुब्बारे का पाया जाना

*1—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या यह सही है कि 10 जनवरी, 1975 से 8 फरवरी, 1975 के बीच नन्द प्रयाग पौड़ी गढ़वाल से 12 कि0मी0 दूर गंजिर विचला नागपुर गांव के जंगल में दस फिट व्यास वाला स्वेत रंग का एक रहस्यमय पैरासूट पाया गया जिसमें स्वचालित यन्त्र लगे हैं तथा बैटरी चालित संकेत एवं रोशनी व्यवस्था भी उसमें थी। यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां। दिनांक 1 फरवरी, 1975 को जनपद चमोली (पौड़ी गढ़वाल नहीं) के ग्राम गंजिर, पट्टी बिचला नागपुर, में बैटरी तथा मशीनयुक्त एक गुब्बारा गत्ते के बक्से में रक्खा हुआ पाया गया। इस सम्बन्ध में डिप्टी डाइरेक्टर जनरल (इन्स्ट्रूमेन्ट) आब्जरवेटरी, भारत सरकार से पूछ तांछ करने पर यह ज्ञात हुआ है कि यह गुब्बारा तथा उसमें लगे यंत्र भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम की जानकारी हेतु छोड़ा गया था।

श्री सत्य प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गांव वालों ने इस गुब्बारे के सम्बन्ध में प्रथम सूचना क्या दी थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गांव वालों ने यह सूचना दी कि गुब्बारे में बैटरी और मशीन लगी हुई है और यह एक रहस्यमय गुब्बारा है इसकी जांच की जाये, आदि-आदि ।

श्री सत्य प्रकाश—

मैं यह जानना जानना चाहता हूं कि मौसम विभाग के किस कार्यालय से और कब तथा कहां से वह छोड़ा गया था ? मेरी जानकारी है कि यह मौसम विभाग का नहीं था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् जो बैटरी बनी है वह एस्ट्रेला बैटरीज लि0, बम्बई की है। मशीन का नम्बर इ0सी0 81 तथा 14884-74-885/12/74 था। यह उपकरण भारत के निर्मित ज्ञात हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो डिप्टी डाइरेक्टर जनरल (इन्सट्रूमेन्ट) आब्जरवेटरीज

है उनसे मालूम हुआ है कि यह गुब्बारा तथा उसमें लगा यन्त्र भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम की जानकारी हेतु छोड़ा गया था उन्होंने लिखा है—

"It is an instrument released by the radiowind station of this department at Patiyala for routine measurement of mateorological elements in the upper air. This instrument has been retained by us."

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गुब्बारा तथा यन्त्र जो पाये गये हैं वह अमेरिकन सी० आई० डी० के हैं और भारत सरकार इसको छिपाना चाहती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य की सूचना सत्य से परे है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या वह रूस का तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

आप पिछड़ गये । आप पीछे रह जाते हैं ।

देवरिया जिले के थाना रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोहत्या

*2—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाने के अन्तर्गत मकर संक्रान्ति के दिन जाति विशेष के व्यक्तियों द्वारा किसी गाय को गोली मारकर हत्या की गयी और उक्त थाने के दरोगा कथित हत्यारों का साथ दे रहे हैं और अन्य जाति के व्यक्तियों को उत्पीड़ित कर रहे हैं ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 14-1-75 को लगभग डेढ़ बजे दिन में थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया में ग्राम बरईपुर के ग्राम चौकीदार ने इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम शामपुर के एक नामजद व 10-12 अन्य व्यक्ति जिनमें दो व्यक्ति बंदूक लिये थे एक नील गाय का पीछा करते हुये आये और उस पर गोली चलाई । गांव वालों के मना करने पर भी वे नहीं माने और उन्होंने ग्रामीणों पर गोली चलाई । जान बचाने हेतु गांव वालों ने उन्हें लाठियों से मारा जिससे उनमें से कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं । भाग दौड़ में ग्राम शामपुर के लोगों की एक बंदूक गिर पड़ी जिसे गांव के सरपंच ने थाने में दाखिल किया ।

उक्त सूचना प्राप्त होने पर थाने पर मुकदमा अंकित हुआ । विवेचना के उपरान्त पांच अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 143/295 ए० भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया ।

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा कथित हत्यारों के प्रति सहानुभूति दिखाए जाने अथवा अन्य जाति के व्यक्तियों को उत्पीड़ित किये जाने के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

उक्त मामले के सम्बन्ध में श्री इस्लाम खां, निवासी ग्राम शामपुर, देवरिया से उसी दिन प्राप्त रिपोर्ट पर भी थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना के उपरान्त चार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/323 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री श्रीनारायण—

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो रिपोर्ट हो उसे पढ़ कर सुना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला न्यायालय में चला गया है और वहां पर विचाराधीन है। इस पर प्रश्न नहीं किए जा सकते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य चाहते हैं कि वे रिपोर्ट को पढ़ कर सुना दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ये 2 रिपोर्टें हैं। एक रिपोर्ट तो गांव के चौकीदार की है और दूसरी इस्लाम खां की है। जो रिपोर्ट गांव के चौकीदार ने लिखाई है उसके अनुसार श्री मुक्ति नाथ, निवासी ग्राम पोखर भिन्डा थाना रामपुर के व 10–12 और के विरुद्ध लिखित सूचना पर थाना रामपुर कारखाना पर अंकित किया गया। इस्माल खां की रिपोर्ट थी कि वादी अन्य साथियों के साथ बन्दूक लेकर एक नील गाय का पीछा शिकार करने की नियत से करते हुए अपने ग्राम की तरफ से ग्राम पोखर भिन्डा के पास आये जहां पर गांव वालों ने रोका, बीच बचाव किया। उस बीच बचाव में झगड़ा हुआ और वहां पर से जब दूर भाग गये तो वहां पर एक बन्दूक पाई गई। श्रीमन्, यह एक लम्बा बयान है।

श्री श्रीनारायण—

श्रीमन्, वहां पर जो दरोगा है, वह झगड़ा बढ़ा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी उसको हटा देने की कृपा करेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मंत्री जी को देहाती बोली से क्या सम्बन्ध ? जैसे जर्मनी और रूसी भाषा को एक्सप्लेन करना पड़ता है, वैसे ही यह भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह बोली तो मैं आप से सीख लेता हूं। माननीय सदस्य अगर कोई विशेष जानकारी देना चाहें तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, इलाहाबाद में लाठी-चार्ज

*3—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 7 फरवरी, 1975 को किसी क्रिकेट मैच के सम्बन्ध में इलाहाबाद में नागरिकों तथा छात्रों पर पुलिस ने गोली, लाठी और आंसूगैस की वर्षा की जिसके फलस्वरूप अनेकों जाने गयीं ? यदि हां, तो घटना क्या थी कितने व्यक्ति

आहत हुय, कितनों की जानें गयीं और कितने गिरफ्तार किये गये ? क्या यह सही है कि इलाहाबाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कालेज के अन्दर घुस कर वार्डन तथा छात्रों की पुलिस ने पिटाई की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दिनांक 7 फरवरी, 1975 को मदनमोहन मालवीय स्टेडियम (एलफ्रेड पार्क) इलाहाबाद में आयोजित क्रिकेट मैच में उपद्रव होने पर पुलिस ने अश्रु गैस के गोले फेंके थे और लाठी चार्ज किया था। घटना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है। घटना के दौरान पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। यह कथन भी सही नहीं है कि पुलिस ने मदन मोहन मालवीय युनिवर्सिटी कालेज के अन्दर घुस कर वार्डन व छात्रों की पिटाई की।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ 1221 पर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इसके साथ एक टिप्पणी भी दी गयी है लगभग एक पृष्ठ की। मेरे मुख्य प्रश्न का आशय यह है कि हिन्दू होस्टल के अन्दर घुस कर लड़कों को मारा गया और होस्टल के अन्दर शीशे तोड़े गये, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया। मन्त्री जी ने जो संलग्न किया है उसमें इस बात का वक्तव्य दिया है कि छात्रावास की ओर से पुलिस पर गोली भी चलायी गयी और एक हथगोला भी फेंका गया। मैं चार-पांच विधायकों के साथ छात्रावास गया था और वहां के जो सुपरिन्टेंडेंट हैं उनसे हम लोगों की भेंट हुई थी। मेरा निवेदन यह है कि इसमें आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये हैं। अभी कांग्रेसी विधायक मिश्रा जी का देवरिया के किसी इन्जीनियर से झगड़ा हो गया था तो उसमें न्यायिक जांच बिठायी गयी थी। तो इसमें चूंकि आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये हैं तो क्या इसमें भी न्यायिक जांच बिठायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उनके अनुसार तो यह उचित नहीं प्रतीत होता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

अश्रु गैस के गोले हिन्दू होस्टल के प्रांगण में फेंके गये। (कुछ कपड़े सदन में दिखलाये गये।) (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रदर्शन की जगह नहीं है। आपकी बात हम मानते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हम लोग खुद वहां गये थे इलाहाबाद के पांच विधायकों के साथ और जो तथ्य हैं वह इस सदन में रख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें न्यायिक जांच करा दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय तो समाप्त हो गया।

नोट--[नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

डोभी चन्दवक, जिला जौनपुर में छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

*4—श्री उमानाथ (जिला जौनपुर) तथा श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 फरवरी, 1975 को, डोभी चन्दवक, जिला जौनपुर में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी तथा गोली वर्षा की गयी जिसमें अनेक छात्र बुरी तरह घायल हुये ? यदि हां, तो घटना क्या है ? क्या घटना की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो किससे तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

दिनांक 8 फरवरी, 1975 को डोभी चन्दवक, जिला जौनपुर में पुलिस द्वारा छात्रों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। उक्त तिथि को वाराणसी में होने वाली कांग्रेस रैली में भाग लेने के लिये जाने वालों को रोकने के उद्देश्य से एक उग्र एवं हिंसक भीड़ द्वारा पथराव करके बसों को क्षति पहुंचाने तथा भीड़ से एक युवक द्वारा देशी पिस्तौल से गोली चलाने पर पुलिस को विवश होकर सरकारी पिस्तौल से गोली चलानी पड़ी जिससे श्री अनिरुद्ध कुमार नामक एक छात्र के पैर में गोली लगी। किसी अन्य व्यक्ति या छात्र को चोट लगने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई । इस घटना की एस० डी० एम०, केराकत द्वारा मजिस्टीरियल जांच की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा रेलवे को डेमरेज तथा वारफेज का भुगतान

*1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि आज कल (20-7-74 को) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा खरीदी गयी करोड़ों रुपये की मशीन तथा अन्य सामान ऐसा है जो कि रेलवे स्टेशनों पर 20 जुलाई, 1974 को समाप्त होने वाली तिथि से एक माह पूर्व से पड़ा है तथा अभी छुड़ाया नहीं जा सका ? इस प्रकार न छुड़ाने से विद्युत् परिषद् को अनुमानित रूप से कितना रुपया डेमरेज का रेलवे को देना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

20 जुलाई, 1974 को समाप्त होने वाली तिथि से एक माह पूर्व से पड़े हुये उस माल पर जिसे राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नहीं छुड़ाया जा सका, रु० 3,25,866.52 रेलवे को डेमरेज तथा वारफेज के रूप में दिये जा चुके हैं और रु० 18,46,070.70 देना शेष है।

थाना दशाश्वमेध, वाराणसी के सब-इन्सपेक्टर श्री महन्त चौबे का निलम्बन

*2—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना दशाश्वमेध, वाराणसी के सब-इन्सपेक्टर (श्री महन्थ चौबे) को दिनांक 20 सितम्बर, 1974 को सस्पेन्ड कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें चार्ज शीट कब दी गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

थाना दशाश्वमेध, वाराणसी के सहायक सब-इन्सपेक्टर श्री महन्थ चौबे न कि सब इन्सपेक्टर दिनांक 28 सितम्बर, 1974 न कि दिनांक 30 सितम्बर, 1974 से निलम्बित किये गये थे। उनके पास बहुत से कागजात, इन्क्वायरी रिपोर्ट तथा केस डायरी के अनिस्तारित पाये गये। मामले में जांच की जा रही है और अभी चार्जशीट नहीं दी गयी है। उन्हें दिनांक 14 जनवरी, 1975 से बहाल कर दिया गया है।

थाना चेतगंज, जिला वाराणसी के सब-इन्स्पेक्टर तथा कांस्टेबिलों का निलम्बन

*3--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना चेतगंज के सब-इन्सपेक्टर एवं 3-4 कांस्टेबिलों को 36 हजार रुपये छीनने के आरोप में धारा 395 का मुकदमा कायम कर सस्पेन्ड किया गया और जेल भेजा गया था और क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 395 को निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किसके द्वारा किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

थाना चेतगंज, जिला वारणसी के एक सब-इन्स्पेक्टर तथा अन्य चार कान्स्टेबिलों के विरुद्ध दिनांक 22 अक्तूबर, 1974 को 35,384 रुपया व 2 घड़ी छीनने के आरोप में धारा 395/342/323 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम हुआ। जिसके फलस्वरूप उक्त सब-इन्सपेक्टर को निलम्बित करके जेल भेज दिया गया, जो जमानत पर न्यायालय से छोड़े गये। इस मुकदमें की विवेचना इन्स्पेक्टर इन्चार्ज, थाना कोतवाली, वाराणसी ने किया जिसमें उक्त सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध धारा 395 भा0 दं0वि0 का अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इस आधार पर मुकदमा धारा 395 भा0 दं0 वि0 से धारा 147/342/323 भा0 दं0 वि0 में दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 को परिवर्तित किया गया।

फर्रुखाबाद जिले के थाना सौरिख के अन्तर्गत मंगू डकैत की हत्या

*4--डाक्टर धर्म पाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, थाना सौरिख के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री जे0 एन0 त्यागी 19/20 जून, 1974 को गैंग, मंगू काछी डकैत, ककलई की गिरफ्तारी के लिये साढ़े 9 बजे रात्रि रवाना हुये ? किन्तु उसी रात्रि को 9/10 बजे राजपुर गांव, नत्थू की स्त्री को लूटने के कारण गांव वालों ने डकैत को मार डाला ? यदि हां, तो घटना क्या थी तथा क्या सरकार उस रात की थानाध्यक्ष की गति-विधियों पर प्रकाश डालेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19/20 जून, 1974 की रात में 9.35 बजे थाना सौरिख के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री जे0 एन0 त्यागी मंगू डकैत की गिरफ्तारी के लिये थाना सौरिख से रवाना हुये थे।

दिनांक 20 जून, 1974 को थाना सौरिख पर ग्राम राजापुर, फर्रुखाबाद निवासी श्री नत्थू ने इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 19 जून, 1974 की रात में वादी तथा अन्य लोगों ने मारपीट कर मंगू व उसके भाई को पकड़ कर बन्द कर रखा था जहां

रात में मंगू की मृत्यु हो गई। इस सूचना के आधार पर तीन मुकदमें कायम किये गये। विवेचना के बाद दो मुकदमों में चार्जशीट तैयार की गई। शेष एक मुकदमें में मंगू की मृत्यु हो जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री त्यागी दिनांक 19 जून, 1974 की रात में मंगू की गिरफ्तारी के लिये रवाना हुये थे और रात में छतनेपुर नदी के घाट के पास जंगल में मंगू की तलाश में रहे।

चीनी मिल, पिपराइच के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*5—श्री मधुकर दिघे—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल पिपराइच के कर्मचारियों का कितने माह का वेतन बकाया है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और वेतन भुगतान कब तक हो जायेगा?

श्री राज मंगल पाडेय—

कर्मचारियों के अर्जित वेतन का भुगतान किया जा चुका है अतः भुगतान करने के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*6—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[परिवहन निगम से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

के० बी० स्नातकोतर महाविद्यालय, मिर्जापुर के अध्यापकों का अवशेष वेतन

*7—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के के0 बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अध्यापकों का पिछले 8-8 माह का वेतन बाकी है? यदि हां, तो क्यों तथा उनके वेतन को दिलाने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री रामजी लाल सहायक—

के0 बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर के अध्यापकों का 8-8 माह का तो नहीं परन्तु कुछ अध्यापकों का अधिकतम 6 माह का वेतन बकाया है।

इसका कारण यह था कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र ने वेतन-भुगतान करने में जानबूझ कर बार-बार व्यतिक्रम किया था।

शासन ने उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को वैधानिक नियमानुसार निलम्बित किया। इन अध्यापकों के बकाया वेतन के भुगतान के मामले में शासन विचार कर रहा है।

कछवा बाजार, जिला मिर्जापुर में श्री जय प्रकाश नारायण के समर्थन में कथित जलूस पर पथराव

*8—श्री आशाराम यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत कछवा बाजार में 20 नवम्बर, 1974 को श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के समर्थन में निकले जलूस पर रोड़े व पत्थर फेंके गये तथा बाद में समर्थकों को गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

जनपद मिर्जापुर में स्थित कछवां बाजार में 20 नवम्बर, 1974 को श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के समर्थन में कोई जुलूस नहीं निकाला गया था। अतः जुलूस पर रोड़े व पत्थर फेंकने तथा बाद में समर्थकों को गिरफ्तार करने आदि का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रम विभाग के आई० टी० आई० के अनुसूचित जाति के छात्रों की विचाराधीन छात्रवृत्ति

*9--डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशिक (जिला आगरा)--

क्या हरिजन सहायक मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि आज की विषम महंगाई को दृष्टिगत कर विश्वविद्यालयों, डिग्री कालेजों, पोलीटेक्निक्स एवं आई० टी० आई० में प्रशिक्षण पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति की वर्तमान दरें दुगुनी कर दिये जाने का निर्णय मन्त्रिमन्डल ने अभी हाल में लिया है ? यदि हां, तो श्रम विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं पर यह निर्णय न लागू किये जाने के क्या कारण हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)--

आई० टी० आई० को छोड़कर, पालीटेक्निक और दशमोत्तर कक्षाओं के वजीफे को दुगुना कर दिया गया है। आई० टी० आई० तथा पूर्वदशम क्लासेज के वजीफे ड्योढ़े कर दिये गये हैं। श्रम विभाग के आई० टी० आई० में अनुसूचित जाति के छात्रों को जो वजीफे श्रम विभाग से दिये जाते हैं, उनकी दरें नहीं बढ़ी हैं। ऐसे अनुसूचित जाति के छात्रों को बढ़ी दर से वजीफे दिये जाने के लिये अतिरिक्त धनराशि के इन्तजाम के लिये प्रस्ताव आ गया है, जो विचाराधीन है।

[13 मार्च, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परिवहन अधिकारियों तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के मार्ग-दर्शन हेतु निर्गत किया गया आदेश

*1--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने या परिवहन आयुक्त ने सन् 1973 या 1974 में कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत ए० आर० टी० ओ० (ई०) व अन्य अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि जिसको प्रतिमास प्राइवेट मोटर बसों, टैक्सियों, मिनी बसों आदि के कम से कम 5 हजार चालान अवश्य करने होंगे, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायगी और यह आदेश किस आधार पर किये गये हैं ? यदि हां, तो उस आदेश की एक प्रति सरकार मेज पर रखेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

परिवहन आयुक्त ने एक गोपनीय गश्ती-पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1973 को सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन के लिये निर्गत किया था कि अनधिकृत संचालन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये प्रत्येक चेकिंग अधिकारी प्रति मास 500 क्वालिटी केसेज व 500 विविध प्रकार के केसेज भेजें।

उक्त गश्ती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1122 पर)

वाराणसी जिले के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्री एस० पी० मिश्र के पेशकार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2--श्री ऊदल--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बसही, थाना कैन्ट के नागरिकों ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री एस0 पी0 मिश्र के पेशकार के खिलाफ बहुत से प्रार्थना-पत्र उनके आतंक एवं गलत तरीके से मुकदमे में किसानों की जमीन हड़पने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों तथा न्याय से सम्बन्धित अधिकारियों और दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 को मुख्य मन्त्री जी को भी दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी हां, एक ऐसा शिकायती-पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1974, प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री ऊदल के पत्र दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था। इस शिकायती-पत्र पर उच्च न्यायालय तथा जिला जज के माध्यम से शासन द्वारा जांच कराई गई। कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में मामला सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लम्बित है तथा एक मामले में जिला जज के न्यायालय में निगरानी विचाराधीन है।

गांव डूंही सुंही, जिला वाराणसी के हरिजनों के लिये आवास स्थल की मांग

*3--श्री ऊदल--

क्या हरिजन सहायक मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि गांव डूंही सुंही, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के हरिजनों को आबादी हेतु जमीन देने के लिये प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 25 सितम्बर, 1974 को दिया था और उसमें तहसीलदार चकिया एवं एस0 डी0 एम0, चकिया की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था जिसमें लिखा गया है कि सपही जंगल तथा लोना बन में इन हरिजनों को बसाने हेतु जमीन दी जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच जिले के ग्राम खेरा बाजार में पुलिस की गोली से नागरिकों की मृत्यु

*4--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 7 व 8 सितम्बर, 1974 को बहराइच जिले में फखरपुर थाने के अन्तर्गत ग्राम (खेरा बाजार) गजाधरपुर में पुलिस द्वारा शान्त नागरिकों पर गोली वर्षा की गयी ? यदि हां, तो गोली चलाने का क्या कारण था तथा कितने व्यक्ति उसमें आहत हुये ? और क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त गोली कांड को कारणों की न्यायिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेममती नन्दन बहुगुणा --

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7/8 सितम्बर, 1874 की रात में ग्राम खेराबाजार, थाना फखरपुर, जिला बहराइच में थानाध्यक्ष फखरपुर के नेतृत्व में गये हुये पुलिस

कर्मचारियों के एक दल को ग्रामवासियों की उग्र भीड़ ने घेरकर मारा पीटा और धारा 342/323 भारतीय दंड विधान के एक मुकदमें के 3 अभियुक्तों को छुड़ा लिया। पुलिस दल द्वारा आत्म रक्षा में चलाई गई गोलियों से तीन व्यक्ति मारे गये और एक व्यक्ति घायल हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, फखरपुर व एक ग्रामीण की रिपोर्ट पर कायम हुये दो मुकदमों और उपरोक्त धारा 342/323 भारतीय दंड विधान के मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने के आदेश दिये थे। मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम द्वार पर कथित युवती की लाश

*5—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 25 मई, 1974 को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम द्वार के सामने किसी अज्ञात युवती की अर्धनग्न लाश मिली थी, जिसे रहस्यमय परिस्थिति में गायब कर दिया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा पूरी घटना क्या थी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

25 मई, 1974 को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम द्वार के सामने किसी अज्ञात युवती की लाश देखे जाने और बाद में रहस्यमय ढंग से गायब किये जाने की बात न तो पुलिस की जानकारी में आई है और न इस आशय की कोई सूचना पुलिस में अंकित कराई गई है।

अल्प संख्यक आयोग का गठन

*6—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो माइनारिटी कमीशन सन् 1969 में गठित किया था उसने पिछले वर्ष क्या-क्या सिफारिशें कीं और उसमें कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कीं? क्या इस कमीशन को पुनः गठित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका गठन किस आधार पर और कब तक हो जायेगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो एक सदस्यीय अल्प संख्यक आयोग 1969 में गठित हुआ था उसकी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई। इस आयोग को पुनर्गठित कर दिया गया है जिसमें प्रमुख अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के प्रतिनिधि तथा कुछ पदेन सदस्य सम्मिलित हैं।

*7—श्री सूबेदार प्रसाद—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत उत्तरित।]

अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज विद्युत् गृह द्वारा अनियमित रूप से "एसिड स्टोरेज टैंक" की खरीद

*8—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरदुआगंज (अ) विद्युत् गृह कासिमपुर, जिला अलीगढ़, में "एसिड स्टोरेज टैंक" के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में किये गये भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग तथा फर्जी कार्य से सम्बन्धित गम्भीर आरोपों से युक्त दिनांक 20 दिसम्बर, 1974 का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या-क्या हैं, आरोपों की जांच किसके द्वारा करायी गयी, आरोप किसके विरुद्ध सिद्ध हुये और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी हां। इस प्रकरण में मुख्य-मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं।

(1) कुन्ड का सही एवं कार्यशील दशा में फर्म द्वारा न भेजा जाना।

(2) कुन्ड में चुवन (लीक) होने के कारण अम्ल का बह जाना।

(3) फर्म को विद्युत् परिषद् द्वारा 90 प्रतिशत भुगतान करना।

(4) विविध अधिकारियों द्वारा कुन्ड के निरीक्षण करने में शिथिलता बरतना।

उपरोक्त आरोपों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, परिचालन एवं अनुरक्षण मन्डल "अ" विद्युत् गृह, कासिमपुर द्वारा कराई जा रही है, तथा अभी जांच पड़ताल जारी है। राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी इस सम्बन्ध में छानबीन जारी है तथा यदि आवश्यकता हुई तो फर्म के विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जायगी। प्रश्न के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है ?

गाजियाबाद के निकट हिमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में डकैती

*9—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 सितम्बर, 1974 की रात्रि को हिमाचल एक्सप्रेस पर गाजियाबाद मुरादनगर के बीच सशस्त्र डाका डाला गया ? इस घटना का विवरण क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22 सितम्बर, 1974 की रात को 10.15 बजे के लगभग जब हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन गाजियाबाद से चली तो 8.10 लड़के जो पिस्तौल व चाकू लिये हुये थे, एक डिब्बे में चढ़ गये। उन्होंने डरा धमकाकर यात्रियों से जेवर, नकदी, घड़ी आदि लूटी और वे मुरादनगर गाड़ी पहुंचने पर पीछे की तरफ से उतरकर भाग गये। इस घटना के सम्बन्ध में धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा जी0 आर0 पी0, थाना गाजियाबाद पर कायम हुआ। घटना की रात को ही पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना से कुल 9 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया तथा शेष 5 ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। मुकदमा विवेचनाधीन है।

झांसी जिले में उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली

*10—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश विद्युत् शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 और सितम्बर, 1970 की राजकीय अधिसूचना के अनुसार सितम्बर, 1970 से फरवरी, 1972 तक की अवधि में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उपभोक्ताओं को संभरित ऊर्जा पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कुछ जल विद्युत प्रभागों में उक्त उपभोक्ताओं पर लगभग 21,111 रुपये का देय विद्युत शुल्क प्रभारित नहीं किया गया और क्यों, इसके लिये कौन उत्तरदायी है? ऐसे उपभोक्ता कौन-कौन हैं तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा ऐसे विद्युत् प्रभाग कौन-कौन से हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 30 सितम्बर, 1970 की राजकीय अधिसूचना के अनुसार सितम्बर, 1970 से फरवरी, 1972 तक की अवधि में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये चार उपभोक्ताओं को संभरित एनर्जी पर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड, झांसी द्वारा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि प्रभारित नहीं की गई थी। सम्बन्धित उपभोक्ताओं की सूची संलग्न है। उक्त उपभोक्ताओं से वसूल होने वाली एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की सम्पूर्ण धनराशि रु0 20,911.23 थी जो सम्बन्धित उपभोक्ताओं से वसूल करके 7 जुलाई, 1972 को कोषागार में जमा कर दी गई है।

उपर्युक्त अधिनियम 1 सितम्बर, 1970 से लागू हो गया था परन्तु उसके अधीन निर्मित नियमावली मई, 1971 में अधिसूचित की गई थी जिसके उपरान्त ही उपर्युक्त ऊर्जा पर देय की वसूलयाबी हो सकती थी। अतः इस अनियमितता के लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की सम्पूर्ण धनराशि के जमा हो जाने के पश्चात् अब इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1224 पर)

*11—श्री श्रीनारायण—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

थानाध्यक्ष कैन्ट, जिला गोरखपुर द्वारा अल्यूमिनियम तथा तांबे के तार से लदी हुई ट्रक का पकड़ा जाना

*12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) तथा श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में दिनांक 25 जनवरी से 30 जनवरी, 1975 के बीच में विभागीय अल्यूमिनियम एवं तांबे के तार से लदी कोई दिल्ली की ट्रक लगभग दो लाख का सामान चोरी से गोरखपुर से बाहर ले जाने के प्रयास में पकड़ी गयी है? यदि हां, तो पूरा मामला क्या है? और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

दिनांक 27 जनवरी, 1975 को कुछ विभागीय कर्मचारियों की सूचना पर ट्रक नं0 2447 डी0 एच0 जी0, अल्यूमिनियम तथा तांबे के तार से लदी हुई कूड़ाघाट, गोरखपुर में थानाध्यक्ष कैन्ट, गोरखपुर द्वारा पकड़ी गई।

जैसा कि पुलिस स्टेशन से जानकारी की गई है उपरोक्त ट्रक के मालिक श्री गुरुचरन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह तथा उसके ड्राइवर गिरफ्तार किये गये थे। श्री गुरुचरन सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने श्री अवध नारायण सिंह, जूनियर इन्जीनियर यू0 पी0 एस0 ई0 बी0, सरदार नगर, गोरखपुर को उसी दिन रात्रि में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया। विभाग द्वारा उपरोक्त जूनियर इन्जीनियर को दिनांक 28 जनवरी, 1975 से तुरन्त निलम्बित कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में विभागीय जांच करने पर भी यह ज्ञात हुआ कि इस मामले में श्री हीरा लाल, सहायक भंडार नायक, विद्युत् अनुरक्षण उपखंड, प्रथम गोरखपुर का भी हाथ था। इसलिये उन्हें भी सेवा से निलम्बित कर दिया गया एवं उनका चार्ज ले लिया गया। सभी सामानों को न्यायालय से आदेश प्रसारित कराकर थाने से उठा लिया गया है एवं परिषद् के भंडार में सुरक्षित रख लिया गया है।

पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

*13-14--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

(उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कारण निरस्त)

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये जज

*15--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक न्यायिक सेवा के अनेक जिला जजों तथा अन्य जजों को सन् 1974 में कम्पलसरीली रिटायर किया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम तथा पद क्या-क्या हैं और रिटायर करने के क्या कारण हैं ? क्या इस प्रकार रिटायर किये गये जजों का वेतन बाकी है ? यदि हां, तो किसका-किसका और कब से ? तथा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 1974 में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये :--

(1) श्री बटुक देव पति त्रिपाठी, स्थानापन्न जिला एवं सेशन्स जज।
(2) श्री ईश नारायण मिश्रा, जिला एवं सेशन्स जज।
(3) श्री महेश चन्द्र गोयल, सिविल जज।
(4) श्री स्वामी सरन सक्सेना, जुडीशियल मजिस्ट्रेट।

उपरोक्त अधिकारी 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। इनके कार्य तथा आचरण की जांच किये जाने के पश्चात् यह पाया गया कि इनको और आगे सेवा में बनाये रखना जनहित में उचित नहीं है।

इन अधिकारियों की वेतन सम्बन्धी सूचना महालेखाकार से मांगी गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

*16—श्री त्रिवेणी सहाय—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत उत्तरित]

*17—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[7वें सोमवार में प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित]

जिलाधिकारियों द्वारा मीसा के अन्तर्गत भेजे गये मामले पर सरकार का अनुमोदन

*18—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मास अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1974 में जिलाधिकारियों द्वारा भेजे गये मीसा के अधीन कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुये ? उनमें कितनों को मंजूरी नहीं दी गयी ? जिनको मंजूरी नहीं दी गयी उनके नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1974 तक जिलाधिकारियों से मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध 82 व्यक्तियों के मामले राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुये थे। इन 82 मामलों में से 16 मामलों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया था। इन 16 व्यक्तियों के नाम तथा आरोप निम्न तालिका में दिये गये हैं :

क्रमांक	जिला	नाम	आरोप
1	2	3	4
1	आजमगढ़	श्री द्वारिका प्रसाद	सोने की तस्करी करने
2	आजमगढ़	श्री मेवा लाल	सोने की तस्करी करने
3	देहरादून	श्री सुखदेव	सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
4	एटा	श्री डूंगर	जन जीवन के लिये आवश्यक संभरण एवं सेवाओं के प्रतिकूल कार्यवाही करने के कारण।
5	एटा	श्री मोहर सिंह	,, ,,
6	एटा	श्री रोशन लाल	,, ,,
7	एटा	श्री देवी प्रसाद	,, ,,
8	एटा	श्री गोपाल दास	,, ,,
9	एटा	श्री महेश	,, ,,
10	एटा	श्री राम रक्षपाल	,, ,,
11	एटा	श्री सुरेन्द्र कुमार	,, ,,
12	एटा	श्री राम निवास	,, ,,
13	एटा	श्री सूरज प्रसाद	,, ,,
14	एटा	श्री सत्य प्रकाश	,, ,,
15	एटा	श्री दया प्रकाश	,, ,,
16	बरेली	श्री सीता राम	सोने की तस्करी करने

*19—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

(मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के फलस्वरूप निरस्त)

जिला गोरखपुर के फर्टिलाइजर करखाना मजदूर यूनियन के मन्त्री की गिरफ्तारी

*20—श्री हरिकेवल (जिल देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 23 अक्तूबर, 1974 को मन्त्री, फर्टीलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन, गोरखपुर को फैक्टरी गेट पर सभा करने की अनुमति जिलाधिकारी गोरखपुर ने दी थी? यदि हां, तो सभा स्थल पर थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तारी किये जाने का क्या कारण था? क्या इस सम्बन्ध में 25 अक्तूबर, 1974 को उक्त मन्त्री का कोई पत्र मुख्य मन्त्री एवं गृह सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी हां, जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर ने दिनांक 22 अक्तूबर, 1974 के आदेश द्वारा मन्त्री फर्टीलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन को दिनांक 23 अक्तूबर, 1974 को सायंकाल 5 बजे फर्टीलाइजर फैक्टरी गेट के पास आम सभा करने की अनुमति दी थी। किन्तु दिनांक 23 अक्तूबर, 1974 को प्रात: जिला मजिस्ट्रेट ने 22 अक्तूबर, 1974 के अपने आदेशों को संशोधित कर दिया और यह आदेश दिया कि सभा फर्टीलाइजर फैक्टरी गेट के पास न करके उस स्थान पर की जाय जो स्थान फर्टीलाइजर मैनेजमेंट द्वारा निश्चित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के संशोधित आदेशों का उल्लंघन करके फैक्टरी गेट पर ही सभा करने पर फर्टीलाइजर कारखाना यूनियन के मन्त्री को उनके चार सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में उक्त मजदूर यूनियन के मन्त्री का एक पत्र दिनांक 25 अक्तूबर, 1974 को शासन को प्राप्त हुआ था जिसे किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराकर यथोचित कार्यवाही करने तथा शासन को रिपोर्ट हेतु पुलिस महानिरीक्षक को भेजा गया है।

मुरादाबाद शहर में गोली-कांड

*21—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 21/22 अक्तूबर, 1974 को मुरादाबाद जिले के हरामगंज तहसील में पुलिस की गोली से चार व्यक्ति मारे गये तथा अनेक घायल हुये? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी नहीं, दिनांक 21/22 अक्तूबर, 1974 को मुरादाबाद जिले की तहसील हसनपुर में हुई घटनाओं में पुलिस की गोली से न कोई व्यक्ति मरा और न घायल हुआ।

घटनाओं का विवरण संलग्न है। मामले में मैजिस्टीरियल जांच हो रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1325 पर)

*22—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[5वें बुधवार में प्रश्न संख्या 17 पर स्थानान्तरित]

*23—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[परिवहन निगम से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

गाजियाबाद में अबोध बालिकाओं की हत्या

*24—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में हसना गेट क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में 3 (तीन) अबोध बालिकाओं को गायब किया गया और उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में गाजियाबाद में अबोध बालिकाओं के गायब हो जाने की तीन घटनायें हुई जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) दिनांक 10 मई, 1974 को श्री मोहम्मद उमर के द्वारा थाना गाजियाबाद पर कुमारी फर्जाना (आयु लगभग 6-7 वर्ष) के गुम होने के बारे में दी गई सूचना के आधार पर अपराध संख्या 217, धारा 363/368 भा0 दं0 वि0 कायम किया गया। काफी प्रयास के उपरान्त भी लापता लड़की का कुछ पता नहीं चला। विवेचना के बाद नामजद अभियुक्त का चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

(2) दिनांक 31 मई, 1974 को श्री सुन्दरलाल, निवासी नयागंज, गाजियाबाद ने थाना गाजियाबाद पर सूचना दी कि उनकी पुत्री कुमारी लक्ष्मी (उम्र करीब 6 वर्ष) दिनांक 30 मई, 1974 से लापता है। इस सूचना पर थाने पर दरयाफ्त हाल अंकित कर जांच की गई। उक्त लापता लड़की का शव दिनांक 6 जून, 1974 को एक मेनहोल में पड़ा पाया गया। जिसके आधार पर धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम हुआ। लाश के अधिक सड़ जाने के कारण पोस्ट मार्टम से मृत्यु के कारण अथवा बलात्कार की बात की तस्दीक नहीं की जा सकी। पुलिस द्वारा प्रयास के बाद भी अभियुक्त का कुछ पता नहीं चल सका। मुकदमें की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त हो गई।

(3) दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 को श्री जहूर, निवासी मोहल्ला पक्की मोरी ने थाना सिहानी गेट पर कुमारी बबली, उम्र 4 वर्ष जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1974 से लापता थी, का शव दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 को पटेल मार्ग के पास पाये जाने की सूचना दी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्राप्ति पर दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 को धारा 376/302 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा दायर किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसका चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

*25—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

(5वें गुरुवार के लिये स्थगित)

कानपुर जिले के थाना सचेंडी के हेड कांस्टेबिल द्वारा एक गाड़ीवान को मारने-पीटने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*26—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या यह सत्य है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1974 को थाना सचेंडी, जिला कानपुर के हेड कांस्टेबिल तथा अन्य व्यक्तियों ने मिलकर एक गरीब गाड़ीवान को इतना मारा था कि वह मरणासन्न हो गया था और जिस घटना की रिपोर्ट थाना सचेंडी में नहीं लिखे जाने पर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, कानपुर को रजिस्टर्ड डाक से उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 को तथा इसी घटना के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर के आदेश सहित शिकायती पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 व 23 दिसम्बर, 1974 व 17 जनवरी 1975 को भी प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा प्रश्नगत रिपोर्ट पर मकदमा अंकित किस तिथि को किन धाराओं के अन्तर्गत करा कर क्या कार्यवाही करायी गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा-

थाना सचेंडी की पुलिस व अन्य के विरुद्ध एक गाड़ीवान को दिनांक 16 दिसम्बर, 1974 को मारने-पीटने आदि की शिकायत से सम्बन्धित श्री राम किशोर तिवारी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1974, 18 दिसम्बर, 1974 व 23 दिसम्बर, 1974 सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुये थे। प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच कराई जा रही है तथा एक मुकदमा भी दिनांक 5 मार्च, 1975 को धारा 342/409/323 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज करा दिया गया है। विवेचना विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा की जा रही है।

राज्य विद्युत परिषद, देवरिया के कार्यालय में घटित घटना से सम्बन्धित जांच-आयोग

*27—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 17 सितम्बर, 1974 को अधिशासी अभियन्ता, हाईड्रोइलेक्ट्रिक डिवीजन, उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत परिषद, देवरिया के कार्यालय में घटित घटना के सम्बन्ध में एक सदस्यीय जांच आयोग राज्य सरकार द्वारा बैठाया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। चूंकि घटना के सम्बन्ध में आरोप तथा प्रत्यारोप लगाये गये थे, अतः विवाद की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये जांच आयोग का गठन किया गया है।

*28—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चारबाग, लखनऊ के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान

*29—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चारबाग, लखनऊ के हरिजन छात्रों को 1973-74 की छात्रवृत्ति अभी तक प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार छात्रवृत्ति तुरन्त दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई —

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चारबाग, लखनऊ के एक हरिजन छात्र को छोड़कर सभी हरिजन छात्रों को वर्ष 1973-74 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है।

एन० पी० ओ० एच० डिपो, उत्तर रेलवे, सुल्तानपुर को बिजली की आपूर्ति

*30—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या एन० पी० ओ० एच० डिपो, उत्तर रेलवे, सुल्तानपुर को अप्रैल, 1974 तक पूरे दिन तक बराबर बिजली दी जाती थी ? यदि हां, तो अब बराबर बिजली दी जानी क्यों बन्द कर दी गई है ? क्या इस कारखाने की उपयोगिता एवं महत्व को देखते हुये सरकार पुन: तत्काल इसे बराबर बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी हां, इस संस्थान को पहले पूरे दिन बिजली दी जाती थी। एन० पी० ओ० एच० डिपो, उत्तर रेलवे, सुल्तानपुर एक 11 के० वी० रूरल पोषक पर है और आजकल रूरल पोषक के समयानुसार ही इसको बिजली मिल रही है। पहले शेष लाइन को एक स्वीच (जो कि इस संस्थान के पास लगा है) द्वारा खोला जाता था और बिजली इस संस्थान को 24 घंटे दी जाती थी जैसा कि प्रदेश में बहुत से स्थानों पर होता था। परन्तु यह व्यवस्था ठीक नहीं रही क्योंकि इसमें दुर्घटना होने की सम्भावना रहती थी और गांव वाले स्वीच को खुद ही चालू कर लेते थे इसलिये अब नियम बदल दिया गया है। अब ऐसे स्वीच द्वारा बिजली नहीं काटी जाती है और अब बिजली घर से ही बिजली काटी जाती है। इस अधिष्ठान को पूरे दिन बिजली देना तभी सम्भव है जब यह एक स्वतन्त्र विद्युत पोषक पर हो। इसके लिये विभाग द्वारा उत्तर रेलवे के अधिकारियों को अनुमानित व्यय (रु० 63,135.00) पत्र द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। जैसे ही उत्तर रेलवे अनुमानित धनराशि जमा कर देगी, स्वतन्त्र पोषक का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

टिहरी-गढ़वाल जिले की पेयजल योजनायें

*31—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद टिहरी-गढ़वाल में कई लाख मूल्य की पेयजल योजना में बरती गई विभागीय अनियमितता पर शासन ने अपने पत्रांक 5502/9-4-7-री-(2)-73, दिनांक 4 अक्तूबर, 1973 के अन्तर्गत जो जांच के ब्योरे मांगे थे, वे शासन को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से इन योजनाओं से लाखों रुपये का व्यय होने पर भी पानी नहीं प्राप्त हो रहा है ? और शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

माननीय सदस्य द्वारा मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 5 मई, 1974 को जिन टेहरी जनपद की सात पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा अनियमिततायें किये जाने का उल्लेख किया उन्हीं के सम्बन्ध में सदस्य महोदय को प्रश्न में उल्लिखित पत्रांक दिनांक 4 अक्तूबर, 1974 में सूचित किया गया

था कि जांच के ब्योरे मांगे गये हैं। वे अब प्राप्त हो गये हैं और उनके अनुसार प्रत्येक योजना की स्थिति संलग्नक में वर्णित कर दी गयी है। वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि जिन गांवों में पानी नहीं पहुंच सका है वह तत्कालीन अनुमानित लागत से प्राक्कलन की लागत बढ़ने, या मूल स्रोत में पानी की कमी होने की वजह से हुआ है। उनमें पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1226 पर)

कानपुर जिले के विकास खंड, डेरापुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण

*32—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड डेरापुर में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के जरिये विद्युतीकरण की योजना चल रही है। यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण योजना क्या है तथा अब तक कौन-कौन लाइन बनायी गयी तथा किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हो गया है? यदि हां, तो यह स्कीम कब तक पूर्ण होगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ पर।)

गोरखपुर जिले के श्री गुलाब सिंह यादव की गिरफ्तारी

*33—श्री मधुकर दिवे—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोरखपुर के राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री गुलाब यादव जनपद को दिनांक 1 सितम्बर, 1974 को भारत सुरक्षा कानून की धारा 36/33 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो क्या यह राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार न करने के शासन के आश्वासन का उल्लंघन नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं, श्री गुलाब यादव को उनकी राजनैतिक गतिविधियों के कारण बन्दी नहीं बनाया गया वरन् धारा 395/147/426 भा0 दं0 वि0 तथा 36/43 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत दिनांक 1 सितम्बर, 1974 को उन्हें 10 अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया।

*34—श्री गुलाब सेहरा—

(स्पष्टीकरण के हेतु हटाया गया)

[कानपुर जिले के ग्राम बेहटा के हरिजनों की गिरफ्तारी

*35—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बेहटा, थाना शिवराजपुर, जिला कानपुर निवासी तीन हरिजनों को अपराध संख्या 273 पर पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य धारा 182/201/195 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 27 नवम्बर, 1974 को गिरफ्तार करके थाना

शिवराजपुर में बन्द करके जेल भेजा गया है यदि हां, तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम व पद क्या है तथा उनके द्वारा उपरोक्त हरिजनों की गिरफ्तारी के पूर्व उक्त मुकदमें की विवेचना करने के लिये मजिस्ट्रेट से आदेश किस तिथि को प्राप्त किये गये थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 नवम्बर, 1974 को श्री देवेन्द्र किशोर पंडा, सहायक पुलिस अधीक्षक, कानपुर द्वारा ग्राम बेहटा थाना शिवराजपुर, कानपुर के निवासी सर्वश्री हीरा लाल तथा राम लाल को अपराध संख्या 273 के सम्बन्ध में गिरफ्तार करके दिनांक 27 नवम्बर, 1974 को जेल भेजा गया। इसी अपराध में दिनांक 28 नवम्बर, 1974 को एक अन्य अभियुक्त श्री हनुमान को गिरफ्तार करके दिनांक 29 नवम्बर, 1974 को जेल भेजा गया। इस मामले की कानूनी स्थिति का परीक्षण कराया जा रहा है।

फतेहपुर जिले के चौडगरा निवासी श्री देशराज शर्मा के मकान में पुलिस चौकी का कायम होना तथा किराया का प्रश्न

*36--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि श्री देशराज शर्मा, पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी बिन्दकी रोड, चौडगरा, थाना कल्याणपुर, जिला फतेहपुर का मकान किराये पर लेकर मई, सन् 1971 को पुलिस चौकी कायम की गई थी और यह चौकी मार्च, 1973 तक वहीं कायम रही ? किन्तु उक्त मकान मालिक को उक्त अवधि का किराया नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उक्त मकान मालिक को किराया न देने के क्या कारण हैं और अब यह किराया कब अदा कर दिया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

श्री देशराज शर्मा ने पुलिस चौकी चौडगरा के लिये अपना मकान बिना किराया के स्वेच्छा से दिया था। अत: किराया अदा करने का प्रश्न नहीं उठता है।

विष्णुपुरी कालोनी लखनऊ का निर्माण

*37--श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

विधान सभा द्वितीय सत्र 11 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न सं 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विष्णुपुरी कालोनी, कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हेतु बन रहे सरकारी क्वार्टरों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा उक्त क्वार्टर पूर्णतया कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे और उनका आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी हां।

क्वार्टरों का निर्माण धनाभाव के कारण रोक दिया गया है। धन उपलब्ध होने के पश्चात् इन क्वार्टरों का निर्माण पूर्ण होने में 2 से 8 माह तक का समय लगेगा। क्वार्टर बन जाने के पश्चात् ही उनका आवंटन किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री नारायण सिंह—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ की मांग

2—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मन्त्री (उच्च) बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 को विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के शिक्षक संघ का शिष्ट मन्डल मुख्य मन्त्री जी से मिला? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और सरकार ने उन्हें कहां तक पूरा किया?

श्री रामजी लाल सहायक—

दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का एक प्रतिनिधि मन्डल मुख्य मन्त्री जी से मिला था। उनकी मांगें तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1229 पर।)

विश्वविद्यालयों के तदर्थ कार्य परिषद् एवं शिक्षा परिषद् में हरिजन सदस्य

3—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 के बीच प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों के तदर्थ कार्य परिषद् प्रबन्ध समिति कोर्ट आदि के लिये सदस्यों का मनोनयन सरकार ने किया है? तथा उस मनोनयन में हरिजन सदस्यों की संख्या कितनी है?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, काशी विद्यापीठ वाराणसी की अन्तरिम तदर्थ कार्य परिषद् एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की तदर्थ कार्य परिषद् तथा तदर्थ शिक्षा परिषद् का गठन किया गया। इसमें कोई सदस्य हरिजन नहीं है।

बहराइच जिले के कतिपय स्थानों में डी० आई० आर० के अन्तर्गत दर्ज अभियोग

4—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले के थाना भिगां, सिरसिया एवं इकौना में वर्ष 1974 में कितने डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत मामले किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ लागू किये और उनमें से विवेचनोपरान्त कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्ष 1974 में बहराइच जिले के थाना भिन्गा, तथा सिरसिया में धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट तथा 125 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत क्रमशः तीन तथा दो अभियोग पंजीकृत

हुये जिनके विषय में वांछित विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित है :

नाम थाना	मुकदमा-अपराध संख्या	नाम अभियुक्त
भिन्गा ..	(1) 28 ..	(1) मिश्री लाल
		(2) दुर्गा प्रसाद
		(3) राम बहादुर
भिन्गा ..	(2) 35 ..	(1) सुखदेव
		(2) मोती राम
भिन्गा ..	(3) 258 ..	(1) राधेश्याम
		(2) हरद्वार
		(3) किन्नू लाल
		(4) धनी राम
सिरसिया ..	(1) 109 ..	छोटे लाल
सिरसिया ..	(2) 110 ..	बेचई राम

उक्त पांचों अभियोगों में से अभी तक किसी में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई गई।

थाना इकौना के अन्तर्गत वर्ष 1974 में डी0 आई0 आर0 के अधीन कोई अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया।

राजकीय वायुयानों की मरम्मत

5—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के दो पुराने वायुयान (बी0टी0सी0 जे0बी0 तथा बी0टी0सी0आई0 जे0) मरम्मत के लिये हिन्द फ्लाइंग क्लब, लखनऊ के पास कब से पड़े हैं ? मरम्मत हेतु कितना रुपया दिया जा चुका है ? मरम्मत का ठेका कितने रुपये पर हुआ है ? वायुयानों की मरम्मत शर्तों के अनुसार कब तक हो जानी चाहिये थी तथा कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

वायुयान बी0टी0सी0जे0बी0 दिनांक 1 मार्च, 1966 से तथा बी0टी0सी0 आई0 जे0 दिनांक 10 जनवरी, 1968 से। इन दोनों वायुयानों की मरम्मत के लिये 2,44,570 रु0 की धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर स्वीकृत किया गया है। वायुयानों की मरम्मत अत्यन्त ही तकनीकी प्रवृत्ति की होती है। मार्च, 1975 के अन्त तक इनकी मरम्मत सम्पन्न हो जाने की सम्भावना है।

वाराणसी जिले के होम गार्ड के सिपाहियों के विरुद्ध रुपया छीनने की शिकायत

6—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में वाराणसी जिले में कितने होम गार्ड के सिपाहियों के विरुद्ध लोगों को डरा तथा धोखा देकर सामान तथा रुपया छीनने की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

19 अक्तूबर, 1974 को होमगार्ड के एक अवैतनिक सिपाही श्री शारदा प्रसाद उपाध्याय तथा एक अवैतनिक प्लाटून कमान्डर श्री हरिहर नाथ तिवारी के विरुद्ध मुहम्मद रसीद द्वारा पुलिस में धारा 392 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत रु0 112 छीनने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

पुलिस द्वारा उनका चालान हो चुका है।

7--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

8--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

शिक्षित बरोजगारों को दिया गया रोजगार

9--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974-75 में कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की योजना थी और अभी तक कितने को रोजगार दिया गया? अगर लक्ष्य से कम को रोजगार दिया गया, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

वर्ष 1974-75 के लिये योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये इंगित 340 लाख रु0 के परिव्यय की योजनायें योजना आयोग को भेजी गई थीं जिन पर आयोग की स्वीकृति 15 जनवरी, 1975 को प्राप्त हुई। इन योजनाओं के माध्यम से कताई मिलों में 48 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर खपाने तथा 16,718 व्यक्तियों को स्वत: रोजगार की अन्य योजनाओं में लगाने का लक्ष्य है। ये योजनायें इम्पलायमेंट प्रोमोशन प्रोग्राम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये बनायी गयी हैं। अभी तक भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण किसी भी व्यक्ति को रोजगार में लगाना सम्भव नहीं हो सका है।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के बंगले की भूमि पर की गयी कृषि से आय

10--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद के बंगले में कितनी एकड़ भूमि है और सन् 1972, 1973, 1974 तथा 1975 में इस जमीन पर कितने मूल्य का गेहूं, चना, धान आदि फसलें इस बीच में पैदा की गईं और इन फसलों द्वारा की गई आमदनी का कुल कितना रुपया कहां जमा किया गया है? 1972 से 1975 तक का अलग-अलग विवरण बतलाने की कृपा की जाय?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

सूचना एकत्रित की जा रही है।

थानाध्यक्ष, सादुल्लानगर, जिला गोंडा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

11--श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 जनवरी, 1975 को प्रश्नकर्ता के दो शिकायती-पत्र विरुद्ध थानेदार, सादुल्लानगर श्री बीरबल सिंह गोंडा

के सम्बन्ध में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों की जांच किससे कराई जा रही है ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

जनपद गोंडा के थाना सादुल्लानगर के थानाध्यक्ष श्री बीरबल सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता श्री त्रिवेणी सहाय के दो शिकायती-पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1975 को प्राप्त हुये थे। उक्त शिकायती पत्रों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, गोंडा द्वारा की गई। जांच से थानाध्यक्ष, सादुल्लानगर के विरुद्ध की गई शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

राजकीय अंध विद्यालय के छात्रावासी छात्रों की छात्रवृत्ति

12--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार लखनऊ स्थित राजकीय अन्ध विद्यालय के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि इस विद्यालय के छात्रावास में किस आकार के कुल कितने कमरे हैं तथा छात्रावास में रहने के लिये कितने छात्रों को भर्ती किया गया है ? प्रत्येक छात्र को खाने-पहनने-ओढ़ने आदि के लिये कुल कितने रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति दी जाती है और क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में जुलाई, 1974 से हाई स्कूल कक्षायें खोल दी गयी हैं ? यदि हां, तो पढ़ाने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति किस तिथि को की गयी ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई --

राजकीय अन्ध विद्यालय के छात्रावास में कुल 5 कमरे हैं। जिनकी लम्बाई तथा चौड़ाई क्रमश: 15 फीट बाई 10 फीट है। इस वर्ष छात्रावास में कुल 50 छात्रों को प्रवेश प्रदान किया गया। छात्रावास छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय 200 रुपये से कम है, को 40 रुपये प्रति छात्र प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे छात्रावासी छात्रों के खाने, पीने का व्यय वहन किया जाता है। पहनने, ओढ़ने की जिम्मेदारी छात्रों के अभिभावकों की होती है। यह सही है कि जुलाई, 1974 से कक्षा 9 खोली गई है क्योंकि शैक्षिक सत्र जुलाई से प्रारम्भ होता है और केवल कक्षा 9 में छात्रों को प्रवेश प्रदान किया गया है। अध्यापक के नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कक्षा 9 के छात्रों को पढ़ाने के लिये विद्यालय में ही आन्तरिक व्यवस्था कर दी गई है।

शाहजहांपुर जिले के थाना सिधौली के अन्तर्गत कत्ल की घटनायें

13--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के थाना सिधौली में दिनांक 1 जनवरी, 1972 से 1 मई, 1974 तक कितने और किन-किन लोगों के कत्ल हुये ? जो लोग कत्ल के अपराध में पकड़े गये उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 123 पर।)

रीजनल ट्रान्सपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल, लखनऊ में लम्बित मुकदमें

14—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आर0 टी0 एम0 (रीजनल ट्रांसपोर्ट मजिस्ट्रेट) एवं स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल, लखनऊ में दिनांक 31 मार्च, 1974 एवं 31 दिसम्बर, 1974 को प्रत्येक में कितने मुकदमों और अपीलों पर निर्णय लेना अवशेष था ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मुकदमों और अपीलों पर निर्णय लेना निम्न प्रकार से अवशेष था :—

	दिनांक 31-3-74	दिनांक 31-12-74
रीजनल ट्रांसपोर्ट मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में ..	75,494	63,606
ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल	1,330	840

परिक्षेत्र फैजाबाद के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त सब-इन्सपेक्टर एवं उनकी प्राविजनल पेंशन तथा ग्राह्य उपादान

15—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि परिक्षेत्र फैजाबाद के बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़ जनपदों में कितने सब-इन्सपेक्टर दिनांक 1 सितम्बर, 1974 के बाद से अब तक कम्पलसरी रिटायर्ड किये गये, उनके नाम क्या हैं तथा किस तिथि से रिटायर्ड किये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

फैजाबाद परिक्षेत्र के बहराइच, गोंडा व प्रतापगढ़ जनपदों में क्रमशः 1, 3 व 2 कुल 6 सब इन्सपेक्टर्स दिनांक 1 सितम्बर, 1974 के बाद से अब तक अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये हैं। इन सब-इंसपेक्टरों के नाम व सेवा-निवृत्ति की तिथि संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 1233 पर।)

16—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कोई जी0 ओ0 ऐसा है कि राज्य कर्मचारी के रिटायर्ड होने के पश्चात् 13 माह की वेतन का 3/4 पुलिस अधीक्षक जनपद ही उस कर्मचारी को दें ? यदि हां, तो किस तिथि में दिया गया अगर नहीं दिया गया तो किन कारणों से ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 919(1) के अनुसार यदि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी उसका पेंशन प्रकरण महालेखाकार को अग्रसारित किये जाने के पश्चात् निर्धारित घोषणा-पत्र देता है तो वेतन आहरण अधिकारी द्वारा उसे छः माह का प्राविजनल पेंशन तथा ग्राह्य उपादान से 3/4 भाग का भुगतान किया जा सकता है ? शेष वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

जालौन जिले के ग्राम कहचूरा के किसानों द्वारा नहर विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

17—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के ग्राम कहचूरा के तमाम किसानों ने थाना जालौन में दिनांक 8 नवम्बर, 1974 को रिपोर्ट लिखाई थी कि नहर विभाग के कर्मचारियों ने उनकी नाजायज तरीके से हरी फसल काटकर नष्ट कर दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

दिनांक 9 नवम्बर, 1974 को ग्राम कहचूरा, जिला जालौन के सर्वश्री कामता प्रसाद व जसरथ सिंह ने थाना जालौन पर नहर विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध क्रमश: 100 रु0 व 75 रुपया मूल्य की अपनी हरी फसल के नुकसान किये जाने की रिपोर्ट धारा 427, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत लिखाई थी। धारा 427, भारतीय दंड विधान का अपराध गैर दस्तन्दाजी पुलिस होने के कारण उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

18—श्री हरिकेवल—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

विधान सभा मण्डप को वातानुकूलित करने के सम्बन्ध में व्यय की गई धनराशि

20—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप को वातानुकूलित करने में कुल कितना व्यय-भार सरकार पर पड़ा है तथा वातानुकूलित मशीन किस कम्पनी से खरीदी गई है और इस पर प्रतिमास कितना आवर्तक रिकरिंग, व्यय-भार पड़ रहा है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

विधान सभा तथा विधान परिषद् दोनों मण्डपों को एक साथ वातानुकूलित कराया गया है और दोनों के संयन्त्र एक में मिले (कामन) हैं ? इस कार्य की शासन द्वारा स्वीकृत लागत 14.08 लाख रुपये है जिसमें से दिनांक 31 जनवरी, 1975 तक 12.20 लाख रुपया व्यय हुआ है। वातानुकूलित मशीनें मेसर्स वोल्टाज ने लगाई हैं। इस कार्य पर सत्र के दिनों में लगभग 10 हजार रुपये और जब सत्र नहीं होता है तब लगभग 2,500 रुपये प्रतिमास आवर्तक व्यय होता है।

गाजियाबाद नगर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र व पत्रिकाओं को दिया गया सरकारी विज्ञापन

21—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद नगर से कितनी साप्ताहिक पत्र, पत्रिकायें निकलती हैं और उनका कितना-कितना प्रकाशन तथा वितरण है और कौन-कौन सी पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिया जाता है ? विज्ञापन देने का आधार क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

गाजियाबाद से संलग्न सूची में उल्लिखित 21 साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं। सूची में पत्रों की उपलब्ध वितरण संख्या भी अंकित है। इनमें से निम्नलिखित पत्र नियमित रूप से सरकारी विज्ञापनों के लिये स्वीकृत हैं —

(1) गाजियाबाद समाचार
(2) सौम्य सन्देश
(3) युग करवट।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित साप्ताहिक पत्रों को भी, जो नियमित रूप से विज्ञापनों के लिये स्वीकृत नहीं हैं, समय-समय पर फुटकर विज्ञापन दिये जाते हैं —

(1) लोक सन्देश
(2) मुक्ति युद्ध
(3) कर्ण
(4) प्रलयंकर।

सरकारी विज्ञापनों की नियमित सूची में साप्ताहिक पत्रों को निम्नलिखित आधार पर रक्खा जाता है :—

पत्र का आकार कम से कम 38×25 सेन्टीमीटर होना चाहिये और प्रत्येक अंक 4 पृष्ठ से कम न होना चाहिये, पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति सप्ताह होना चाहिये, पत्र का प्रकाशन गत 6 मास से नियमित रूप से होना चाहिये तथा पत्र में ऐसे समाचार जिनसे जनता में असन्तोष तथा साम्प्रदायिकता फैलने की सम्भावना हो अथवा अश्लील, व्यक्तिगत एवं चरित्र पर आक्षेप करने वाले प्रकाशित न होते हों।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 1234 पर।)

मिर्जापुर जिले में विभिन्न आग्नेयास्त्रों का दिया गया लाइसेंस

22—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा†श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में मार्च, 1974 से 15 जनवरी, 1975 तक किन-किन व्यक्तियों को बन्दूक, पिस्टल, रिवाल्वर तथा राइफल का लाइसेंस प्रदान किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना†संलग्न है।

कानपुर जिले की घाटमपुर व भोगनीपुर तहसीलों में बिजली की आपूर्ति

23—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत घाटमपुर व भोगनीपुर तहसील में जनवरी, 1974 से जुलाई, 1974 तक कितने यूनिट बिजली दी गयी है और प्रतिदिन 6 घंटा से कम सप्लाई हुयी है या अधिक ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

कानपुर जिले के घाटमपुर व भोगनीपुर तहसीलों में जनवरी, 1974 से जुलाई, 1974 तक 22,05,353 यूनिट बिजली दी गई तथा विद्युत् सप्लाई के औसत घंटे निम्न-लिखित रहे—

(1) घाटमपुर तहसील को 33 के0 वी0 विद्युत् उपगृह घाटमपुर से औसतन 8 घंटे बिजली मिली।

(2) भोगनीपुर तहसील को 33 के0 वी0 विद्युत् उपगृह पुखरांया से औसतन 8 घंटे बिजली मिली।

अत : उपरोक्त से विदित है कि प्रतिदिन औसतन 6 घंटे से अधिक बिजली दी गई।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद के जिलाधिकारी.....

अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। मैंने इसीलिये निवेदन किया था कि प्रश्नों के समय नहीं हो (व्यवधान) अब तो प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। यही नहीं आपका प्रश्न पहला, दूसरा प्रश्न और फिर नत्थी 'ग' का माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का प्रश्न ये तीन प्रश्न बहुत जरुरी थे। जो प्रश्न काल होता है उसमें कोई और सवाल नहीं उठाना चाहिये इससे नुकसान होता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वह जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जवाब नहीं दे रहे हैं। अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसका जवाब दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो जाता है। मैं संकेत करता हूं आप नहीं सुनते हैं। आप जब सहयोग करेंगे तो यह प्रश्न और दो और प्रश्न महत्वपूर्ण थे हो जाते। मैं पढ़ कर आता हूं और चाहता हूं कि कहां तक उत्तर दिया जाय। लेकिन आप सहयोग करेंगे तभी तो वह सामने आयेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आश्वासन दिला दीजिये। इसमें स्थिति यह है कि 5-5 विधायक मौके पर गये और वहां के जिलाधिकारी ने बिल्कुल झूठा उत्तर भेज दिया सरकार के पास।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष--

अब मैं माननीय सदन की सूचना के लिये राज्यपाल महोदय का पत्र जो उन्होंने मुझे संबोधित कर के भेजा है और जो आपके धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भेजा है उसको पढ़ता हूं :--

"मैं आपके पत्र दिनांक फरवरी, 1975 के लिये जिसे आपने तथा सदन के सचिव ने स्वयं आकर मुझे भेंट किया अनुगृहीत हूं। मैंने विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण 18 फरवरी, 1975 को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की 24 फरवरी, 1975 की बैठक में तद्-विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यावाद की जो अभिव्यक्ति की है उसे मैंने परम-संतोष पूर्वक प्राप्त किया। उसमें निहित भावना के लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

म० चेन्ना रेड्डी।"

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

एक सदस्य--

मेरा प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है। दिनांक 21 फरवरी, 1975 को मैंने प्रश्न भेजा था।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों को डिप्टी स्पीकर साहब देखते हैं। उसके बारे में आप कक्ष में बताइयेगा। वे आपको संतुष्ट कर देंगे। कोई बात होगी तो सम्बन्धित अधिकारी से पूछ भी लिया जायेगा।

आश्वासन समिति का 40वां प्रतिवेदन

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में 26 फरवरी, 1970 से 14 अगस्त, 1972 की अवधि के उन 249 आश्वासनों की वर्तमान स्थिति अंकित है, जो समिति के 39वें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे।

आश्वासनों की पूर्ति में विलम्ब होने से उसका महत्व समाप्त हो जाता है। जैसा कि विदित ही है आश्वासनों की पूर्ति हेतु समिति ने 3 माह का समय निश्चित किया है, परन्तु व्यावहारिक रूप में समिति ने यह अवलोकित किया है कि 30 से 35 प्रतिशत आश्वासन ही समिति द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण हो पाते हैं। समिति के मत से इस स्थिति को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता, इसमें गति लाने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने यह अवलोकन किया है कि आश्वासनों की अद्यावधिक स्थित बतलाने हेतु उनके सम्बद्ध विभागों को बार-बार स्मरण कराया गया। फिर भी उनसे वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई, अथवा सम्बन्धित विभागों ने उसे भेजने की ओर ध्यान नहीं दिया है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु नीचे एक दो आश्वासनों का उल्लेख किया जा रहा है:—

विधान सभा में दिनांक 3 जून, 1970 को यह आश्वासन (सं0 324/70) दिया गया था कि शारदा सहायक परियोजनान्तर्गत फीडर नहर के निर्माण में जिन कृषकों की भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है उन्हें बाजार भाव से मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है। उपरोक्त आश्वासन के सम्बन्ध में 16 जून 1971 को जब सचिव, सिंचाई विभाग समिति के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने हेतु उपस्थित हुये थे उस समय उनका ध्यान समिति के उपरिलिखित संस्तुति की ओर आकृष्ट करके उस पर विचार करने का निर्देश दिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 14 जून, 1972; 17 जुलाई, 1972; 24 अगस्त, 1972; 21 अक्तूबर, 1972 तथा 23 मार्च, 1973 को स्मरण कराने के उपरान्त भी उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। अतः विवश होकर समिति को पुनः विभागीय सचिव को बुलाने का निश्चय करना पड़ा। फिर भी प्रश्न विचार धीन रहा। खेद का विषय है कि समिति की उपरोक्त संस्तुति पर शासन ने अभी तक अपने निर्णय से समिति को अवगत नहीं कराया।

इसी प्रकार लखनऊ नगर महापालिका को मैनहोल ढक्कनों की सप्लाई में की गयी गड़बड़ी की जांच कराने का आश्वासन सदन में दिनांक 31 अगस्त, 1971 को दिया गया है। इसके उपरान्त दिनांक 14 जुलाई, 1972; 16 सितम्बर, 1972; 1 दिसम्बर, 1972; 23 जनवरी, 1973 को स्मरण कराने पर भी जब शासन से कोई अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, समिति ने निश्चय किया कि विभागीय सचिव स्वयं समिति के समक्ष उपस्थित होकर आश्वासन की वर्तमान स्थिति बतलायें। तदनुसार सचिव, नगरपालिका विभाग 16 फरवरी, 1973 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये थे, परन्तु आश्वासन की पूर्ति उस समय तक भी नहीं हो सकी थी। अतः उन्हें निर्देश दिया गया कि वह 5 दिन के अन्दर विस्तृत सूचना समिति को भेज दें। वांछित सूचना के लिये उन्हें दिनांक 23-4-73, 21-6-73, 14-8-73, 1-10-73 को स्मरण भी कराया गया। समिति को अत्यन्त खेद है कि शासन के एक सर्वोच्च अधिकारी होते हुये भी उन्होंने समिति के आदेशों की उपेक्षा की और वांछित सूचना 10 माह तक भी न भेज कर समिति का अपमान किया। इसके लिये उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाय वह कम है। यद्यपि यह आश्वासन अब पूर्ण हो गया है।

समिति ने यह भी देखा है कि ऐसे आश्वासन, जो केवल नीति विषयक ही हैं उनकी पूर्ति में भी अत्यधिक एवं अनावश्यक विलम्ब हुआ है। नीति विषयक मामलों में केवल शासन के स्तर पर ही निर्णय लिया जाता है। अतः इस प्रकार के आश्वासनों की तो शीघ्र ही पूर्ति होनी चाहिये।

इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति के समक्ष कुछ ऐसे आश्वासन भी आये हैं जिनमें दोषी पाये गये व्यक्तियों को आरोप-पत्र तो दे दिया गया, परन्तु काफी समय बीत जाने पर भी उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है यद्यपि उत्तर देने के लिये आरोप-पत्र में समय निर्धारित किर दिया गया था। समिति राज्य सरकार के उन अधिकारियों

[श्री माधव प्रसादत्रिपाठी—]

एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देती है जिन्होंने समय-समय पर समिति के समक्ष उपस्थित होकर समिति को किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता प्रदान की।

मैं इस समिति के सभी भूतपूर्व तथा वर्तमान आदरणीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने अपनी जागरूकता एवं अनुभव से हमें लाभान्वित किया।

मैं इस प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व इस समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर। इस सदन की जो समितियां हैं, देखा यह जाता है कि उनकी सिफारिशों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। विभिन्न तारीखों में स्मरण-पत्र दिलाने पर भी सचिव उनका उत्तर नहीं देते हैं। जैसे इसमें है—"समिति को अत्यन्त खेद है कि शासन के एक सर्वोच्च अधिकारी होते हुए भी उन्होंने समिति के आदेशों की उपेक्षा की और वांछित सूचना 10 माह तक भी न भेज कर समिति का अपमान किया।"

मान्यवर, समिति की रिपोर्ट जब सदन से सामने आ गयी तो यह पूरे सदन की सम्पत्ति हो गयी। इसलिये मैं आपको सम्बन्धित सचिव महोदय के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना देता हूं। इसको आप प्रिविलेज कमेटी को सौंप दें।

श्री अध्यक्ष—

त्रिपाठी जी ही इसको बेहतर जानते हैं कि अधिकारियों ने समिति का अवमान किया है या नहीं। (व्यवधान)।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

समिति की रिपोर्ट में ही इसका उल्लेख है, इसको लिख दिया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, एक बात ऐसी देखने में आयी है कि आश्वासन समिति कार्यालय द्वारा बार-बार स्मरण कराने पर भी विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनसे कहा भी कि क्या मैं यह समझूं कि आपने समिति की उपेक्षा की है और समिति जो एक मिनिएचर लेजिस्लेचर के रूप में है उसका अवमान किया है, लेकिन इस पर कोई कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया गया।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है—"समिति को अत्यन्त खेद है कि शासन के एक सर्वोच्च अधिकारी होते हुए भी उन्होंने समिति के आदेशों की उपेक्षा की और वांछित सूचना 10 माह तक भी न भेज कर समिति का अपमान किया है।"

यह है इसमें। आप लिख कर देंगे तो मैं विचार कर लूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

दुबारा लिखकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो इसमें लिखा ही हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसमें अंकित तो है, लेकिन फिर भी इसे आप अलग से लिख कर देंगे तो हम इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि समिति का जो प्रतिवेदन है जब वह सदन के सामने आ गया तो वह समिति की न रह कर अब इस सदन की प्रापर्टी बन गयी। समिति के प्रतिवेदन को यह समझा जाता है कि उसे सदन ने स्वीकार कर लिया। उसमें समिति का आब-जर्वेशन है कि इस अधिकारी ने बार-बार लिखे जाने के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दें। मान लीजिये समिति कहती है कि अपमान किया है लेकिन अवमान का मतलब वे अवज्ञा समझते हों। इसलिये समिति के मन में जब ऐसी बात आ जाती है तो इस सदन में उसके भाष्य की गुंजायश नहीं होती है। (व्यवधान) चेयरमैन साहब बोल रहे हैं न। आप कृपया बैठें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आज हमारे माननीय सदस्यों में आखिर इतना रोष क्यों है ? समिति के प्रतिवेदन जो होते हैं वे कभी चर्चा का विषय सदन के सामने बनते नहीं हैं। चाहे पी० ए० सी० की रिपोर्ट हो, चाहे अश्योरेंस कमेटी की रिपोर्ट हो, मेरे बार-बार प्रार्थना करने पर भी कभी इसको यहां चर्चा का विषय नहीं बनाया गया। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनकी विभिन्न विभागों के सेक्रेटरीज ने बार-बार उपेक्षा की और समिति के सामने जब वे आये तब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया कि ये-ये कारण थे, कुछ उत्तर नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं ली और ऊपर के जो अधिकारी हैं वे इस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। आम तौर से यह बात हो गयी है। इसका निराकरण तब तक नहीं होगा जब तक आप सदन में इस पर चर्चा नहीं करायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कोई सरकारी अधिकारी जब इस तरह की गड़बड़ी करता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट के इशारे पर ही वह करता है। कभी भी आश्वासन समय पर पूरे नहीं होते हैं। मैं समझता हूं 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत आश्वासन ही ऐसे हैं जिनका जवाब निर्धारित समय के अन्दर मिल पाता है। नहीं तो काफी देर लगती है। जैसे सतर्कता विभाग, इसमें तो वर्षों मामला चला करता है। तमाम अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन समय पर नहीं मिलता है इस लिये मान्यवर, यह चर्चा का विषय है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

बहस का मुद्दा नहीं है।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं बहस नहीं करना चाहता इस विषय को लेकर के। केवल आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

श्रीमन्, समिति का एक प्रतिवेदन आ गया है। समिति आपने गठित किया है। इस सदन के सामने समिति का प्रतिवेदन आ गया है। अब यह प्रतिवेदन माननीय सदन का हो गया है। इसके पहले, आपके जमाने से पहले खेर साहब, श्री जगदीश शरण अग्रवाल और माननीय वर्मा जी रह चुके हैं। उनके जमाने में जब सभापतियों ने अपनी रिपोर्ट दी और खामियों को इंगित किया, विभागाध्यक्षों के बारे में कहा तो सरकार की तरफ से उठ करके इतना जरूर कहा जाता था कि, आप पिछली प्रोसीडिंग देखें तो पता लग जायेगा, इस पर कम से कम हम कार्यवाही अवश्य करेंगे, इसको देखेंगे। यह बात जरूर कही जाती थी। लेकिन आज मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी यहां पर हैं और यह उनके विभाग से सम्बन्धित है लेकिन वह उठ करके कहने के लिये भी तैयार नहीं हैं, उन्हीं के विभाग के सचिव का सवाल है। मान्यवर मेरा असल सवाल यह है।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई प्रतिवेदन रखा गया है और माननीय सदस्यों द्वारा मांग की गयी है कि इस पर बहस हो तो उस पर बहस हुयी है। ऐसे अवसर आये हैं। उन्हीं के समय में ऐसा हुआ हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इस पर बहस हो सकती है इसको आप पूरा पढ़ लीजिये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, आप नियम देखें, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

नियम तो मैं बता रहा हूं, मगर आप स्वयं मुझे बताना चाहते हैं। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। नियम मैं बता रहा हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, विधायिकार की अवहेलना का सवाल है आप नियम को देखें।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जब मैं बता रहा होता हूं तब आप उठ कर खड़े हो जाते हैं। मैं बता रहा हूं। अभी माननीय गोविन्द सिंह नेगी जी ने पढ़ा 'यद्यपि यह आश्वासन पूर्ण हो गया है'। अब सवाल यह है कि इसको देखने की जरूरत होगी। इस प्रतिवेदन को, सारे प्रतिवेदन को पढ़ना होगा कि अवमान बनता है या नहीं?

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, आप नियम देखें, मैं बता दूं...

श्री अध्यक्ष—

आप बता रहे हैं और आपको खुद नहीं मालूम है कि जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो खड़ा नहीं होना चाहिये। आप बैठना नहीं चाहते हैं मुझे नियम बता रहे हैं।

(हंसी)

माननीय सभापति जी ने रखा है, इस पर आप बहस चाहेंगे तो 15 दिन के भीतर नोटिस दें।

(श्री त्रिवेणी सहाय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। अब इसे देखना पड़ेगा। आप देंगे तो हम देखेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय कमलापति त्रिपाठी जी की सरकार थी, उस जमाने में मैं आपके कमरे में, और इस साल भी लिखित रूप से मांग की गयी है कि रिपोर्ट पर चर्चा हो। माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि चर्चा होगी परन्तु आजतक 3 वर्ष हो गये हैं किसी भी रिपोर्ट पर चर्चा के लिये समय सरकार ने नहीं दिया है। मान्यवर, आपके जमाने में भी ऐसी रिपोर्ट आयीं परन्तु आजतक चर्चा नहीं हुयी है। मान्यवर, आपके जमाने में मंजूर हुआ लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं हुयी। चर्चा पर निश्चित रूप से तय करें कि समय देंगे कि नहीं।

श्री अध्यक्ष—

नियमावली के पृष्ठ 59 के नियम 216 में प्रतिवेदन का उपस्थापन में लिखा है—(1) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हों तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभिव्यक्ति करे तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने किया।

(3) संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को, जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं। आप बैठें।

(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझे तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मूल प्रश्न यहां अवमान का बनता है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने बता दिया कि लिखकर देंगे तभी होगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, चर्चा के लिये समय देंगे कि नहीं. . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

प्रतिवेदनों पर हम बहस देंगे यह एक अमूर्त सत्य है लेकिन मूर्त सत्य है कि सब पर समय देने की आवश्यकता समझेंगे तभी, कोई अनावश्यक बहस हम नहीं करायेंगे। यदि मांग करेंगे 15 दिन के भीतर तो हम समय देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है. . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

हम तो समझते हैं कि जानवर भी इशारा समझते हैं। आपको समझना चाहिये कि जब अध्यक्ष खड़ा हो तो उस समय आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इन प्राणियों से अलग हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये। जो लोग नहीं जानते हैं वह सब खड़े हो जाते हैं क्योंकि समझदारी का प्रदर्शन ईष्ट और कठिन है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर नहीं जब वह बोल लें तब आप कहें।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष, आश्वासन समिति और समिति के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी तत्परता से अपना कार्य निभाया और जो भी आश्वासन इस सदन में दिये गये उनकी पूर्ति के लिये भरसक चेष्टा की है कि विभाग उनकी पूर्ति करें। आश्वासन समिति इस माननीय सदन की एक महत्वपूर्ण समिति है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी अध्यक्ष और समिति के सभी सदस्य इसी प्रकार की सतर्कता बनाये रखेंगे। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी अनुशंसाएं हैं और जो कमियां हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायगा। श्रीमन्, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि अवमान के बारे में क्या स्थिति है और दूसरे यह कि इस पर चर्चा होनी चाहिये या नहीं। जहां तक अवमान का प्रश्न है तो अध्यक्ष और समिति का अधिकार है कि अगर अवमान समझते हैं तो निर्दिष्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उसकी भाषा है और जो लिखा हुआ है उससे उस भाषा में उन्होंने स्वयं दंड दे दिया। समिति ने लिखा है कि उसके लिये जितनी भी भर्त्सना की जाय कम है यद्यपि अब यह आश्वासन पूर्ण हो गया है। जो हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके नियम 63 के अनुसार किसी समिति की ओर से समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकता है। नियम 63 का जो उप नियम 4 है उसको मैं पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि "समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा : परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" यह अवमान समिति के प्रत्यक्ष हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके बाद नियमावली के नियम 73 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दंड दे सकते हैं : पहला भर्त्सना इस समिति ने स्वयं भर्त्सना कर दी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

समिति द्वारा भर्त्सना और बात है और सदन द्वारा भर्त्सना और बात है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष जी, नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है.....

श्री अध्यक्ष—

आप पहले उनको सुन लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

समिति ने भर्त्सना कर दी है। अगर अध्यक्ष जी आवश्यक समझते हैं तो आपको प्रतिवेदन देकर कार्यवाही करा सकते हैं। जहां तक इस पर चर्चा का सम्बन्ध है तो पहले भी जब कभी मांग हुई है तो चर्चा करायी गयी है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर यहां चर्चा हुई है। अगर इस पर भी चर्चा चाहते हैं तो नियम 216 के अन्तर्गत अध्यक्ष जी कोई दिन समय निश्चित कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

आडीटर जनरल की 1972-73 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

एक सवाल और है कि आडिटर जनरल की 72/73 की रिपोर्ट आ चुकी है और लगभग 8 महीने से सरकार के पास है। हमें आज तक वह बांटी नहीं गयी इसलिये कि हम बजट में उसकी चर्चा न कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट आ जाने के बावजूद 8 महीने से कोल्ड स्टोरेज में क्यों पड़ी है?

श्री अध्यक्ष—

असरार साहब ने एक जायज़ की बात उठायी है कि जब आप बजट पर बहस करेंगे तो पी0 ए0 सी0 की आडिट रिपोर्ट जो कि आ चुकी है अगर वह न हो तो.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो आडिट रिपोर्ट मेरे पास आयी है उसे मैंने सदन में प्रस्तुत कर दिया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

72/73 की रिपोर्ट आयी हुई है और गोपनीय रखी हुई है। यहां जान बूझकर उसको वितरित नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं कि नहीं है तो क्या किया जाय। हमारे विभाग से लिखा गया था (श्री त्रिवेणी सहाय से) आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

[* * *]

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

'मौका देने के लिये' दूसरों की वकालत की आवश्यकता नहीं है। हर सदस्य को सीधे अध्यक्ष से सम्बन्ध रखना है।

श्री मोहन लाल कपूर—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों बोल रहे हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बताइये। दूसरों की सिफारिश मत करें।

श्री मोहन लाल कपूर—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको नहीं कहा।

श्री मोहन लाल कपूर—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि वह उससे भिन्न प्राणी हैं।

श्री मोहन लाल कपूर—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं अपने आपको दंड बनाकर कौन सी गरिमा में चार चांद लगा रहे हैं? मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप बैठ जायें, आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

आज जो सवाल श्री असरार साहब ने उठाया है तो मेरे कार्यालय से जो पत्र शासन को गया था, उसके सम्बन्ध में जो उत्तर आया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर इस प्रकार है, "श्री एस० बी० एस० जुनेजा, आयुक्त एवम् वित्त सचिव को सम्बोधित आपके अर्द्ध-शासकीय-पत्र संख्या 2505/1-लो० ले०सं०/74, दिनांक 27-2-1974 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 1972-73 की रिपोर्ट को मंत्रि परिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकाशनों को मंत्रि परिषद् द्वारा देखने के पश्चात् श्री राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करके उन्हें शीघ्र ही विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर यह कब का पत्र है?

[****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

6 मार्च, 1975 का ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

लेकिन मालूम यह हुआ है कि 1972-73 की सारे एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास मौजूद है प्रिन्टेड ।

श्री अध्यक्ष--

यही तो मैं कह रहा हूं । मैंने अभी जो पत्र पढ़कर सुनाया उसमें यही बात तो है । मैं फिर से सुनाये देता हूं । जो श्री अमरार अहमद ने जाब्ते का प्रश्न उठाया है, उसके बारे में हमारे कार्यालय से एक पत्र भेजा गया था । उस पत्र के जवाब में यह आया है कि, "श्री एस0 वी0 एस0 जुनेजा, आयुक्त एवम् वित्त सचिव को सम्बोधित आपके अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 2505/1-लो0 ले0 सं0-74, दिनांक 27-2-74 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की 1972-73 की रिपोर्ट को मंत्रि परिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है । उक्त प्रकाशनों को मंत्रि परिषद् द्वारा देखने के पश्चात् श्री राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त करके उन्हें शीघ्र ही विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

श्री मुहम्मद अमरार अहमद--

देरी किस वजह से है । आपके कार्यालय से पत्र गया, गवर्नर साहब यहीं मौजूद है, मंत्रि-परिषद् यहीं मौजूद है और हाउस भी यहीं मौजूद है जानबूझ कर बजट से पहले नहीं पेश की गयी तो हाउस का काम कैसे चलेगा । उसे हमारे पास आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

यह जाब्ते का प्रश्न है । इसे मंत्री जी को बतलाना चाहिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो सूचना दी है उसका पता लगा लेते हैं । हिन्दी अनुवाद की वजह से शायद कोई कठिनाई हो । वह कठिनाई मैं बतला दूंगा ।

श्री मुहम्मद अमरार अहमद--

मेरी जानकारी में है कि कोई कठिनाई नहीं है । बजट के बाद सरकार उसे रखना चाहती है वैसे 8 महीने पहले आ चुकी है । सरकार की रोज मीटिंग होती है, राज्यपाल मौजूद हैं । सारी कार्यवाही पूरी करके हमारे पास उसे पेश क्यों नहीं की जाती । अगर जाब्ता पूरा नहीं होता तो हाउस नहीं चलेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसमें हाउस न चलने देने की क्या बात है ।

चौधरी चरण सिंह--

रिपोर्ट कब की थी उसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसकी विस्तृत सूचना मेरे पास नहीं है कि कब आई थी ? वह अगर तैयार है तो कल ही पेश कर दूंगा ।

आश्वासन समिति का 40वां प्रतिवेदन (क्रमागत)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मुहम्मद असरार साहब ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने उसका जवाब भी दे दिया है। एक बात मैं और बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इसके पूर्व हमारे मोहनलाल जी ने कुछ बात उठाई थी। वह बड़े शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं। जब वह विचार व्यक्त कर रहे थे तो आपने एक बात कही कि जो बोलने वाले हैं वह बोल रहे हैं। आप क्यों बीच में उठ खड़े हुए? इसमें तीन प्रश्न निहित हैं। माननीय मोहन लाल जी हमारे चीफ ह्विप हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारा अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, मान लीजिये त्रिवेणी सहाय जी खड़े हुए थे, और आप खड़े हो गये कुछ कहने के लिये तो नियमानुसार उनको बैठ जाना चाहिये, नियम का पालन करना चाहिये। आपने कहा तो वह बैठ गये। लेकिन आपके कहने के बाद उनको अवसर मिलना चाहिये था। ऐसा इसलिये उचित था ताकि व्यवस्था में सुविधा हो और किसी प्रकार की उसमें विघ्न तथा बाधा न पड़े। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर देंगे कि जो बोल रहा है वह न बोल पाये और उसकी तरफ से कोई लीडर भी निवेदन न कर सके तो यह अच्छा नहीं होगा। अभी हमारी तरफ से एक माननीय सदस्य भोजपुरी में बोल रहे थे। उनको नहीं समझ सके तो मैंने उसे समझाया।

इसी तरह से हमारी तरफ का कोई सदस्य बोलना चाहता है, आप नहीं बोलने देते हैं और हमारा कोई नेता यह समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी हकतल्फी हो रही है तो हमारा लीडर खड़ा हो कर जरूर कुछ कह सकेगा हालांकि वह दूसरा व्यक्ति है जैसे मैं दूसरा व्यक्ति था। फिर उन्होंने रोष व्यक्त किया कि आपने जानवर क्यों कहा? मैं समझता हूं कि जानवर हम सभी हैं। आप भी जानवर हैं, मुख्य मंत्री भी जानवर हैं और सभी जानवर हैं। लिहाजा व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस कथन पर कोई रोष नहीं है। वह सबके लिये लागू होता है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर कोई लीडर खड़ा हो किसी दूसरे सदस्य के हित की रक्षा की दृष्टि से तो आप उसे अवश्य मौका दें नहीं तो अव्यवस्था हो जायगी। मैं डर रहा था कहीं अव्यवस्था न पैदा हो जाय वर्ना मुझे अपने दल के सदस्य का साथ देना अनिवार्य हो जाता।

श्री अध्यक्ष--

त्रिवेणी सहाय जी स्वयं इतने समर्थ हैं कि उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

थोड़ा विषयान्तर हो रहा है। जो उन्होंने अवमान का प्रश्न उठाया था वह प्रश्न सही उठाया था.....

श्री अध्यक्ष--

उसके बारे में कह दिया कि लिख कर देंगे। अभी मैंने उस पर कोई फैसला नहीं दिया है। निवेदन मेरा सिर्फ इतना है कि समय जो है वह मुख्य बातों पर व्यय होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम चाहते हैं कि प्रश्नों की जो प्राथमिकता है उसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। उसके बारे में पुनः सवाल आ सकता है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उनकी बात नहीं समझ रहा हूं लेकिन मैंने कहा कि वह लिखकर दें कि अवमान हुआ है या नहीं। यदि अवमान हुआ भी हो तो उसके लिये कानून है, विधि है उसके अनुसार काम होना चाहिये। फिर तो वह खुला हुआ मामला हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि 15 दिन के अन्दर सूचना देकर चर्चा की मांग कर सकते हैं। असल में हम अपनी-अपनी बात कहने में दूसरे की बात नहीं सुनते.....

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, समिति का अवमान हुआ है। इसमें लिखा है कि समिति को अत्यन्त खेद है कि शासन के एक सर्वोच्च अधिकारी होते हुये भी उन्होंने समिति के आदेशों की उपेक्षा की और वांछित सूचना 10 मार्च तक भी न भेजकर समिति का अवमान किया। श्रीमन्, विशेषाधिकार का जो नियम है उसमें लिखा है कि समिति का जो अवमान होगा वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होगा.....

श्री अध्यक्ष--

वह तो खुला हुआ है.....

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, सदन के अन्दर विशेषाधिकार समिति की कई रिपोर्ट पेश की गई होगी और हर रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि अमुक-अमुक अधिकारियों ने इस-इस अवधि में इस-इस पत्र का जवाब नहीं दिया जब कि नियमों में इस बात का प्राविधान है कि जो समिति के आदेशों का उल्लंघन करेगा उसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन जायेगा। इस अधिकारी के सभापति के लिखने के बाद भी 10 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया.....

श्री अध्यक्ष--

इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ..... (व्यवधान) क्या आपको फिर नहीं बोलना है ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, जो आश्वासन समिति बनी हुई है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी उसे जवाब दें। सरकार उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है। बड़ी चालाकी से उन्होंने यह शब्द नहीं पढ़ा। इसलिये आप कृपया इसे स्वीकार करें। मैं कल इस सम्बन्ध में लिखकर भी दे दूंगा, यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, माननीय माधव बाबू ने कहा हम सब जनवर हैं। वे भले ही जानवर हों, हम इन्सान हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कहा जाता है, "मैंने इज ए सोशल एनिमल" उसी का मैंने तर्जुमा कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

जानवर का तत्व मनुष्य में विद्यमान है। ..... (व्यवधान)...अब जानवर का प्रक्रम समाप्त हुआ, मानव प्रक्रम शुरू हुआ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आपने कहा कि लिखकर 15 रोज के अन्दर नोटिस दी जाय. . . . . आपके जमाने में आपके ही कमरे में मालवीय जी की एक नोटिस पहुंची हुई है उसमें भी कमेंट्स ले लिया जाय. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

14 तारीख को मीटिंग करेंगे। वैसे भी आप करते ही हैं। वहां पर बात कर लीजियेगा मीटिंग 14 तारीख को साढ़े नौ बजे है। जो समय आप किसी विषय पर चर्चा के लिये रखते हैं उसमें सर्व-सम्मत से राय ली जाती है।

श्री ओम प्रकाश सिंह की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओम प्रकाश जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी उसमें मैंने पहले कहा था कि उस सम्बन्ध में हम जवाब मंगायेंगे कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना समय से आयी या विलम्ब से आई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य, विधान सभा ने जिलाधिकारी, वाराणसी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 19 फरवरी, 1975 को इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी कि उनकी गिरफ्तारी की तथा रिहाई की सूचना माननीय अध्यक्ष को समयानुसार जानबूझ कर नहीं दी गई। उसी दिन मैंने उक्त सूचना पर निर्णय देते हुए यह कहा था कि इस मामले में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, किन्तु उक्त सूचना विलम्ब से भेजने के विषय में जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत करा दिया जायेगा। तदनुसार जिलाधिकारी, वाराणसी से इस सम्बन्ध में सूचना मांगी गई थी और उनसे दिनांक 5 मार्च, 1975 के उनके पत्र द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है. . . . . .

आपके पत्र संख्या 316/65(स)/74, दिनांक 24 फरवरी, 1975 जो श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य विधान सभा मिर्जापुर की गिरफ्तारी की सूचना के सम्बन्ध में है, पर निम्नलिखित निवेदन है :

श्री ओम प्रकाश सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा दिनांक 8 फरवरी, 1975 को वाराणसी में गिरफ्तार हुए। इस संदर्भ में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ने यह स्पष्टीकरण दिया है :

"दिनांक 8-2-75 को एक 'विराट कांग्रेस रैली' आयोजित की गई थी जिसमें भारत की माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का सिगरा स्टेडियम में अपराह्न भाषण होना था। दिनांक 8-2-75 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मालवीय गेट पर जय प्रकाश समर्थक विरोधी पार्टी की एक सभा साढ़े दस बजे दिन आरम्भ हुई। श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य विधान सभा, मिर्जापुर तथा अन्य नेताओं ने उत्तेजनात्मक भाषण दिये और सभा करने की कोई अनुमति जिला प्रशासन से नहीं ली जब कि धारा 144 द० प्र० सं० इस क्षेत्र में लागू थी। उक्त उत्तेजनात्मक भाषण में सिगरा स्टेडियम में आयोजित रैली में शांति भंग किये जाने की कार्यवाही तथा पुलिस, पी० ए० सी० के जवानों को भी अपने भाषण द्वारा भड़काने का प्रयास भी किया"। यह ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है।

तत्पश्चात एक जुलूस अवैधानिक ढंग से लेकर सिगरा स्टेडियम की ओर जाने लगे, इस घटना की रिपोर्ट चौकी लंका के प्रभारी उप-निरीक्षक श्री लोकनाथ राय ने थाना भेलूपुर में 12 बजकर 10 मिनट पर अंकित कराया जिसके आधार पर अभियोग सं0 174, धारा 143/188 भारत सुरक्षा अधिनियम का अभियोग अंकित हुआ जिसकी प्रतिलिपि आपको पहले ही प्रेषित की जा चुकी है।

दिनांक 8-2-75 को पौने 3 बजे अपराह्न उप निरीक्षक श्री रामाशंकर मिश्र तथा अन्य कर्मचारियों ने श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनसंघ पार्टी के साथ 10, अन्य नेताओं को जो एक जुलूस बना कर अस्सी मुहल्ले की ओर से गोदोलिया की ओर जाने के लिए दिखाई दिये कि हरिश्चन्द्र त्रिमुहानी पर जुलूस को रोक कर अन्तर्गत धारा 188, भा0 द0वि0 में गिरफ्तार किया। जिसका मु0 अ0 सं0 175, थाना भेलूपुर पर अंकित हुआ। इन गिरफ्तार किये गये अपराधीगण को पी0ए0सी0 की गाड़ी द्वारा बोला वाला पुलिस लाईन जहां पहले गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को संरक्षण में रखे जाने की व्यवस्था थी, भेज दिया गया।

विधायक श्री ओम प्रकाश सिंह, 5 बजे सायंकाल अन्य गिरफ्तार शुदा अपराधीगण (तथा कथित नेता) के साथ पुलिस लाईन से वर्ग बनाकर चले और जिला कारागार की तरफ जुलूस लेकर पहुंचे और वहां प्रदर्शन करना भी शुरू किया। तत्पश्चात् प्रतिसार निरीक्षक श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुलिस लाईन वाराणसी की रिपोर्ट पर थाना कैन्ट में श्री ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य के विरुद्ध एक अभियोग सं0 96, धारा 224/225 भा0 द0वि0 का अंकित किया गया तथा उक्त की गिरफ्तारी जिला कारागार से उसी रात को की गई और दिनांक 9-2-75 को उपरोक्त अभियोग में जेल भेज दिया गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक को दुबारा बन्दी बनाने में रात में करीब 11.15 का समय हो गया था। श्री ओम प्रकाश सिंह अन्य जिले के विधायक हैं। अतः विवेचनकर्ता को उनके विधायक होने की पुष्टि करने में काफी समय लग गया। विवेचना अधिकारी ने इस बात की पुष्टि होने तक श्री ओम प्रकाश सिंह मिर्जापुर जिले के विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एक लिखित रिपोर्ट तैयार की एवं उसे एक विशेष दूत के द्वारा दिनांक 9-2-75 को करीब 10.30 बजे आपको (यानी जिला मैजिस्ट्रेट को) व्यक्तिगत रूप से देने को कहा था। उसी दिन नगर में अन्य कई विशिष्टगण आये हुये थे जिसमें आप व्यस्त रहे अतः विशेष दूत आपसे सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका तथा यह पत्र आपके निवास स्थान पर करीब 7.30 बजे सायंकाल छोड़कर वापस आ गया।"

3--अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट नगर के घर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा भेजी गई सूचना 7.30 बजे शाम प्राप्त हुई। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट नगर द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में मैंने उनका भी स्पष्टीकरण लिया जो इस प्रकार है :--

"श्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक, मिर्जापुर की गिरफ्तारी की सूचना मेरे निवास स्थान पर दिनांक 9-2-75 रविवार की रात में पुलिस द्वारा भेजी गई थी उस दिन नगर में अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति तथा अन्य प्रशासकीय कार्यों में सुबह से ही व्यस्त था। मैं अपने निवास स्थान पर रात्रि के लगभग 11.30 बजे पहुंचा। दूसरे दिन प्रातः ही मैंने

[श्री अध्यक्ष]

कार्यालय में आकर इस सूचना को तार द्वारा माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्रेषित कर दिया था तथा पत्रावली आपके पास भेज दी।"

4--मैं 9 फरवरी को अस्वस्थ था अतिरिक्त जिलाधिकारी नगर ने उपरोक्त कार्यवाही करने के बाद 10 फरवरी को मेरे पास पत्रावली भेजी। सूचना देने के विलम्ब के बारे में मैंने उसी दिन संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा। पूर्ण स्थिति ऊपर इंगित कर दी गई है।

5--इस बात का खेद है कि सूचना निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजी गई। सूचना संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कराई गई है जो संलग्न है।

अब जो थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसके लिये उन्होंने खेद प्रकाश किया है और मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

एक तथ्य जो उन्होंने लिखा है कि इस बात की जानकारी करने में, इस बात की पुष्टि करने में देर हुई कि श्री ओम प्रकाश सिंह, मिर्जापुर के माननीय विधायक हैं, ठीक नहीं है। यह बनारस के ही एक डिग्री कालेज में लेक्चरार हैं और वहां उन्हें सब जानते हैं। इस तथ्य को उन्होंने जानबूझकर छिपाया है। वह वाराणसी में ही मोहल्ला खोजवा बाजार में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब वह जानते हैं या नहीं यह मैं कैसे कह सकता हूं। बात केवल इसमें यह है कि अब उन्होंने खेद प्रकाश किया है देरी के लिये। इस सवाल को माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया था, इसलिये मैंने कहा था कि इस पर जिलाधिकारी से पूछा जाए। तो विलम्ब का कारण उनसे पूछा गया और उसका जवाब मैंने आपके सामने पढ़ दिया। जैसा, उसमें 'शीघ्रता' शब्द है और 'विलम्ब' क्यों हुआ और शीघ्रता का क्या अर्थ है, यह स्पष्ट हो गया। कौल और शकधर की पुस्तक 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 224 पर इस सम्बन्ध में यह लिखा हुआ है कि--"यह फैसला करने के लिये कि किसी विशेष मामले में आवश्यक जानकारी तुरन्त अध्यक्ष को भेजी गयी है या नहीं सारी परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है।" विशेषाधिकार समिति ने यह निर्णय किया है कि "यद्यपि यह सभी जानते हैं कि इस प्रकार की सूचना तुरन्त दी जानी चाहिये, इस विषय में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जिला अधिकारी, वाराणसी ने अपने पत्र में स्थिति को स्पष्ट किया है। उसको देखते हुए, जो स्पष्टीकरण है, खेद प्रकाश है यह पर्याप्त है।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक और है। माननीय श्री दशरथ सिंह ने सूचना दी है कि आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने गलत दिया है। उनका कहना है कि यह गलत सूचना जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिये दी गयी है और दोनों शिकायतें अपने स्थान पर सत्य हैं। माननीय सदस्य ने सूचना के साथ कोई ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं किया

है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का दिया गया उत्तर असत्य है और सदन को गुमराह करने के लिये दिया गया है।

माननीय दशरथ सिंह, आपने कोई आधार बताया नहीं।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

ऐसा है कि अतारांकित प्रश्न 11 का जो उत्तर दिया गया है उसमें बताया गया है कि श्री त्रिवेणी सहाय जी द्वारा जो शिकायती-पत्र दिये गये थे उसकी जांच कर ली गयी है और असत्य है।

श्री अध्यक्ष--

इसको देखना पड़ेगा।

श्री दशरथ सिंह--

उत्तर को मंगा कर देख लीजिये। उत्तर में साफ बताया गया है कि जांच कर ली गयी है, श्री त्रिवेणी सहाय के प्रार्थनापत्र की और वह असत्य है। इसमें कोई जुर्म नहीं बनता है। लेकिन निश्चित रिपोर्ट है। जो मुद्दई है, जिसके सम्बन्ध में त्रिवेणी सहाय जी ने लिखा, उसने 323/452 की रिपोर्ट दर्ज करायी। उसकी जो ट्रू कापी दी गयी उसमें 'विवेचना' लिखा था जो एस0पी0 के आफिस में कापी थी उसमें 'विवेचना' नहीं लिखा था। स्वयं डी वाई0एस0पी0 ने अपने आफिस में मेरे सामने दोनों को मिलाया। ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को बैठ कर देखा गया।

श्री अध्यक्ष--

यह हो सकता है कि आपकी जानकारी सही हो। उनकी जानकारी एक है; आपकी जानकारी दूसरी है।

श्री दशरथ सिंह--

दोनों कापी, डूप्लीकेट जो मुद्दई के पास थीं, असली ओरिजिनल जो पुलिस आफिस में थी, दोनों को मिलाकर डी वाई0एस0पी0 ने देखा था मेरी प्रेजेंस में। एक म विवेचना था, एक में विवेचना नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

आप भ्रम कर रहे हैं। अपने केस को जो आपने बताया उससे भ्रम पैदा करते हैं। आप सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि थाने में एक रिपोर्ट लिखी गयी, रिपोर्ट के बाद, प्रतिलिपि में विवेचना लिख दिया गया। इसमें माननीय मुख्य मंत्री कैसे गलतबयानी कर रहे हैं? आपका केस दूसरा है।

श्री दशरथ सिंह--

सुनने के बाद निर्णय दीजिये। पूरी बात सुन लीजिये तब निर्णय दीजिये। उस प्रार्थना-पत्र में उनको लिखा गया है .....

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि आप सवाल कीजिये। विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न नहीं बनता। हो सकता है कि जो बात आप कहते हैं वह सही हो। उस पर प्रश्न करें। माननीय मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखें। जो बात आप कह रहे हैं उसमें दम है, लेकिन विशेषाधिकार का सवाल नहीं बनता है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

आप कहते हैं कि पत्र लिख दीजिये लेकिन कोई जवाब नहीं जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप जब कहते हैं कि कोई दिक्कत है तो मैं कहता हूं कि पत्र लिख दीजिये। आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। सवालों के बारे में मैं नहीं कहता कि आप चिट्ठी लिखिये। मैं कहता हूं जब कोई दूसरा मामला हो।

श्री मधुकर दिघे--

विशेषाधिकार के मामले में जब आप कहते हैं और चूंकि कोई रिलीफ नहीं मिलता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपने समझा नहीं है और आप बोलना चाहते हैं। उनका सवाल दूसरा है। प्रश्न यह है कि हो सकता है कि एक मुहर्रिर या थाने के किसी सिपाही ने जैसा कि लिखा है, उसने उनके कागज पर लिख दिया कि "विवेचना" और सरकार के पास जो कागज भेजा हो तो "विवेचना रहित" लिख दिया।

श्री मधुकर दिघे--

मूल प्रश्न है गलत जवाब देना।

श्री अध्यक्ष--

जवाब गलत नहीं है। हो सकता है कि दोनों सही हों। जवाब भी सही हो और आप भी सही हों। विशेषाधिकार का सवाल नहीं बनता है। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया, कक्ष में बता दिया और उपचार भी बढ़ता दिया कि किस तरह से आ सकता है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

विशेषाधिकार का बनता है। मैं आपको बता दूं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैंने एक विशेषधिकार की अवहेलना का प्रश्न काशी नाथ जी के विरुद्ध दिया था।

श्री अध्यक्ष--

वह तो हमने कर दिया। आप शायद नहीं थे। बात यह है कि आप सवाल देते हैं और उपस्थित नहीं रहते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, उस दिन काशीनाथ जी उपस्थित नहीं थे तो आपने टाल दिया।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि आप भी चिट्ठी लिख देते कि हमारा प्रश्न उस दिन लिया जाय तो उस दिन लिया जाता। जब मैंने पढ़ा था तो शायद आप उस समय मौजूद थे।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि यह अपोजीशन के जानवर सरकार के जानवर के साथ कैसे मुकाबला हो सकता है।

श्री दशरथ सिंह—

जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें लिखा था कि 150 रुपये मुद्दई से लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आप क्या बहस कर रहे हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न बनता नहीं है। जहां तक जुर्म की बात है उससे बचाने के लिये किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिये। आप यहां क्यों उठाना चाहते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं बनता है। अब इस पर बोलने की किसी को इजाजत नहीं है।

मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबूलाल जी वर्मा ने फिर से उसी सवाल को उठाया है। जिस पर हमने निर्णय दे दिया उसको बार-बार उठा रहे हैं। इस मामले में कल ही मैंने सम्बन्धित कार्यवाहियों को देखने के पश्चात् निर्णय दिया है। रोज एक ही बहस को दोहराते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मुझे कहने का मौका दें ?

श्री अध्यक्ष—

बिलकुल नहीं मौका दूंगा। माननीय कपूर जी इनको मौका दिया जाय ? आप बताइये ?

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, जो मैं कह रहा हूं, मुझे आप कहने का मौका नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

एक ही सवाल को बार-बार करने से कैसे सदन चलेगा ? जिस पर हम एक बार फैसला दे चुके हैं उसी प्रश्न को बार-बार करते रहेंगे तो हम कैसे मौका देंगे?

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत जो सवाल हैं उनको मैं लेता हूं। एक श्री जंग बहादुर वर्मा, शिव कैलाश, त्रेनी प्रसाद वर्मा, नन्हें लाल, असरार अहमद का बाराबंकी नगर के सिटी इन्टर कालेज के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज एवं आंसू गैस के प्रयोग के सम्बन्ध में है। इसको मैं 51 में देखूंगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

हमने मान्यवर, 27 को दिया है और 28 को भी दिया है.....

श्री अध्यक्ष--

उसको तो मैंने मान लिया है।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

मान्यवर मान तो लिया है लेकिन जहां वहां पर घटनाएं घट रही हैं, उसमें कमी नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने मान लिया है तब भी आप बोल रहे हैं। सदस्य, विधान सभा को बहुत ऊंच दिमाग का होना चाहिये। जब उसको कहा है कि स्वीकार, तब आपको कुछ कहना ही नहीं चाहिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैंने भी प्रश्न दिया था, वह बहुत महत्वपूर्ण है?

श्री अध्यक्ष--

कौन सबसे महत्वपूर्ण है? 436 सदस्य हैं, सभी प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, माननीय बाबूलाल वर्मा ने जो प्रश्न उठाया था, उस पर कल आपने कहा था कि अच्छा होता कि आप प्रोसीडिंग्स देख लेते।

श्री अध्यक्ष--

इनको मैंने कल कहा। आज भी मेरे यहां गये। आज भी कहा कि कार्यवाही देख लीजिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, प्रोसीडिंग्स तो देख लिया, उसमें है।

श्री अध्यक्ष--

मुझसे तो नहीं कहा।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो स्पष्टीकरण कर दूं?

श्री अध्यक्ष--

उसको देख लें। आपको भी मौका देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अब इसमें बिलकुल सबूत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा और इनके दिल में खटका। यह बात सही है नहीं तो स्पष्टीकरण न करती।

श्री अध्यक्ष--

काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी छात्र संघ के चुनाव के उपरान्त वहां के वातावरण में अशांति के सम्बन्ध में श्री शतरुद्ध प्रकाश, गिरिजा शंकर पाठक और जंग बहादुर वर्मा का है। मैं माननीय जंग बहादुर वर्मा जी से कहना चाहूंगा वे एक ही पर हस्ताक्षर किया करें नहीं तो मैं खारिज कर दूंगा। आप दो पर दस्तखत न कीजिए।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश (जिला वाराणसी)---

काशी विश्वविद्यालय में 4 मार्च, को चुनाव हुआ। और आज तक वहां की स्थिति बहुत बिगड़ गयी है। कांग्रेस के उम्मीदवार और कम्युनिस्ट के उम्मीदवार हार गये हैं। कांग्रेस के बहुत बुरी तरह से हारे हैं और करीब 4,500 वोट से हमारा उम्मीदवार जीता। कांग्रेस पार्टी से समर्थित कुछ सदस्यों ने हास्टलों में जा जाकर लड़कों को डाराया और चेतावनी दी तथा धमकी दी कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं दिया। राजेन्द्र प्रसाद छात्रावास में एक छात्र उदयबीर को डराया और कहा कि वोट क्यों नहीं दिया। उसको डराया गया और धमकाया गया। मुहम्मद शमीम अहमद को डराया गया।

श्री अध्यक्ष---

यह विश्वविद्यालय का मामला है। क्या आप चाहते हैं कि सरकार बिना विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परामर्श से वहां पर पुलिस भेजें।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश---

डराया-धमकाया जा रहा है। जय प्रकाश जी वहां के छात्र संघ का उद्घाटन करने आ रहे हैं। एक तरफ जब इन्दिरा जी आती हैं तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिससे शांति की व्यवस्था रहे। जय प्रकाश जी का जब आगमन हो रहा है तो सरकार ऐसा कर रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यहां पर इस बारे में विचार होना चाहिये जिससे वहां का ला एन्ड आर्डर मेन्टेन हो सके और वहां का वातावरण शांति पूर्ण हो सके। इसलिये जो मैंने दिया है उसको स्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष---

बनता नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

जब मंत्री, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री किसी स्थान पर जाती हैं तो लोगों को पकड़ कर रखा जाता है कि शांति रहे, लेकिन यह सरकार उसका उलटा आज कर रही है। वहां पर जय प्रकाश जी आने वाले हैं। सरकार जान बूझकर स्थिति को बिगाड़ रही है। इस पर चर्चा होना जरूरी है। एक ही हाउस में दो स्टैन्डर्ड नहीं हो सकते हैं। एक जगह सरकार कहती है कि हमें ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करना है और आज सरकार उसी को नहीं कर रही है। इसलिये आप इसको जरूर स्वीकार करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

जय प्रकाश जी वहां आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के जो गुन्डे हैं वे लोग छात्रों को डरा-धमका रहे हैं। इस पर आप मुख्य मंत्री जी का आश्वासन दिलवायें। जब प्रधान मंत्री वहां पर आती हैं तो ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने के लिये माननीय ओम प्रकाश, शतरुद्ध प्रकाश व अन्य माननीय सदस्यों को डकैती के अभियोग लगा कर गिरफ्तार किया जाता है लेकिन माननीय जय प्रकाश नारायण के आगमन के समय ला एंड आर्डर को मेनटेन करने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है। मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि वहां पर शासन की ओर से पूरी तरह से शांति व्यवस्था रखी जायगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, वहां पर नियोजित षड़यंत्र चल रहा है। और वह यह है कि वहां पर किसी प्रकार से आतंक फैला कर यूनिवर्सिटी को बन्द करवा दिया जाय ताकि वहां पर जो शपथ

[श्री प्रेम प्रकाश सिंह]

समारोह होने जा रहा है, वह न हो। लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है, कांग्रेसी गुन्डों के द्वारा। इस समारोह की जिम्मेदारी वहां के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों पर है। इसलिए वहां पर ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है कि शपथ समारोह न हो सके और वह स्थगित हो जाय वहां पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार की ओर से पूरा आश्वासन आना चाहिए और उसके लिए जितने लोग भी दोषी हैं विश्वविद्यालय में जो ऐसे छात्र हैं, जिन पर केसेज चले हैं, उनको पूर्व ही गिरफ्तार किया जाय जिससे वहां पर शपथ समारोह सम्मानपूर्वक आयोजित हो सके। अतः इस सदन के द्वारा मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वे वहां पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आश्वासन दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं बाध्य तो नहीं कर सकता हूं लेकिन अगर माननीय मंत्री जी बोलना चाहें तो. . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

जब माननीय प्रधान मंत्री जी आयें तो हमें गिरफ्तार किया जाता है, कहा जाता है कि मल्काये आजम आ रही हैं, दर्शन करने चलो।

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, अगर वहां पर शांति व्यवस्था नहीं होती है तो बहुत बड़ा आतंक उत्पन्न हो जायगा। . . . . (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो आपको अपनी बात कहने का ही अवसर दे सकता हूं, उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं. . . . . .

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जब वहां पर इंदिरा जी या मुख्य मंत्री जाते हैं तो सब प्रबन्ध हो जाता है, विरोधी दलों के लोगों को पकड़ा जाता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में ला एंड आर्डर है। यदि वे सदन में आश्वासन नहीं देंगे तो कैसे वहां पर शांति व्यवस्था का प्रबन्ध हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जब माननीय बहुगुणा जी राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी के यहां विवाह के उत्सव पर पहले पहल पधारे थे तो हम सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब से प्रदेश के मुख्य मन्त्री माननीय बहुगुणा जी हुए हैं तब से यह हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय मलखान सिंह जी की है। यह वर्ष 1974 से सम्बन्धित है। अतः अवलम्बनीय नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस पर सरकार का आश्वासन आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय मुलायम सिंह यादव व माननीय मुल्तान सिंह की है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और कहने पर कि यह श्री जय प्रकाश नारायण के आने का सवाल है।)

नियम 56 के सम्बन्ध में मैं तो आपको अपनी बात कहने का अवसर भी दे देता हूं। पहले अध्यक्ष तो खारिज कर दिया करते थे। मैं इतनी हद तक तो जाता हूं कि आपको 1–2 मिनट में अपनी बात कहने का मौका मिल जाए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो आप ठीक कहते हैं कि आप हमें अपनी बात कहने का मौका दे देते हैं लेकिन सरकार ने आज डेमोक्रेसी के सब नौर्म्स को ही तोड़ दिया है। जब हम प्रदर्शन करते हैं, जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, जब हमारा आदमी अध्यक्ष होता है, तभी नाना प्रकार की बाधायें उत्पन्न की जाती हैं। हमारे आदमियों को यह गुन्डा कह देते हैं, अपने आदमियों को शरीफ कहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे शान्ति के वातावरण में आयें और उद्घाटन करें। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का पूरा इन्तजाम हो। इस लिये माननीय तिवारी जी को आश्वासन देना चाहिये, वे क्यों नहीं दे रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, यह सूचना पहली बार इस सदन में दी जा रही है। इसके पहले कोई सूचना इस संबंध में नहीं थी। सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि जब किसी भी दल की सभा हो वह शान्तिपूर्ण वातावरण में हो, उसमें अशान्ति पैदा न की जाय। पिछले महीनों में भी जो दौरे हुये हैं, जो सभायें हुई हैं, वहां शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का पूरा प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में जो भी सूचना यहां दी गयी है, मैं उसे जिलाधीश, वाराणसी को भेज दूंगा। उनसे कहा जायेगा कि वे शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो भी आवश्यक प्रयास हों, कानून के अनुसार, वे किये जायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री मलखान सिंह जी का जो प्रस्ताव है, उस पर वे अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं..

(व्यवधान)

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

हमारे इस सवाल से और अहम कोई सवाल हो ही नहीं सकता। किसानों से जबरदस्ती गेहूं की वसूली..... (व्यवधान) .....मैंने कई बार माननीय सहकारिता मंत्री को भी लिखा है, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग को भी लिखा है....

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

दूसरा एक मुलायम सिंह जी का है नहरों में पानी न मिलने के संबंध में। इसी तरह का एक प्रश्न मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं, उसी में इसको भी रख दिया जायेगा, ...

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

श्रीमन्, 4 हफ्तों से नहरों में पानी नहीं आ रहा है, केवल एक पानी की बात है, आप इसे स्वीकार कर लें.....

श्री अध्यक्ष—

एक पानी का ही प्रश्न सारे सूबे का है। (व्यवधान)

श्री मुलायमसिंह यादव—

सिंचाई विभाग की उदासीनता के कारण किसानों में त्राहि-त्राहि मची है।

(व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

जहां तक सिंचाई का सवाल है...

चौधरी मुल्तानसिंह यादव (जिला आगरा)—

4 हफ्ते की रोस्टरिंग थी लेकिन 7 हफ्ते हो गये, खासकर दयालबाग क्षेत्र में नहर में पानी बिल्कुल नहीं आया। इसकी क्या वजह है ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

जब पानी नहीं आयेगा, गेहूं नहीं पैदा होगा तो लेवी से क्या मिलेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

हमने इसकी कोशिश की है कि पूरी-पूरी नहरें चलें और हर जिले के बारे में पूरी-पूरी जानकारी लेते हैं कि कितना पानी दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुलायमसिंह यादव—

यह जानकारी का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं इजाजत देता। आप बैठें। आपके आग्रह पर जब मैं मंत्री जी को कहता हूं कि वह जवाब दें तो आप उनको बोलने नहीं देते।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

अबकी साल इतना कम पानी रहा जितना पिछले 50–60 साल में नहीं रहा लेकिन इसके बावजूद पूरी कोशिश की गयी कि नहरों में पानी चले और बाज नहरों और रजबहों के बारे में यह तय हुआ कि वह 4 हफ्ते के बाद चलेंगी और बाद 2 हफ्ते बाद। इस तरह से रोस्टरिंग करके नहरें चलायी गयीं। नहरें बहुत से मुकामात पर होती हैं। एक जिले में ही उसे चला दिया जाय यह बात कोई महकमा नहीं कर सकता। फसलें इस पोजीशन में हैं कि उनको पानी की आवश्यकता है। बाज मुकामात पर बारिश हुई है लेकिन कुछ जगहों पर नहीं हो पायी है। तो कोशिश हमारे महकमे की पूरी तरह से यह है कि पूरे तरीके से पानी दिया जाय। लेकिन जितना पानी होगा उतना ही तो दिया जा सकेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

चार दिन के बाद तो सारी फसल नष्ट हो जायगी। एक बार पानी दे दीजिये।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

आपका ही जिला नहीं है, दूसरे जिले भी हैं। सब जगह पर बराबर पानी चल रहा है।

चौधरी मुलतान सिंह यादव—

आपकी 4 हफ्ते की रोस्टरिंग बनी है तो क्या वजह है कि 7 हफ्ते हो गये और पानी नहीं आया। या कहिये कि नहर पीछे काट ली गयी।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

आप मुझे लिख कर दें। अगर उसके खिलाफ हुआ होगा तो यकीनन उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। हम हर हफ्ते रिपोर्ट मंगाते हैं और देखते हैं कि जो रोस्टरिंग हुई है उसके मुताबिक पानी आना चाहिये और लोगों की दुश्वारियां दूर होनी चाहिये। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे लिख कर दें, अगर कोई कमी पायी जायेगी तो उन अफसरान के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय का एक है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में। मैंने अपने कक्ष में बताया कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत एक राज्य दूसरे राज्य से वार्ता चला सकता है, समझौता कर सकता है और अगर समझौता न हो तो न्यायालय भी जा सकता है। तो इसमें कोई अनियमितता तो है नहीं। इसमें आपने मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का उल्लेख किया है। तो पीठासीन अधिकारियों के बारे में जो बात होती है उस पर बोलना भी नहीं चाहिये, क्योंकि उससे बहुत पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। इसलिये मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस पर न बोलें तो अच्छा रहेगा। बात यह है कि जिसका आपने उल्लेख किया है वह अनुचित होगा इस विधान सभा में किसी दूसरे प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अध्यक्ष के बारे में नहीं। मध्य प्रदेश विधान सभा में चर्चा हुई और वहां पर यह डायरेक्शन दिया गया कि उस विषय में चूंकि उत्तर प्रदेश एक एकरारनामे को तोड़ रहा है इसलिये मध्य प्रदेश सरकार उस प्रदेश सरकार पर मुकदमा दायर करे। तो चूंकि वहां इस विषय में चर्चा हो चुकी है और दोनों प्रदेश भारत के अंग हैं.....

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि किसी दूसरे प्रदेश का स्पीकर क्या करता है उसको यहां नहीं कहना चाहिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उस पर उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

नाम भी नहीं आना चाहिये क्योंकि फिर हमारा भी उल्लेख वहां हो सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस विषय पर सरकार की ओर से अगर वक्तव्य आ जाय तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के ऊपर मकदमा न दायर करना पड़े।

श्री अध्यक्ष—

यह तो भेजा गया है शासन को ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस पर वहां चर्चा हो चुकी है और यहां तक हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर मुकद्दमा दायर किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 56 में नहीं आयेगा । यह वक्तव्य का विषय नहीं है । आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पर बयान नहीं दिया जाता है । आपका कहना यह है कि शासन आपकी सलाह मान कर उनसे बात करे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मालूम तो हो कुछ, तभी तो सलाह दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में तो अल्पसूचित प्रश्न से जानकारी ले सकते हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह न मालूम कितने दिन में आयेगा ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर क्या बयान कोई सरकार देगी ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

जब यहां के हालात पर मध्य प्रदेश विधान सभा में रोशनी पड़ी है.

श्री अध्यक्ष—

कैसे आप कह रहे हैं कि यहां के हालत पर रोशनी पड़ी है ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैंने उस बयान को देखा. . . . . .

(दो सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

मालवीय जी ने जो लिख कर दिया जब आपने उसको पढ़ा नहीं है कि क्या लिख कर दिया तो आप क्यों कह रहे हैं ?

श्री ऊदल—

मैं आपकी इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों को सुनते हैं, लेकिन आप पूरी चीज नहीं जानते ।

श्री ऊदल—

मैं क्या कहना चाहता हूं वह आपने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

हर एक को सुनने की जरूरत नहीं है । जिसने दिया उसको हमने सुना । मैंने आपसे अपील कर दी कि यह मामला एक दूसरी विधान सभा से सम्बन्धित है । इस पर आपको

अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो सुझाव देना चाहते थे उसकी एक प्रति शासन को भेज दी गयी है। अब शासन जो उचित समझेगा वह करेगा।

श्री ऊदल—

अगर आप इजाजत दें एक मिनट के लिये तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूं।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त नहीं।

श्री ऊदल—

इसी प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे कहना है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें और अलग से लिख कर दे दें जिससे इस पर बयान दिया जा सके।

श्री ऊदल—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके साथ गैर इन्साफी की है तो क्या मध्य प्रदेश की विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया था उस मसले को लेकर मध्य प्रदेश की विधान सभा में चर्चा हुई, इसलिये मेरा निवेदन है कि यहां भी उस विषय पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष—

आप बिलकुल नहीं जानते हैं जो कि लिख कर मालवीय जी ने दिया है। यह परम अनुचित है कि दूसरे अध्यक्ष के बारे में कुछ कहने की आपको मैं इजाजत दूं। (व्यवधान) बर्क साहब, आप बैठें, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता। (व्यवधान)

यह आक्षेप है, जो मालवीय जी ने इसमें लिखा है। इसको पढ़ना उचित नहीं है। मैं इसको खारिज करता हूं।

(व्यवधान)

मैं उनसे निवेदन कर चुका हूं कि इस पर हम बहस नहीं होने देंगे।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मेरी बात तो सुन लें?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैं नहीं सुनना चाहता।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

आपको सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कैसे सुनायेंगे? आपका लिखा नहीं जायेगा। (व्यवधान)

आपको न सुनाने की इजाजत है, न बोलने की। आपका एक भी शब्द लिखा नहीं जायेगा। (व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष--]

आखिर सदन में कोई बात ढंग से करनी चाहिये। आपने जिस तरह से लिख कर दिया है वह बिलकुल गलत है। आपको लिखना नहीं आया। मैं इस मामले को बहस के लिये स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने निवेदन किया कि आप लिखने का ढंग पहले सीखें। दुनियां के किसी भी कोने में किसी अध्यक्ष के विरुद्ध किसी सभा में बहस नहीं हो सकती। म पढ़ता नहीं उसको, लेकिन मेरा फैसला है और मैं इजाजत नहीं देता।

एक इलाहाबाद में आंधी, तूफान तथा ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में सर्वश्री अठई राम, जंग बहादुर सिंह पटेल, हरप्रताप यादव और सत्यप्रकाश मालवीय ने दिया है। इसे मैंने स्वीकार किया है। श्री सत्य प्रकाश मानवीय ने दिया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

गलती से नाम टाइप हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बड़ा गड़बड़ मामला है। यहां टाइप होता है और इस तरह से कहा जाय तो इससे भ्रम होता है। इसको मैंने स्वीकार किया है। पहले वाले में आपका नाम भी जोड़ दिया जायेगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद जी, आपने जो लिख कर दिया है इस पर पहले आप अल्पसूचित प्रश्न करें और रिपोर्ट पर पहले जानकारी हासिल कर लें। आपने जो लिख कर दिया है वह ऐसा है जो देखने में--प्राग्दर्शन से सत्य नहीं मालूम पड़ता। आप अल्पसूचित प्रश्न करें और जानकारी हासिल करने के बाद जो उचित कार्यवाही चाहें करें।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं गलत समझता हूं। जो भी आपने लिख कर दिया है, उस सम्बन्ध में आपको सोच कर कहना पड़ेगा। आपका एक-एक शब्द लिखा जायेगा। लेकिन मेरे कहने के बावजूद, मेरी प्रार्थना के बावजूद जो कुछ आप कहेंगें। जिससे सदन की मर्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

*श्री हरिकेवल--

मान्यवर, मैं केवल एक बात आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं। श्रीमन्, यह पिछले सप्ताह की घटना है। उमरहा ग्राम की औरत के बारे में है। यह महिला तिलौली ग्राम में ब्राह्मण परिवार के यहां बरतन मांजने जाती थी। इस महिला की मान्यवर उम्र 45 वर्ष की है। वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिये ब्राह्मण परिवार के घर में बरतना मांजने का काम करती थी और अपना पेट चलाती थी। उस ब्राह्मण परिवार के घर के एक आदमी ने उससे कहा कि तुमने हमारा रुपया चुराया है, तुम रुपया चुराकर ले गयी हो। उसने इस बात से इन्कार किया और कहा कि हमने तुम्हारा रुपया नहीं लिया है। हमारे पति बाहर मजदूरी करते हैं, हमारे 3 बच्चे हैं मैं बरतन मांज कर इनका पेट पालने का काम करती हूं। मैंने आपका पैसा नहीं चुराया है, पैसा नहीं लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके बावजूद उस ब्राह्मण परिवार के लोगों ने श्रीमन्, उसको एक कोठरी में बन्द किया। उसके दोनों पैर फैला दिये। उसके पांव बांध दिये। इसके बाद श्रीमन्, फार, जिससे हर जोता जाता है, जो लोहे का हर में खेत जोतने के लिये लगा होता है, उस फार को गरम किया। गरम करने के बाद 10 बजे दिन में उसी गरम फार से उसके सारे शरीर को दागा। श्रीमन्, दागने के बाद भी उनको दया नहीं आयी। इसके बाद उन्होंने गरम फार से उसके गुप्त अंगों को दागा और दागने के बाद उस फार के कुछ अंश को उसके गुप्त अंग में डाल दिया। इसके बाद श्रीमन्, मिर्चा पीस कर उसके गुप्त अंग पर लेपन किया गया। जिससे वह बेहोश होकर गिर गयी। श्रीमन्, उसी परिवार की पतोहू ने रुपया लिया था, उसने उसको निकाल कर रख दिया। श्रीमन्, जब राहगीरों ने सुना, तो उसके शरीर को निकाला गया और थाने लाया गया।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मैं इस पर.....

श्री हरिकेवल--

मान्यवर, ऐसी घटना हुयी है। श्रीमन्, वह औरत देवरिया अस्पताल में पड़ी हुयी है। उसका मेडिकल हुआ है। उसकी परीक्षा हुयी है, उसकी रिपोर्ट आप मंगा लीजिये, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि 2 मार्च से वहां कोई अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करने नहीं गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

आप कहना चाहते हैं, आपको अभी मौका मिलेगा।

मैं चाहता हूं कि आपने व्यक्तिगत जानकारी पर जिम्मेदारी के साथ जो चीज कही है उससे मैं भी सहमत हूं। जो आपने लिख कर दिया है उस पर सम्पूर्ण शक्ति के साथ कार्यवाही होनी चाहिये। इसलिये मैंने आपसे कहा कि आपको मौका मिलेगा, अगर महिला के साथ यह सब हुआ है। इसको मैं अभी मुख्यमंत्री को जांच के लिये और सूचित करने के लिये भेज ता हूं।

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक ने अपराधों में बढ़ोत्तरी, गोरखपुर जिले में हत्या, डकैती आदि-आदि के बारे में लिखा है। इसके लिये बजट है।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, बजट की बात तो अलग है। एक बात सुन लें। मैं कहना चाहता हूं कि संसार की जितनी सभ्य सरकारें हुयी है उनका पहला दायित्व है कि नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा की गारंटी। मगर मान्यवर आज सड़क पर और न रेलों में किसी जगह पर सुरक्षा नहीं रह गयी है। न घर में ही सुरक्षा रह गयी। मान्यवर, आज नये-नये अपराध हो रहे हैं। रोजाना डकैतियां हो रही हैं। मान्यवर, इससे तो अच्छा था कि उस तरह की डकैतियां होतीं जैसी मान सिंह और तहसीलदार सिंह डाला करते थे। कम से कम उनमें इंसानियत तो थी। मान्यवर, कितनी डकैतियां बहुगुणा जी के शासन में हो रही हैं, उतनी कभी नहीं हुयी थीं। मान्यवर, ला ऐण्ड आर्डर की दशा अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। लोक तंत्र नहीं रह गया है। गुण्डों का राज्य रह गया है। गुण्डा शाही की जा रही है। मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। औरतों का अपहरण किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके जिले प्रतापगढ़ की बात कह रहा हूं। वहां एक थाना अन्तू है, वहां गौरा ग्राम की एक औरत का अपहरण किया गया है, बरसाती ने अपहरण किया है। इसमें, इस मामले में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक--]

तमाम सत्ताधारी लोग शामिल हैं। मान्यवर, एक बात और बतला दूं कि गौरी थाने के अन्तर्गत दो औरतों. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

यह सब आप पुलिस बजट जो है उसमें कहें। यदि बजट खत्म हो जाय और आपको मौका न मिलेतब आप कहें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मेरी बात सुन लें कि गौरी बाजार में दो औरतों. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं। इस समय आप अनावश्यक कहेंगे और जब समय आयेगा तब नहीं कहेंगे। आज आपको मौका है। जब बजट हो तब आप भाषण दें।

श्री राम अधार ने लिखा है कि लखनऊ में दफा 144 लगी है, 100 रु0 पार्कों का किराया लिया जाता है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

आज सदन के अन्दर जो बात मैंने उठाया है वह हर एक माननीय सदस्य के दिमाग में है। आज उत्तर प्रदेश की मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है लेकिन गम्भीर बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अपने दुखों को कहने के लिये लखनऊ आये किन्तु उसे विधान सभा तक न आने दिया जाय और उसे लालबाग में रोक रखा जाय। दफा 144 लागू करके लाठी, गोली चलाकर कार्यकर्त्ताओं को फांसा जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कहने का आज ही आपको अवसर है।

श्री राम अधार--

मैं सरकार से जानना चहता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शन को विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने के लिये क्यों नहीं आने दे रही है? प्रदर्शन लालबाग में फंसा है।

श्री अध्यक्ष--

आज इस पर जब जवाब देंगे तब आप कह सकते हैं।

मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, पौने 2 बजे गये और 4 बजे से प्रांट शुरू हो जायेगी। इस प्रकार दो घंटे मिलेंगे और उसमें इधर से और उधर से माननीय सदस्य बोलेंगे। घटनायें बहुत सी हैं। तो इस पर सोचना पड़ेगा इसलिये आप मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

बजट में कहें। दूसरे यदि आप बोलने वालों में इन्हीं का नाम देंगे तो वह कह सकते हैं।

श्री राम अधार--

मान्यवर, क्या कारण है कि प्रदर्शन को विधान सभा के सामने नहीं आने दिया जा रहा है? कौन सी शांति व्यवस्था भंग हो रही है? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष--

बजट में कहें। अब कार्य सूची-9-वित्तीय वर्ष, 1974-75 के जो अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

श्री राम अधार--

जनतंत्र के आप रक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष--

आज जो है उस पर आप कह सकते हैं। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। यह नहीं लिखा जायगा। अब मैं आगे चलता हूं। अब मोहन लाल कपूर अनुपूरक अनुदान पर चर्चा शुभारम्भ करेंगे।

श्री रामाधार--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

न चले। आप नहीं चलाना चाहते हैं। इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कैसे चलेगा।

श्री रामाधार--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

आप नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपको समय मिलेगा तब कहें।

श्री रामाधार--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं लिखा जायगा।

श्री रामाधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता।

श्री रामाधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप ऐसे व्यक्ति अपने अहम् के अन्तर्गत सार्वजनिक नुकसान कर रहे हैं। जो बहस करना चाहता है उनका नुकसान करना चाहते हैं। वोट तो इस पर हो ही जायगा यह तय है। चाहे बहस करें या न करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[* * *]

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष--

बिना इजाजत के जो बोल रहे हैं उनका लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नेता रोकते नहीं और कार्यवाही समुचित ढंग से, किस ढंग से चले उस पर प्रकाश नहीं डालते.....

श्री रामाधार--

[* * *]

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप इस तरह से जबरदस्ती सुनाना चाहेंगे तो वह नहीं लिखा जायगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[* * *]

श्री नारायण दत्त तिवारी--

[* * *]

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

कौन जवाब देना चाहता है। कहीं कुछ समझदारी से काम चलेगा या नहीं।

श्री शफीकुर्ररहमान बर्क--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा है कि आज ही इस सब पर मौका है कि आप सारी बात कह सकते हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैंने मोहन लाल जी कपूर को बुलाया है। अगर उनको नहीं बोलने देंगे तो जो शक्ति अध्यक्ष को प्राप्त है एक सदस्य के अधिकारों की रक्षा करने की उसका मैं प्रयोग करूंगा।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैंने श्री मोहन लाल कपूर को बुलाया है और उनके अलावा और किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। श्री राम अधार राय का कुछ भी नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम आधार--

[* * *]

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[* * *]

श्री मुलायम सिंह यादव--

[* * *]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[* * *]

परिवहन मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

इस समय यहां पर पूरी अव्यवस्था है। मुझे इसका बड़ा क्षोभ है। वित्तीय वर्ष आपके सामने है ..... (व्यवधान)। इस तरह से सदन को रोक कर आप काम करना चाहते हैं .....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है, सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर को बोलने की इजाजत दी है। एक घंटा दो घंटा जो स्थिति होगी उसको देखा जायेगा। (व्यवधान) सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर ही बोलेंगे। उनके रास्ते में रुकावट डालेंगे तो मैं उसको देखूंगा। औरों को इजाजत नहीं दी है।

श्री राम अधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मालूम पड़ता है कि किसी को भाषण नहीं देना है। मैं समझता हूं कि इस वित्तीय वर्ष, 1974-75 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर किसी को आक्षेप नहीं करना है, किसी को उसकी आलोचना नहीं करनी है।

श्री राम अधार--

[* * *]

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष--

मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है। चाहे सदन चले या न चले। प्रश्न यह है कि आप सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। मैंने सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर को बोलने के लिये कहा है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी (व्यवधान) किसी का नहीं लिखा जायेगा सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर को इजाजत दी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[* * *]

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर को इजाजत दी है। मैं देखता हूं कब तक ऐसा करेंगे। मैं एक दिन, दो दिन और रात भर बैठा रहूंगा। देखता हूं कौन कितना बैठ सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैंने सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर को इजाजत दी है। उनको समय दिया है। (व्यवधान)।

जो लोग संविधान का उल्लंघन करें, करायें, उनको हमें सिखाना है--

(व्यवधान)

माननीय मोहन लाल कपूर को आप लोग बोल लेने देंगे तो संविधान की रक्षा होगी। जो उनको नहीं बोलने देंगे तो वह कितने बड़े अलोकतन्त्री हैं यह लोगों की समझ में आ जायेगा। उनको बोलने का अधिकार है। यदि आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो सदन की जो दृष्टि होगी वह सदन देखे। मैंने सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर को समय दिया है।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

मैं आपको भी इजाजत नहीं देता हूं। इस समय सदन में अव्यवस्था है।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह जो नेता विरोधी दल हैं, उनको आप समझावें वे कहेंगे तो हम सुनेंगे। मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं। जब आप मोहन लाल कपूर को बोलने देंगे तो कोई बात होगी। मैं आप लोगों को पूरा मौका दूंगा, लेकिन पहले उनको बोल लेने दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उनके भाषण के बाद में या बीच में आप अनुनय-विनय इस हेतु कर सकते हैं, किन्तु अभी नहीं। (व्यवधान)।

वह बराबर खड़े हुये हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया है। आज यही विषय है और आप अपने समय में हर चीज कह सकते हैं।

("सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी", "कांग्रेस की तानाशाही नहीं चलेगी" के नारे लगाये गये।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[* * *]

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस सदन को सदन रहने देना चाहता हूं, जंगल नहीं बनने देना चाहता हूं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता, नियमों के अनुसार सदन चलेगा। यदि माननीय मोहन लाल कपूर नहीं बोल सकते हैं, तो जब तक वह नहीं बोल सकते हैं, मैं किसी को नहीं बोलने दे सकता हूं।

श्री राम अवार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन लाल कपूर के रास्ते में जो आ रहे हैं, वे नियमों, संविधान और प्रजातन्त्रीय मान्यताओं का उल्लंघन कर रहे हैं।

(श्री मोहन लाल कपूर पुनः खड़े हुये)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[* * *]

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौलेरिया (जिला आगरा) --

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आपका भी नहीं लिखा जायगा। किसी का नहीं लिखा जायगा। सिर्फ माननीय मोहन लाल कपूर जितना बोलेंगे उतना लिखा जायगा।

श्री राम अवार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन लाल कपूर, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें। अब मैं कहूंगा कि कोई व्यवधान न हो।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

अब मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्य इस सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

जो हमने माननीय मोहन लाल जी को बोलने के लिये कहा है उसमें रुकावट डाल रहे हैं। यह जो विषय है, उसको इसी बजट के अन्दर कहने का पूरा अवसर है। मैं यह समझूंगा कि आप प्रजातान्त्रिक जो ढंग है उसको बरतने के लिये तैयार नहीं हैं।

एक सदस्य--

[* * *]

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको, किसी को इजाजत नहीं देता हूं। यदि आप माननीय मोहन लाल कपूर के बोलने के अधिकार को स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करें। जिसको मैंने बुलाया है, जिसका नाम दिया हुआ है, मोहन लाल जी को आपोजीशन से सर्वसम्मत नाम के रूप में इस बजट पर चर्चा समारम्भ करने को बुलाया है। जो माननीय मोहन लाल जी को नहीं मानते हैं और उनको नहीं बोलने देना चाहते हैं.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास मोहनलाल जी का नाम आया है। जो प्रश्न आप उठाना चाहते हैं, इसी बजट में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम अधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन लाल कपूर के बोलने के हक को स्वीकार कराने के लिये मैं बार-बार अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आधार--

[* * *]

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जो मसला उठ रहा है उसमें गवर्नमेंट का क्या केस है? बात बहुत छोटी मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि माननीय मोहनलाल जी कपूर इसको रखेंगे। मैं समझता हूं कि वह बोलें, आप भी बोलें और इसके बाद गवर्नमेंट को झुकायें। लेकिन हठ हो और बार-बार लोग खड़े होकर बोलें और अनुचित तर्कहीन चीज हो तो उसका क्या उपाय है? किसी भी चीज के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। आज सबकी सहमति है कि माननीय मोहनलाल कपूर इसको रखें। हम आमतौर पर आप से पूछ लेते हैं जब बजट होता है और विरोधी दल की ओर से कोई बोलता है। आपको मौका मिलता है और कभी आप कह देते हैं कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी बोलें। मुझ से कहा गया है कि माननीय मोहन लाल कपूर इसको रखेंगे यानी चर्चा का शुभारम्भ करेंगे। जब वह कहेंगे कि तो सभी माननीय सदस्यों को बात करने का मौका मिल जायेगा।

चौधरी चरण सिंह--

बहस इस पर मालूम नहीं होती है। पहले से मामला चल रहा था।

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैंने बन्द कर दिया। दफा 144 लगी हुई है। नियम 56 के अन्दर यह विषय नहीं आता है। चेम्बर में कोई बात करते तो मैं सुन लेता कि इस पर कानून के बारे में कैसे व्यवस्था बनेगी। मैंने कह दिया माननीय मोहन लाल कपूर चर्चा प्रारम्भ करें और यह भी कह दिया कि आपको हर चीज उठाने की और इसे भी उठाने की इजाजत दी जायेगी जब एक मर्तबा वह बोलने लगें।

चौधरी चरण सिंह—

मैं अर्ज करता हूं कि सदन में आपके आदेश और इच्छा पूरी होनी चाहिये बिना इसके सदन नहीं चलेगा। इसलिये फाइनल पावर आपकी है। तो क्या मैं एक रास्ता सुझाऊं कि जिससे आपकी भी बात रह जाय और इनकी भी रह जाय, माननीय मोहन लाल कपूर ही बोलेंगे, लेकिन वह पेश्तर इसके कि बजट की बात कहें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन लाल कपूर को मैंने बुला लिया है, उनके बाद यह भी अपनी बात कह लें, लेकिन यह क्या है कि हम सदन नहीं चलने देंगे?

चौधरी चरण सिंह—

इनकी तरफ से मैंने वापस ले लिया। सदन चलेगा और जरूर चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन लाल कपूर बोलें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जो सरकार 10,000 आदमियों को रोके हुई है, ऐसी सरकार को हम नहीं चलने देंगे, यह बात मैंने कही थी।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है, मैं यह कहूंगा कि सारी आज की कार्यवाही आज मैं चौधरी साहब के पास भेज दूंगा अगर माननीय सदस्यों ने जितने आक्षेप किये हैं मुझ पर या किसी पर, उसको वह देख लेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, वह तो लिखा ही नहीं गया है, तो क्या भेज देंगे?

श्री अध्यक्ष—

लिखा गया है, या नहीं लिखा गया है, तो सत्य, सत्य है।

चौधरी चरण सिंह—

वह तो मैंने माफी मांग लिया है।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय मोहन लाल कपूर प्रारम्भ करेंगे। बार-बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय मोहन लाल कपूर को बोलने दीजिये लेकिन कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको बोलने न दिया जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह हम लोग नहीं चाहते थे। (व्यवधान)।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य इस वक्त उठ रहे हैं ... (व्यवधान) आपने तो दिया नहीं .... (व्यवधान) ....प्रश्न यह है कि.... (व्यवधान) नियम यह है कि जो देता है.... (व्यवधान) .....

श्री भगवती प्रसाद—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं। मैंने तो मोहन लाल कपूर को कहा है, वह खत्म कर लेंगे, तो आप भी बोल सकते हैं। माननीय मोहन लाल कपूर बोलें, खड़े हों।

श्री भगवती प्रसाद—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायगा? माननीय मोहन लाल कपूर का लिखा जायगा।

श्री भगवती प्रसाद—

[* * *]

1974-75 के अनुपूरक अनुदानों पर सदस्य विचार

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने 1974-75 की अनुपूरक मांगों पर विचार करने के लिये हम लोग खड़े हुये हैं। अभी हाल ही में कार्य स्थगन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यहां पर चौधरी साहब ने और अन्य सदस्यों ने विचार रखे हैं।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, इतना कहने का मौका दीजिये ....।

*श्री मोहन लाल कपूर—

परन्तु दुख है कि जब अध्यापक और अध्यापिकाओं का जलूस निकला तो उसको लाल बाग के चौराहे पर रोका गया और लोगों को मारते पीटते लाया गया और जी0 पी0 ओ0 के पास लाठी चार्ज हुआ और आज भी जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जलूस निकला तो वही चीज दुहराई जा रही है। यह बड़े खेद की बात है कि आपने उनको जलूस निकालने दिया और उसकी अनुमति दी। मैं तो गया नहीं लेकिन पता चला है कि वहां लाल बाग के पास उनको रोक लिया गया है। यह अनुचित बात है। उनको यहां पर आकर अपनी बात को रखने का मौका मिलना चाहिये। पार्क के लिये 100 रु0 लेते हैं लेकिन जब कांग्रेस का जलूस निकलता है तो बसें मिल जाती हैं और अन्य सुविधायें मिल जाती

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*भाषण का पुनर्मुद्रण नहीं किया।

हैं, लेकिन आज नहीं मिल रही है जिससे चाहे मुख्य मन्त्री हो या और कोई व्यक्ति हो उसकी मान्यतायें कम हो रही हैं। इसका कारण यह है कि हमने जनतन्त्र की उपेक्षा की है और उसको ठुकरा दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से 144 का अनुचित प्रयोग हो रहा है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

जो प्रश्न उठा है, पेश्तर कि बजट पर बोलें, क्या मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्री से या वित्त मन्त्री जी से, जिनको हालात मालूम हैं, यह जान सकता हूं कि गवर्नमेंट का रुख और दृष्टिकोण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर शासन को जवाब देना हो तो दे।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

किस मामले में।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ने जो बात कही है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं आभारी हूं माननीय सदस्य मेरठ का और विशेष रूप से नेता विरोधी दल का कि उन्होंने यहां स्वयं आकर स्थिति को संभालने में सहायता की, जो उनसे अपेक्षा थी। वास्तव में यह नियम रहा है कि कोई किसी पार्टी का जलूस हो उसे बैन नहीं किया गया है या जलूस नहीं निकल सकता है। उसे पूरी छूट है कि जलूस निकाले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो जलूस निकल रहा है तो जलूस निकलने में कोई आपत्ति नहीं है। पार्लियामेंट में यह है कि इस स्थान तक जलूस आयेगा, जिसका उल्लेख भी हुआ है उसी तरह से यहां भी कायदा बनाया गया है कि जी0पी0ओ0 तक जलूस आयेगा और उसके बाद उनका डेलीगेशन मिलने के लिये आ सकता है। वह पहले से आता रहा है। और आज भी उन्होंने मुख्य मन्त्री को चिट्ठी लिखी है। मुख्य मन्त्री जी ने उन्हें 4 बजे का समय दिया है।

श्री भगवती प्रसाद—

गलत बयानी हो रही है। आप क्या बात करते हैं ? श्रीमन्, यह गलत बयानी हो रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो इनकी चिट्ठी का उत्तर भेज दिया गया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन माननीय मुख्य मन्त्री से 4 बजे मिल सकता है। तो हर जलूस के लिये जो सामान्य नियन्त्रण की व्यवस्था होती है, वह इसमें भी दिया गया है। दिल्ली में पार्लियामेन्ट में भी ऐसा ही होता है। वहां भी डेलीगेशन मिलते रहते हैं और अपनी-अपनी मांग देते रहे हैं। यहां भी ऐसा ही होता रहा है।

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उन्हें विधान भवन तक नहीं आने दिया जाता है ?

श्री भवगती प्रसाद—

मेरे पास माननीय मुख्य मन्त्री की डाक मौजूद है। दुर्भाग्य से उसे मैं नहीं लाया हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हमें एक सूचना दी कि वे जुलूस के सिलसिले में हम से और माननीय बाबू राम यादव से मिलना चाहते हैं। श्री टंडन जी जब आपसे मिले तो आपने फरमाया कि जिलाधिकारी, जो जिले का प्रबन्ध करते हैं, से मिलिये। जब टंडन जी ने उनसे मिल कर स्पष्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप उस अधिकारी से मिलिये जो पानी और लान के कार्य को देखते हैं। श्रीमन्, 2 सप्ताह से माननीय मुख्य मन्त्री और जिला प्रशासक के यहां कार्यवाही हो रही है लेकिन अब उन्होंने मिलने का समय 4 बजे का दिया है। जब कि आप हमारे जुलूस को ब्रेक अप करके हमारे जुलूस को वापस कर देंगे, तब आप हमसे मिलना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे हाथ में डंडा नहीं है, मामूली झंडा है जो बांस के फट्टे में लगा हुआ है, हमारे पास कोई बम नहीं है। आप हमें इस मार्ग से क्यों नहीं गुजरने देते हैं? [कांग्रेस) (सत्तारूढ़) पार्टी के किसी सदस्य के कुछ कहने पर] यह उचित नहीं मालूम होता है। मैं अकेला 425 की बात नहीं सुनने दूंगा। मैं बदमाशी नहीं कर रहा हूं। आप बहुत बदमाशी मत करिये। सदन में इस समय सदन के नेता बैठे हुये हैं? आपको बोलने की बहुत आदत है। जो माननीय मुख्य मन्त्री ने पत्र लिखा था उसको मैंने दुहराया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के जलूस के साथ जो घटना हुई है वह होटल के पास माननीय कमलापति त्रिपाठी के बंगले के दूर हुई थी। उस घटना के समय मैं वहां था, उसी घटना को लेकर हम आपसे डिमान्ड कर रहे हैं। आप हमें इधर से जाने दीजिये, आप हमें फिर लाल बाग और कैसरबाग वापस न कीजिये। हम नहीं चाहते हैं कि हम धारा 144 को तोड़ें, आप चलने दें। हम आपसे बहुत छोटी सी डिमान्ड कर रहे हैं और यदि आप जिद करेंगे तो हम धारा 144 भी तोड़ देंगे। विधान सभा रोड पर चाहे हजारो लाशें गिर जायं, हम यहां पर लाखों आदमी इकट्ठे हो जायेंगे। हम तो केवल हाथ जोड़कर 5 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। आप हमारी बात सुन लीजिये। हम कहीं कोई क्रान्ति नहीं कर रहे हैं। हम सीधी सादी बात आपसे करना चाहते हैं। लेकिन आप हमारी बातें सुनने में भी महीनों लगा देते हैं। मैं माननीय तिवारी जी की बात से सन्तुष्ट नहीं हूं कि 4 बजे मिलने का हमें समय दिया गया है। यह तत्काल की घटना है और यह दुर्घटना में परिणित हो सकती है। अगर इस तरह से जुर्म करने की आपने पहल की तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी न कि हमारी। मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी दे दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, कल मेरे पास मार्क्सवादी पार्टी के श्री टंडन ने, जो महामन्त्री अपने को लिखते हैं, एक पत्र भेजा और उन्होंने यह लिखा कि वे मेरे कक्ष में मुझ से 5 प्रतिनिधियों के साथ मिलना चाहते हैं अपना प्रतिवेदन देने के लिये। मैंने उनके पत्र के उत्तर में एक पत्र उनको लिखा कि आपका स्वागत है, आप आना चाहते हैं तो 4 बजे आ जायें। मेरा यह ख्याल था कि 5 बजे वोटिंग के लिये मुझे शायद यहां रहना पड़ जाय। दो माननीय सदस्यों ने—एक जो बोल रहे थे तथा एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, पहले एक पत्र लिखा था मिलने के लिये और मैंने उनको समय दे दिया था, किन्तु जब वे नहीं आये तो मैंने टेलीफोन पर यह मालूम किया कि वे कहां हैं। मालूम यह हुआ कि वे नगर छोड़ कर चले गये हैं। आपकी पार्टी के ही श्री टंडन जी ने फिर दूसरे दिन समय मांगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिलाधीश उनको हजरतगंज होकर निकलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।

मैंने जिलाधिकारी को कह दिया कि यह बात अनुचित है, केवल एक चीज हमने की और वह यह कि विधान भवन के इस तरफ और उस तरफ जो दो चौराहे पड़ते हैं वहां नहीं आने दिया जायेगा।

माननीय चौधरी साहब खुद जानते हैं, अभी दिल्ली में जय प्रकाश नारायण जी के साथ वे एक जलूस लेकर गये थे, मगर उनके जलूस को भी वोट हाउस के निकट तक ही आने दिया गया और उनको अपने जलूस को वहीं पर छोड़ कर अपना मांग-पत्र संसद भवन में आकर देना पड़ा। वहां भी संसद के सामने आने की इजाजत नहीं है। यहां पर भी अगर हम विधान भवन के सामने इजाजत देते हैं तो माननीय सदस्यों को यहां विधान सभा में आने-जाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर जिलाधिकारी ने मुझे बताया कि बातचीत के दौरान आप मान भी गये थे कि दयानिधान पार्क में आप मीटिंग करेंगे और 5 प्रतिनिधि मेरे पास आयेंगे। जहां तक काउन्सिल हाऊस के सामने आने दिये जाने की बात है, मैं खेद के साथ, बड़ी नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि हमारे लिये इस बात को मानना कठिन है।

श्री भगवती प्रसाद—

विधान भवन के सामने के लिये तो हमने नहीं कहा।

श्री राम अधार—

केन्द्र में तो प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रियों का चयन कर लेती हैं, आप मुख्य मन्त्री होते हुये भी अपने मन्त्रियों का चयन नहीं कर पाते....

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

आप इधर आ जायें, मैं आपको मन्त्री बना दूंगा।

(हंसी)

*श्री मोहन लाल कपूर—

अध्यक्ष महोदय, 238 करोड़ रुपये के यह अनुपूरक अनुदान रखे गये हैं। गत वर्ष तो यह समझा गया था कि चुनाव हुये, विधान सभा हो नहीं पायी थी, इसलिये अनुपूरक अनुदान रखे गये थे, मगर कल 12 तारीख को तो पूरा का पूरा बजट रखा गया और साथ ही अनुपूरक अनुदान भी पेश किये गये। इसका मतलब यह है कि यह सरकार प्रदेश की 10 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। विधान सभा का जिस तरह से बजट पर तथा खर्चों पर नियन्त्रण होना चाहिये। उसके जो सिद्धान्त हैं, आज इस सरकार द्वारा उनका गला घोटा जा रहा है।

मान्यवर, साधारणतया अनुपूरक अनुदानों पर हम लोगों की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इन अनुदानों का समर्थन करते हैं। इसमें बहुत सी मांगें ऐसी हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं। (व्यवधान)...

श्री भगवती प्रसाद—

रेलवे स्टेशन बड़ा दूर हो जायेगा। आप प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं और आपकी वजह से ही हम लोग ठंडे रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि जलूस हमारा कहां रुकेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद]
और किधर से घूमेगा। (व्यवधान) हमने तो चार्ट दिया है कि जलूस को किधर से गुजरना है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --
जो नियम तय हुआ है उधर से आयेगा।

श्री मोहन लाल कपूर--
मान्यवर, अनुपूरक अनुदानों की आलोचना करने का हमें पूरा अधिकार है और उस नाते मैं इस पूरे अनुदान की आलोचना कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद--
आगे की रोड से जलूस गुजर जाय तो क्या बात है?

श्री अध्यक्ष--
अगर आपको बात करनी है तो घूम कर आ जाइये और मुख्य मन्त्री जी से बात कर लीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --
शहर के और किसी मार्ग से जाना चाहें तो कोई बाधा नहीं है, सिर्फ इसी मार्ग पर बाधा है।

श्री भगवती प्रसाद--
श्री कमलापति त्रिपाठी के बंगले से वापस होना चाहें तो आपको क्या आपत्ति है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --
ठीक है, त्रिपाठी जी के बंगले से आप वापस हो जायं।

श्री भगवती प्रसाद--
वापस नहीं, लाल बाग की तरफ से होकर उस मार्ग पर आना चाहें तो?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --
पंडित जी के मकान के सामने से हजरतगंज या लालबाग की तरफ कहीं आप जाना चाहें तो कोई रुकावट नहीं है।

*श्री मोहन लाल कपूर--
श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह बजट जो तैयार किया जाता है, केवल अंकों का खेल है। जब जी में आये, यहां के अधिकारी उसे घाटे का बजट बतला देते हैं और जब जी में आये इसे लाभ का बजट बना देते हैं। हमारे सामने कल जो बजट रखा गया है, कितना धोखा है कि वहां करों के लगाये बिना 19 करोड़ रुपये का घाटा दिखलाया गया है। कर न लगा कर जनता को यह दिखलाया जा रहा है कि हम कोई कर नहीं लगाने जा रहे हैं परन्तु आपने देखा है कि पिछले बजट के बाद अध्यादेशों द्वारा कितने कर बढ़ाये गये हैं, यह हम सब जानते हैं। कल चुनाव के पूर्व जिस प्रकार का बजट लाया गया है आप श्रीमन्, यह जानते हैं जिस प्रकार का गोरखधंधा (इस समय 2 बजकर 52 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।) इस बजट की तैयारी में किया जाता है। इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिसाल है भारत के महालेखा सम्परीक्षक की रिपोर्ट। सन् 1973-74 की रिपोर्ट तो अभी तक रखी नहीं गयी है, लेकिन 1971-72 की रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गये हैं उससे मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि किस प्रकार से बजट के साथ खिलवाड़ किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, 1969-70 में जो बजट का अनुमान था वह 389.44 करोड़ था। इसमें अतिरिक्त कर भार सहित बजट हुआ 394.45 करोड़ और वास्तविक आय होती है 435.7 करोड़। यह जो अनुमान था 389.44 करोड़ का उसमें वृद्धि हो जाती है करों की और इस प्रकार से 41 करोड़ यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। इसी प्रकार से 1970-71 में अनुमान लगाया गया था 467.34 करोड़ का और अतिरिक्त भार लेकर उसे 468.93 करोड़ कर दिया गया। और वास्तविक खर्चा 485.40 हो जाता है। और इसी तरह से वृद्धि की राशि थी 16.47 करोड़ रुपये। 1971-72 में प्राप्तियां थीं, वह 494.05 करोड़ थीं और लगाये गये अतिरिक्त कर-भार सहित बजट था 479.46 करोड़ रुपये इस प्रकार वास्तविक आंकड़े होते हैं 525.89 करोड़। इसमें वृद्धि की राशि थी 46.43 करोड़ रुपये। इस तरह से आप देखें तो पता चलेगा कि 10 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

इसी तरह के अब खर्च को भी देख लीजिये। 1969-70 में 438.08 करोड़ रुपये खर्च करना था और बाद में अनुपूरक बजट बनाकर 453.72 करोड़ रुपया खर्च किया गया। वास्तविक आंकड़े थे 406.20 इस तरह से 10 प्रतिशत की कमी हो जाती है। अब 1970-71 को देखिये। 1970-71 में बजट था 418.71 करोड़ रुपये का। पूरक मांगों सहित यह 435.00 करोड़ रुपये का हो गया। वास्तविक आंकड़े थे 413.86 करोड़ के। इस प्रकार से कमी हुयी 21.14 करोड़ की, जो प्रतिशत के हिसाब से 5 प्रतिशत आती है। इसी तरह से 1971-72 को लीजिये। 1971-72 में बजट था 459.47 करोड़ रुपये का। पूरक मांगों सहित यह 549.28 हो गया। वास्तविक आंकड़े थे 514.61। इस तरह से 34.67 करोड़ रुपये की कमी हो जाती है जो प्रतिशत के हिसाब के 6 प्रतिशत आती है।

मान्यवर, अब मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जो यह बजट बनाये जाते हैं तो इनमें प्राप्तियां कम दिखायी जाती हैं। परन्तु वसूल ज्यादा हो जाता है। इसीलिये इस तरह के बजट प्रस्तुत किये जाते हैं। और बाद में इसमें हेर फेर किया जाता है। इसमें कमियां रह जाती हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बजट ईमानदारी के साथ प्रमाणिकता और सत्यता के आधार पर बनाना चाहिये। इसके साथ ही बजट इस प्रकार का बनाना चाहिये कि उसमें कम से कम हेर फेर हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर अनुपूरक बजट 238 करोड़ रुपये का हो जाता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने हर एक मद में हेर फेर किया। मान्यवर, आप तो जानते हैं कि अनुपूरक बजट जब लाये जाते हैं, कुछ असामयिक खर्च होते हैं। जैसे-बाढ़, सूखा या और ऐसी ही कोई इमरजेन्सी हो गयी तो इसके लिये लाया जाता है। परन्तु मान्यवर, आप देखें, आपके थे दिग्दर्शन के लिये मैं दिखाना चाहता हूं, उन्होंने एक खर्च पृष्ट 121 पर दिया है। वायुयान खरीदने की बात की है।

मान्यवर, आप जरा सोचिये। प्रदेश की इस प्रकार की हालत हो गयी है। छोटे-छोटे बिलों का पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं सिंचाई विभाग, पब्लिक वर्क्स

[श्री मोहन लाल कपूर]

डिपार्टमेंट, स्वायत्त शासन विभाग में इन्जीनियरों को आदेश दे दिये गये हैं कि तुमको चेक तो काटना है, परन्तु ठेकेदार जब बैंक में जाते हैं, बैंक में कहा जाता है कि यह चेक भुनाये नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से आज यह प्रदेश दिवालिया हो गया है। छोटे-छोटे बिलों का पेमेंट नहीं हो रहा है। छोटे-छोटे चेक आनर नहीं हो रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इक्स्ट्रा कम्पनी मेरठ का। सरकार के ऊपर इस कम्पनी का 30 लाख रुपया है, लेकिन इस रुपये को सरकार कम्पनी को देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, अभी पिछले समय में अध्यापकों को, जो छोटा वेतन पाते हैं, उनका वेतन स्थायी किया गया है, फिक्शेशन हुआ है। इस प्रकार से जो एरियर बनते हैं। बेसिक शिक्षकों के, अध्यापकों के, जो यह छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, इनके एरियर्स का पेमेंट रोक दिया गया है। मान्यवर, दूसरी तरफ छोटे-छोटे कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से, जबरदस्ती, जमा योजना लागू की गयी है। चपरासी, और जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं इनसे जबरन 25 प्रतिशत वसूली 3 महीनों में की गयी है। यह बातें यही सिद्ध करती हैं कि आपके पास पैसे की कमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरठ का अजय नाम का एक लड़का रुड़की विश्वविद्यालय में पढ़ता है और वाराणसी विश्वविद्यालय का एक लड़का जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे अंक प्राप्त किये हैं इसलिये उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। लेकिन आज सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं इलाहाबाद गया और उनसे कहा कि उनको छात्रवृत्ति दिलाई जाय लेकिन वहां से एक ही उत्तर मिला कि सरकार के पास पैसा नहीं है। यदि सरकार पैसा दे दे तो इन बच्चों को छात्रवृत्ति दे दें। उनको छात्रवृत्ति न मिलने से उनकी पढ़ाई बन्द हो सकती है या उनके माता पिता उधार लेकर उनकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आज यह स्थिति हो गयी है कि शिक्षा के नाम पर पैसा नहीं है।

सार्वजनिक मन्त्री जी ने बताया कि खंड नहीं तोड़े गये लेकिन 10 हजार लोग निकाल दिये गये हैं। अनेक विभागों में छंटनी हो रही है। काम बन्द कर दिये गये हैं। इन सब की स्थिति यह है कि आपके पास पैसा नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मान्यवर, आप कह रहे हैं बार-बार। तो स्पीकर की भूल नहीं है, भूल सरकार की है। इसलिये सरकार से कहें।

श्री उपाध्यक्ष--

चेयर को सम्बोधित करें।

श्री मोहन लाल कपूर--

आप छात्रवृत्ति नहीं दे सकते हैं, 25 प्रतिशत कटौती किया। फिर आप 13 लाख रुपये वायुयान पर खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार राज्यपाल महोदय एक गये और एक आये तो उस पर 25 हजार रुपये खर्च किये। इसी प्रकार राज्यपाल महोदय के नये परदों पर 14,600 रु० का प्राविधान किया गया है। विधान मण्डल और विधान परिषद् में भूमि पर लाल रंग का नमदा बिछाने में 17 हजार रुपये खर्च करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के यह सब खर्च रोके जा सकते हैं। इसी प्रकार से चुनाव में 25 लाख रुपये खर्च करने की बात की है। पृष्ठ संख्या 8 पर अनुदान 7 है स्वायत्त शासन से सम्बन्धित है उसमें नजूल हजरत बेगम पार्क में केवल बाउन्डरी वाल बनाने की क्या जरूरत थी?

वही पैसा बच्चों की शिक्षा में देने की बात थी। आज हमारे सामने आते हैं कि हमारा यह खर्च स्वीकार कर दो। लेकिन यह भी जानते हैं कि स्वीकार तो हो ही जायेगा क्योंकि बहुमत उनका है। इसलिये इस बल पर यह पास करा लेंगे। इसलिये पार्क के चारों ओर बाउन्डरी वाल बनाने की आज जरूरत नहीं थी बल्कि प्रदेश में और काम जरूरी थे।

मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं। यह कहते हैं कि पैसा नहीं है। लेकिन जब पैसा बच जाता है तो यह उसको फिर किस प्रकार खर्च करते हैं इसका एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं। तिवारी जी का एक विभाग है स्टाम्प और पंजीकरण का। उस विभाग में बहुत सारा पैसा बच गया। अब सवाल था कि किस तरह खर्च करें। खर्च करने के लिये उन्होंने कह दिया कि हमें 50 लोहे की अलमारियां चाहिये। मन्त्री जी ने भी कह दिया कि खरीद लें। इस तरह से 50 हजार रुपया खर्च किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इन अलमारियों की जरूरत इनको अब महसूस हुई। पिछले अनुपूरक अनुदान की परिभाषा करते हुये उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कि अनुपूरक बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो अनिवार्य खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिये है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह 50 हजार रुपये का खर्चा किस माने में अविनार्य था। यह अनिवार्य नहीं था। एक बात और बतलाना चाहता हूं। स्टेट बैंक से इन्होंने लोन लिया है। जब इन्होंने 1974--75 का मूल बजट तैयार किया तब ब्याज अदा करने की बात क्यों नहीं सोची गयी ? लेकिन आज इन्होंने 16 लाख 50 हजार रुपया उसके लिये रखा है। मूल बजट तैयार करते समय यह इन सब चीजों को देखते नहीं और फिर अनुपूरक बजट में लाते हैं। इसी तरह से राजकीय मुद्रणालय में जितना खर्चा मूल बजट में रखा गया था उससे भी अधिक 75 हजार रुपया खर्च करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये। जो राजकीय मुद्रणालय है उसमें भ्रष्टाचार है, कागज में गोलमाल होता है और मुद्रण का भी दूसरे प्राइवेट मुद्रणालयों से तीन गुना अधिक चार्ज करते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको दूसरे मुद्रणालयों में छपाया जा सकता है। जो ऐसी चीजें हैं जो गुप्त रहनी चाहिये उन्हें राजकीय मुद्रणालय में छपवायें लेकिन दूसरी चीजें दूसरे मुद्रणालयों में छपा सकते हैं। उन लोगों से टेंडर लेकर उनसे कम दामों पर छपा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह रेडियो और टेलीविजन का तो इस्तेमाल करते ही हैं लेकिन अब एक कांग्रेस इंसाइक्लोपीडिया छपाया गया है जिसको कांग्रेस कोश कहना चाहिये। उसकी 200 प्रतियां खरीदी हैं जो 20 हजार रुपये की हैं। यह 200 प्रतियां लोगों को प्रचार हेतु मुफ्त दी जायेंगी। इस तरह से 20 हजार रुपया कांग्रेस के प्रचार में खर्च करना चाहते हैं। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। वैसे तो कई कमेटी रूम हैं लेकिन एक कमेटी रूम नं0 80 है। उसमें पहले से कूलर लगे हुये थे। मैं नहीं समझता कि उसकी कितनी आवश्यकता थी। जबकि आज बिजली की कमी है परन्तु वहां पर नये कूलर लगाने में ही केवल इन्होंने 38,100 रुपये लगा दिये। इस प्रकार के खर्चे स्वीकार करने की बात हमसे करते हैं। इसी प्रकार से ग्रान्ट नं0 38--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत इन्होंने नशाबन्दी की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जब शराब के ठेकों को नीलाम किया जाने लगा तो हमको अधिकारियों ने बताया कि हमको यह निर्देश दिया गया है कि 25 प्रतिशत दूकान ज्यादा दें। तो एक तरफ यह सरकार शराब से अधिक आमदनी

[श्री मोहन लाल कपूर]

करना चाहती है, अधिक ठेके देकर अपनी आय को बढ़ाना चाहती है और पिछली बार आबकारी के बहस पर मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि ठर्रे की दूकान को मधुशाला बनाना चाहते हैं .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मैंने मधुशाला बनाने की बात नहीं कही थी।

श्री मोहन लाल कपूर--

दूसरी तरफ अनुपूरक अनुदान द्वारा जो खर्चा लाया जा रहा है उसमें आप यह लोगों को बताना चाहते हैं कि शराब बुरी चीज है, शराब जहर के बराबर है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह दोहरी नीति क्या है? एक तरफ तो आप शराब की दूकानों की संख्या बढ़ा रहे हैं और मधुशालायें बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप शराब न पीने का प्रचार कर रहे हैं। आप विज्ञान के द्वारा अपने ही कुछ लोगों को ओबालाइज करने के लिये, कृतज्ञ करने के लिये, इस प्रकार का खर्च कर रहे हैं और वह भी खर्चा 90 हजार रुपये का का है जो केवल शराब बन्दी को रोकने के लिये करेंगे। इस तरह से कहीं शराब रुकती है। अगर आपकी नीति शराब बन्दी की है तो वैसी ही नीति बनाइये और अगर शराब पिलाने की बात है तो वैसी ही नीति बनावें। लेकिन आप तो दोहरी नीति से प्रदेश की 10 करोड़ जनता को धोखे में डालना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहन लाल कपूर--

मैं 10 मिनट और लेना चाहता हूं। इसी तरह से खादी बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें 90 लाख रुपये विभिन्न यूनिटों को बांटने के लिये दिया हुआ है। जो विभिन्न यूनिटों को पैसा दिया जाता है वह बिल्कुल बेकार जाता है और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। कुछ यूनिटें उसमें से 75 प्रतिशत पैसा इस्तेमाल नहीं कर पातीं और सारा का सारा ऐसे ही चला जाता है। विशिष्ट निरीक्षक महोदय ने अपनी रिपोर्ट में इसी बात को कहा है कि यह रुपया इस्तेमाल नहीं होता और व्यर्थ जाता है। मैं आपसे यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि जब सरकार की स्थिति कुछ इस प्रकार की है और हमारे प्रदेश में आर्थिक संकट है तो इस प्रकार के खर्चे नहीं करने चाहिये। सरकार ने अदूरदर्शिता से इन रुपयों का अपव्यय किया है और मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष को निश्चित रूप से इनकी आलोचना करने का अधिकार है।

दो एक बात अब मैं अपने नगर के विषय में कहना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारे मेरठ में एक इन्डस्ट्रियल इस्टेट है जो सरकार ने बनाया है। बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने अपनी यूनिटें खड़ी की हैं। इस समय न तो उसको बिजली मिल रही है, न टेलीफोन की सुविधा है। वित्त मन्त्री जी मेरी बात को सुनें। और वित्त मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस प्रकार जो मेरठ की इन्डस्ट्रियल इस्टेट हैं उसको वह समाप्त होने से बचायें क्योंकि प्रदेश के अन्दर वह सबसे अच्छी यूनिट है।

इसी प्रकार मेरा कहना है कि मेरठ नगर बहुत बड़ा नगर बन गया है। हजारों केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वहां रहते हैं। सी0 डी0 ए0 का दफ्तर वहां है। उसे

'बी' श्रेणी का शहर घोषित किया जाय और इसके लिये यह सरकार प्रदेशीय सरकार को अपनी संस्तुति भेजे।

इसी प्रकार मेरठ शहर में चीनी का वितरण प्रदेश के अन्य नगरों से बहुत कम है। लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर में यह वितरण 1 किलो प्रति यूनिट है। बाकी जो शहर हैं उसमें साढ़े 7 सौ ग्राम प्रति व्यक्ति है लेकिन मेरठ में चीनी 600 ग्राम प्रति व्यक्ति दी जा रही है जो बहुत अन्यायपूर्ण है। मन्त्री जी चीनी का वितरण ठीक करायें।

आज कानून की व्यवस्था सारे प्रदेश में बिगड़ रही है लेकिन मेरठ में यह बहुत भयंकर है। वहां ट्रेनों और बसों को लूटा जा रहा है और रोज चोरी तथा डकैतियां पड़ रही हैं। इस स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान दिया जाय।

इसी प्रकार से नगरपालिका जनता को कोई सुविधा नहीं दे रही है। वहां इस समय प्रशासक है। प्रशासक ने वहां पर जल कर लगा दिया है तथा अनेक तरह के टैक्स लगा दिये हैं और अनियमित रूप से, अन्यायपूर्ण ढंग से वहां की जनता का शोषण हो रहा है। स्वायत्त शासन मन्त्री वहां जायें और देखें कि वहां के नगरवासी कैसा महसूस कर रहे हैं? उनके लिये रोशनी की व्यवस्था नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है, लेकिन टैक्सेज खूब बढ़ रहे हैं। इन कारणों से मैं इन अनुपूरक अनुदानों का विरोध करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, अभी जो मेरे पूर्व वक्ता ने इन अनुपूरक अनुदानों की आलोचना की वह बिलकुल सही है। सरकार को रुपया इसलिये दिया जाता है कि सरकार ईमानदारी के साथ सही कामों पर रुपया खर्च करेगी और उस रुपये का दुरुपयोग नहीं हो पायेगा। लेकिन अनुपूरक अनुदानों से पता चलता है कि हर विभाग में रुपया मांगा गया है। कल ही मैंने एक प्रश्न किया था। हमारे बनारस के जिले में सिंचाई विभाग के तीन उपखंडों में 28 लाख रुपया स्टेट बैंक से फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। ये सब की सब फर्में कलकत्ते की हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है और न ही टेन्डर मांगा है, कुछ नहीं किया है। एक-एक चेक बुकें जब पहले से इन खंडों में विद्यमान थीं तो दूसरी देने का क्या तर्क था? कल सवेरे जब मैंने आखिरी में यह सवाल उठाया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार का नियंत्रण बजट के ऊपर नहीं होगा तो आप चाहे जो अनुदान सदन से पास करा लें लेकिन उसका दुरुपयोग होगा। ये जो अनुदान हैं यह अनुपूरक अनुदान हैं और पिछले वर्ष के खर्च के लिये हैं।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इन बातों की जांच करें। तीन मुद्दे इस तरह के हैं जिन पर अवश्य जांच होनी चाहिये। पहला तो यह है कि जब इन खंडों में एक-एक चेक बुकें पहले से मौजूद थीं तो फिर किस तरह से ट्रेजरी ने उसी तरह की टाइप की हुई दूसरी चेक बुकें इन तीनों खंडों को दीं। जब पहले से चेक बुक कार्यरत थीं तो कैसे स्टेट बैंक ने दूसरी चेक बुक पर 28 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। और तीसरे ये जो 6-7 फर्में हैं--मेसर्स स्टील ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता; पोद्दार ट्रेडिंग कम्पनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

कलकत्ता; महामाया राना इलेक्ट्रिकल ऐन्ड हार्डवेयर एजेन्सी आदि ये कलकत्ते की फर्में हैं। ये ऐसी फर्में हैं जिनका तीनों मामलों से सम्बन्ध है। यह मैं स्टेट बैंक से ले आया हूं और मैं इसे माननीय मुख्य मन्त्री की सेवा में भेज रहा हूं। इनके अन्तर्गत 16 लाख रुपये का मामला है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार की निगाह और उसकी देख-रेख इस रुपये पर और बजट पर जरूरत से ज्यादा होनी चाहिये अन्यथा उसका दुरुपयोग होगा।

इसी तरह से कल के नवजीवन अखबार में आपने देखा होगा कि दसियों करोड़ रुपये का बनारस और बलिया के रिंग्स और लिफ्ट डिवीजन में, घुटाला हो गया। इस सम्बन्ध में मैंने सिंचाई मन्त्री को लिखा, पिछली जुलाई में नियम 51 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकृष्ट किया आपने उसे कार्यवाही के लिये भेजा। मैं मानता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने उस पर कार्यवाही की। कुछ लोगों को सस्पेन्ड किया, कुछ को सर्विस से निकाल दिया। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें प्रमोशन भी मिल रहा है। इस तरह के दो-तीन व्यक्तियों के बारे में मुझे जानकारी है कि उन्हें प्रमोशन भी दिया गया है। कुछ हमारे ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जो माननीय मन्त्री जी के यहां उनकी सिफारिश के लिये पहुंचते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे ऐसे मामलों में सिफारिश के लिये न जायं। इन मामलों में सिफारिश की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। मेरे पास एक नवभारत टाइम्स है . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री ऊदल--

दो मिनट में समाप्त करता हूं। मेरे पास 11 फरवरी, 1975; मार्च, 1975 और 12 जनवरी, 1975 के पेपर हैं जिन्हें मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। इसमें लिखा है कि दसियों लाख रुपये का मामला मुरादाबाद, धामपुर आदि जगहों से सम्बन्धित है। सिंचाई विभाग ट्यूबवेल नहीं लगा रहा है। कल मैंने माननीय मन्त्री जी से पूछा कि बनारस में कितने ट्यूबवेल लगाये गये। उन्होंने कहा कि कल से बजट पर विवाद होगा उसमें सब आ जायेगा। एक भी सड़क बनारस में नई नहीं बनाई गई और कालका धाम पर एक पुल लगने वाला था उसका उसमें कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह से एक बादल-जमालपुर सड़क जो अति आवश्यक सड़क है उसके लिये भी नहीं है। विभाग के आफिसर और इन्जीनियर करोड़ों रुपया खाते जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर तवज्जा दे और जो अधिकारी दोषी पाये जायं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय (व्यवधान) माननीय शारदा भक्त सिंह जी परेशान हैं। वह हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री ऊदल--

मैं लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। एक मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय शारदा भक्त सिंह और उनकी पार्टी जनसंघ और हमारी पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लीयर है। मैं आपको और भा.लो.द. को रिएक्सनरी लोगों को नहीं जाने दूंगा। जनता

आज सतर्क है। आपको कोई भ्रम नहीं हो ना चाहिए। आपको यहां तक नहीं आने देंगे आज हिन्दुस्तान की जनता सजग और चलाक है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी––

श्रीमन् मैं सम्मानित सदन का और विशेषरूप से विरोधपक्ष के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में कोई अधिक खर्च करना उचित नहीं समझा और इस प्रसंग में वह उचित हो रहा है क्योंकि अनुपूरक मदों में कोई ऐसी मद नहीं है जिसको विवादास्पद कहा जा सके। मैं माननीय सदस्य मेरठ का और मुख्य सचेतक जनसंघ का भी बहुत आभारी हूं उन्होंने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। लेकिन कुछ मदें ऐसी हैं जिन पर उनको कुछ संकोच हुआ है।

पहली बात यह है कि सप्लीमेन्टरी बजट इस वर्ष नहीं आया है केवल एक ही बजट पेश हुआ है। आमतौर पर साल में दो बार सप्लीमेन्टरी पेश होते हैं, लेकिन इस साल एक ही पेश करने का प्रयास किया है (व्यवधान) गलत नहीं किया है, हमने प्रयास किया है कि एक ही बार बजट लाया जाय और उससे वित्तीय नियन्त्रण की चेष्टा की है। मैं नहीं कहता कि हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। यह संविधान में अधिकार है कि सप्लीमेन्टरी बजट लाने का। लेकिन इस बार एक बजट लाने का प्रयास किया गया है। श्रीमन्, जो मदें रखी गई हैं वह मदें जैसा कि मेरी परिभाषा में उल्लेख किया गया है उसी की कसौटी में आती हैं। आप देखें इसमें अनुपूरक मांगों के बारे में लिखा है। 'किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय के सम्बन्ध में जो भुगतान करने पड़ते हैं उनके लिये विधान मण्डल के सामने अनुपूरक मांगें पेश करने की आवश्यकता होती है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक मांगें पेश करनी पड़ती हैं। जिनके लिये मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं रहती। अनुपूरक मांगों की उस समय भी आवश्यकता होती है जब कि सम्बन्धित व्यय के लिये धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिये हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान मन्डल के सामने स्वीकृति के लिये पेश करना आवश्यक हो। ऐसी मांगें जो कि 'प्रतीक मांगें' कहलाती हैं, प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

तो श्रीमन् यह संविधान के अनुसार उचित है और उसकी कसौटी में खरी उतरेगी। श्रीमन् उन्होंने एक बात कही विधान परिषद् में लाल नमदें की तो श्रीमन् वह स्वीकार करेंगे कि विधान परिषद् भी एक सम्मानित सदन है। अगर वहां पर कोई इस प्रकार के परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है, तो वह लाजिमी हो जाता है....

श्री मोहन लाल कपूर––

एक तरफ तो आप आर्थिक संकट की बात कहते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के खर्चे को सही कहते हैं, तो ठीक क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

संकट को हल करने की जननी यह सदन है। यदि इस सदन को आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि लाऊड स्पीकर को ठीक कराना है, तो सदन की आवश्यकता प्रजातन्त्र की भित्ति है। उसे पूरा ही करना है। राज्यपाल या सदन का कोई खर्चा है तो उसमें कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कटौती नहीं होनी चाहिये। मैंने तो यह भी कोशिश की है कि विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति किसी खर्च के लिये कहते हैं, लिखते हैं तो हम उसमें कोई कटौती नहीं करते हैं। उसको हम आमतौर पर बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही राज्यपाल के सम्बन्ध में खर्चा भी 'चार्ज्ड एक्सपेन्डेचर' होता है, 'वोटेड' नहीं होता है केवल यह सूचना के लिये यहां रखा जाता है। उसमें केवल केन्द्र से स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, जब कभी ऐसी आवश्यक बात होती है। इसलिये मैंने चेष्टा की है और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे। इस बजट में कुल मिलाकर 324 करोड़ रुपया मांगा गया है। इसमें अधिकांश वह धन शामिल है जो मीन्स आफ एडवांस के रूप में हम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से लेते हैं, जो बाद में हमें वापस करना पड़ता है। इसमें 131 करोड़ रुपया ऐसा ही है और यह एक प्रकार से 'एडजस्टिंग एन्ट्री' है। इसमें से 31 करोड़ 34 लाख रुपया ऐसा है जो विशेष परिस्थितियों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया या भारत सरकार से लोन के रूप में प्राप्त किया गया है। जैसे मान लीजिये खाद्यान्न खरीदने के लिये ही एक बड़ी धनराशि चाहिये, जिसके लिये पहले बजट में प्राविधान नहीं था, उसके लिये ऋण मिला, उसको खाद्यान्न खरीदने में खर्च किया। यह नई मद है, यह अपरिहार्य था उसका पुराने मद में जिक्र नहीं था।

इसके अलावा कुछ खर्च ऐसे हैं जिनकी पहले हमें जानकारी नहीं थी या केन्द्र से उनके लिये पहले बात-चीत चल रही थी, उनका प्राविधान किया गया है। जैसे 75 करोड़ रुपये विद्युत् परिषद् को देने की बात है, जिससे कि परिषद् ओबरा और हरदुआ में पावर स्टेशन पर काम कर सके। इसी तरह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, को कुछ भुगतान किया जाये, सिविल वर्क्स ठीक से चल सकें, ट्रान्सफारमर्स लाइनें ठीक से चल सकें आदि कुछ कार्यों के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार फैजाबाद विश्वविद्यालय का निर्माण, इसी प्रकार लखनऊ यूनिवर्सिटी को मेडिकल कालेज बनवाने के लिये दिया है। टेहरी डैम बनवाने के लिये तथा फर्टीलाइजर खरीदने के लिये दिया है। गंडक योजना में मांग थी कि नहरें बन चुकी हैं, लेकिन गूलें नहीं बनी हैं, जिससे वाटर लागिंग हो रही है। एक लाख एकड़ भूमि में गूलें न बनाने से सिंचाई नहीं हो पा रही थी, उसके लिये व्यवस्था की गई। शारदा सहायक योजना इस प्रदेश की सबसे बड़ी अपने प्रकार की योजना थी। लोगों की मांग थी कि इस पर ज्यादा धन खर्च किया जाये, तो केन्द्र से मांगकर, और दूसरे मदों में बचत कर उसको दिया गया। 20 करोड़ रुपये की उसमें व्यवस्था है। मैदानी भाग में समय-समय पर बाढ़ जो आ गई थी, उसके रोक के उपाय के लिये भी दो करोड़ 9 लाख खर्च करेंगे, 2 करोड़ 87 लाख रुपया जो केन्द्र से मिला, उसके लिये खर्च का प्राविधान है। ये सारी बातें आवश्यक थीं, जिन पर खर्च करना आवश्यक था।

बदायूं जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, अतः इनमें तथा और कुछ स्थानों पर जैसे पीलीभीत जिले में बीसलपुर में सहकारी चीनी मिल लगाने की आवश्यकता थी, जो कि सभी पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें चीनी मिलों की स्थापना के लिये धन का प्राविधान किया गया है। उसका इसमें प्राविधान किया गया। इसी तरह से शहरी एरियाज में जो स्लम्स हैं उसके लिये भारत सरकार से 1 करोड़ 13 लाख रुपये प्राप्त कर सके। उसके लिये प्राविधान किया गया। जो भूमिहीन मजदूर थे उनके आवास के लिये हमें भूमि अध्याप्त करनी थी। उसके लिये

रुपया कम पड़ रहा था। उसके लिये प्राविधान है। विभूति ग्लास वर्क्स, वाराणसी चलता रहे, मजदूर बेकार न हों। उसके लिये प्राविधान है। इसी प्रकार शिक्षित बेकारों के लिये 2 करोड़ 75 लाख का मार्जिनल मनी के रूप में प्राविधान किया गया जिससे शिक्षित बेकारों, बेकार इन्जीनयरों आदि को मार्जिनल मनी दिया जा सके। हम 1975-76 के बजट के लिये इन्तजार नहीं कर सकते थे। रुपया उपलब्ध था। बैंक से भारत सरकार से ग्रान्ट मिल रही थी। इसीलिये कन्टिनजेन्सी फंड बनाया गया है कि जब आकस्मिक व्यय आ जाय तो उस व्यय को सम्पन्न किया जाय।

श्री मोहन लाल कपूर––

यह बतादें कि सरकार ने 13 लाख रुपये जो वायुयान खरीदने में खर्च किया उसकी क्या अनिवार्यता थी? इसी तरह कांग्रेस एन्साइक्लोपीडिया को खरीदने में 20 हजार लगा दिया। नशाबन्दी का केवल प्रचार किया जाता है, 90 हजार लगा रहे हैं, मधुशाला बना रहे हैं, दोनों का क्या तालमेल है?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

वायुयान हमारे राज्य में आज की बात नहीं है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक भी हवाई जहाज न हो। (व्यवधान) हिन्द फ्लाइंग क्लब के जहाज पुराने हो गये हैं। उनका उड़ना भी खतरे से खाली नहीं है। एक आध हवाई जहाज इतने बड़े राज्य के लिये खरीद लिया गया इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) ––

हवाई जहाज और मंगा लिये जायं तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

आपकी इजाजत होगी तो सोचा जायगा। कांग्रेस एंसाइक्लोपीडिया की केवल दो सौ कापियां मंगायी गयीं। वह पुराने कांग्रेस का इतिहास जिसमें मोहन लाल जी कपूर भी शायद शामिल होंगे। ऐतिहासिक विषय के रूप में कांग्रेस का पुराना इतिहास क्या है, उसको पढ़ने के लिये दो सौ कापी एन्साइक्लोपीडिया की खरीदी गयी उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे आशा है कि यह सदन इस अनुपूरक बजट को स्वीकार करेगा।

श्री मोहन लाल कपूर––

एक आश्वासन चाहता हूं। जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी है जिनकी योग्यता छात्र वृत्ति 1974 के अन्त तक मिल जानी चाहिये थी, वाराणसी, रुड़की यूनिवर्सिटीज में जो लड़के पढ़ते हैं, उनकी छात्रवृत्तियां अब तक नहीं मिली हैं। आप कृपया उनकी छात्रवृत्तियां दिलवा दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

माननीय कपूर साहब बजट पर नहीं, वैसे ही कह देते कि छात्र वृत्तियों पर विचार कर लीजिये।

1974–75 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––

अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मण्डल

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत 39,52,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1--राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत 39,52,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 33,65,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 33,65,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 5--निर्वाचन

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5--निर्वाचन के अन्तर्गत 49,49,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5--निर्वाचन के अन्तर्गत 49,49,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्रीमन् मैं राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत 2,83,88,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत 2,83,88,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 4,95,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 4,95,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत 23,57,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत 23,57,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 1,18,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 1,18,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 3,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 3,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18—सचिवालय

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 6,11,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--सचिवालय के अन्तर्गत 6,11,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19--जिला प्रशासन

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--जिला प्रशासन के अन्तर्गत 44,17,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--जिला प्रशासन के अन्तर्गत 44,17,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20--कोषागार एवं लेखा प्रशासन

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--कोषागार एवं लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 15,35,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--कोषागार एवं लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 15,35,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21--पुलिस

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--पुलिस के अन्तर्गत 6,70,45,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--पुलिस के अन्तर्गत 6,70,45,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22--कारागार

कारागार मन्त्री (श्री लोकपति)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि कि अनुदान संख्या 22--कारागार के अन्तर्गत 58,01,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 58,01,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 1,00,55,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 1,00,55,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत 30,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत 30,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 1,27,53,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 1,27,53,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 72,54,300 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 72,54,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—शिक्षा

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 2,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 2,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—चिकित्सा

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत 64,67,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत 64,67,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रसार

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रसार के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रसार के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 12,81,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) —

श्रीमती किदवई यहां हाउस में मौजूद हैं उनको पढ़ना चाहिये। वह पढ़ने के लिये खड़ी भी हुईं। उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। आप बैठें। संयुक्त जिम्मेदारी है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 12,81,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—अन्य समाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत 6,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत 6,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41—सहकारिता

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तगत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनदान संख्या 43--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44--कृषि

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--कृषि के अन्तर्गत 24,86,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--कृषि के अन्तर्गत 24,86,400 रुपये के अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 45--सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

श्रीमन्, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45--सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45--सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47--क्षेत्र विकास

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुयान संख्या 47--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—पशुपालन

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत 900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत 900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50— दुग्धशाला (डेरी) विकास

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51— मत्स्य उद्योग

सहकारिता मंत्री (श्रीनारायण सिंह)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51— मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52—वन

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—उद्योग

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्तव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—उद्योग के अन्तर्गत 69,09,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—उद्योग के अन्तर्गत 69,09,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 1,36,37,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(इस समय 4 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 1,36,37,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास के अन्तर्गत 6,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास के अन्तर्गत 6,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 92,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 92,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59---सिविल विमानन

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59-सिविल विमानन के अन्तर्गत 19,74,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59---सिविल विमानन के अन्तर्गत 19,74,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60---सड़कें तथा पुल

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60-सड़कें तथा पुल के अन्तर्गत 2,50,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60-सड़कें तथा पुल के अन्तर्गत 2,50,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61---कार्यात्मक भवन

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61-कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 1,00,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61-कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 1,00,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62-सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 2,85,700 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 2,85,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63--सार्वजनकि निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 2,13,05,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 2,13,05, 100 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65--पर्यटन

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--पर्यटन के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65-पर्यटन के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 66--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 केलिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत 1,06,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,06,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,40,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,40,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71—आवासन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—आवासन पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–आवासन पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,50,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,50,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,66,47,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,66,47,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 17,15,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 17,15,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78--सामुदायिक विकास योजाओं पर पूंजीगत परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78-सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 27,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78-सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 27,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 80--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 82--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 23,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 23,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 84—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,10,86,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,10,86,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम-शिक्षा

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम शिक्षा के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम शिक्षा के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—उद्योग

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—उद्योग के अन्तर्गत 900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—उद्योग के अन्तर्गत 900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—सहकारिता के अन्तर्गत 35,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—सहकारिता के अन्तर्गत 35,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 93—ऋण और अग्रिम—कृषि

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93—ऋण और अग्रिम—कृषि के अन्तर्गत 600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93—ऋण और अग्रिम—कृषि के अन्तर्गत 600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम—विद्युत

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम—विद्युत् के अन्तर्गत 81,09,19,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974—75 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95 ऋण और अग्रिम—विद्युत् के अन्तर्गत 81,09,19,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1974—75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974—75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

विचार व्यक्त किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, वैसे तो यह सामान्य बजट विचारार्थ आगे आयेगा और उससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक सामने आयेगा। तो उस पर भलीभांति विचार होगा। आपने यह अनुपूरक बजट सामने रखकर उसके सम्बन्ध में यह विनियोग विधेयक विचार के लिये सामने रखा है। तो अधिक मैं नहीं कहना चाहता हूं एक ही बात कहूंगा कि सरकार जब रुपया मांगती है तब यह सदन रुपया देता है लेकिन इस धन का कैसे आप उपयोग करते हैं उसके एक-दो नमूने मैं देना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछले 6-7 महीने से बजट के पास होने के बाद आपने सरकार का रवैया देखा उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सरकार एक बड़ी डेग्नीफाइड कारपोरेशन हो गयी है। इसके वित्तीय वितरण दो भागों में बांट दिये गये हैं—एक कारपोरेशन के खजाने में और एक सरकार के पास रह जाता है। संक्षेप में कह दूं कि धन का कैसे कारपोरेशन इस्तेमाल करते ह, कैसे आटोनामस बाडी और कैसे सरकार इस्तेमाल करती है। आज प्रातः ही आपके सामने एक प्रश्न आया कि अनेकों कारपोरेशन्स हैं जिसमें कुछ नियम में संशोधन के लिये दरख्वास्त दी गयी थी जिसको सरकार ने नहीं मंजूर किया था। संशोधन इस बात का है कि जो इस वक्त नियम है उसके हिसाब से कारपोरेशन्स के वित्तीय मामले में बहस नहीं कर सकते हैं इसलिये उसमें संशोधन कर दिया जाय। उन्होंने इसको नामंजूर कर दिया क्योंकि वह डरते हैं। यदि संशोधन हो गया तो मनमानी नहीं कर पायेंगे। इस तरह एसेम्बली का नियंत्रण नहीं रहेगा तो कारपोरेशन पूरी तौर से धन का दुरुपयोग करेंगे। इसलिये कारपोरेशन का मैं एक नमूना देना चहता हूं जैसे कि विद्युत् परिषद् है। मैंने इस पर एक प्रश्न किया था कि विद्युत् परिषद् का कितना माल स्टेशन पर पड़ा है, कितना डेमरेज दिया है और कितना डेमरेज बाकी है। किस प्रकार यह इस जनधन की चिन्ता करते हैं। जवाब आया कि एक माह से पड़े विद्युत् माल पर करीब 3 लाख 28 हजार रु0 डेमरेज तथा वारफेज के रूप में दिये गये हैं और करीब 18 लाख 46 हजार रु0 देना शेष है। इस प्रकार जो दो तरीकों में स्टेट को बांटा है उसका एक नमूना मैंने रखा है।

वैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का विशेष कृपा पात्र जी0 ई0 सी0 है। उसके बारे में आगे कहूंगा जब कभी इलेक्ट्रिसिटी का मामला विचारार्थ आयेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि किस तरह से जनधन का दुरुपयोग है। कम से कम जो धन लेते हैं उसका इस्तेमाल तो सही

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मातबर प्रसाद त्रिपाठी]

हो। ऐसी गरीब जनता के धन का जिसको कपड़ा पहनने को नहीं, खाने को अन्न नहीं, सही उपयोग होना चाहिये। और दूसरी कारपोरेशंस के बारे में मैं नहीं कहना चाहता।

जो मैंने कहा वह एक भाग था। अब दूसरे भाग पर आता हूं। पिछली बार सदन ने रुपया स्वीकृत किया था। इनके दो विभागों को मैं लेता हूं जो प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स समझे जाते हैं। एक तो है इर्रीगेशन और दूसरा विभाग है पी0 डब्लू0 डी0। लेकिन इन दोनों के पास पैसा नहीं। इन्होंने भी यह कह दिया कि इर्रीगेशन और पी0 डब्लू0 डी0 के हमारे अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां कभी कुछ नहीं हुई। मान लीजिये अगर पी0 डब्लू0 डी0 का पांच करोड़ का खर्चा है तो उसमें पांच पाई की भी कमी नहीं हुई। अगर हिम्मत हो तो हमारे वित्त मंत्री जी बतलायें कि पिछले पांच-छः महीनों में पी0 डब्लू0 डी0 विभाग ने क्या काम किया। इसी प्रकार वह बतलायें कि इर्रीगेशन विभाग ने क्या काम किया। हां, इतना जरूर है कि इकोनोमी की बात की तो यह कि कुछ को डेपुटेशन पर भेज दिया। लेकिन मैं इसमें भी जानना चाहता हूं कि वह कितनों को डेपुटेशन पर भेजना चाहते थे और कितने तैयार हुए। मैं समझता हूं कि वे तैयार नहीं हुए। दो-चार को भेज कर इस प्रकार से यह पब्लिक मनी का क्रिमिनल वेस्ट था।

आपने गरीबों का रक्त खींचा लेकिन यह आपके अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। अब अगर आपने छंटनी भी की तो इनको नहीं बल्कि उन गरीब दस लाख व्यक्तियों को जिन पर सबसे ज्यादा इन्डायरेक्ट टैक्स पड़ता है, जिसकी तनख्वाह सौ डेढ़ सौ रूपये की है उन बेचारों को आपने निकाला। गरीबों का पेट भरना, उनको रोटी, कपड़ा देना तो अलग रहा, जो काम पर लगे हुए थे उनको भी निकाल दिया। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि कुछ यह भी होना चाहिये कि ऐसे कामों के लिये सरकार को इंवीच किया जाय। जहां हमारा इतना गरीब देश है, वहां इस तरह से काम हो तो उसके लिये मिनिस्टर जिम्मेदार है और उसको दोषी ठहराना चाहिये।

मान्यवर अब मैं दो विभाग लेता हूं जो मुख्य हैं। एक वित्त विभाग है और दूसरा पी0 डब्लू0 डी0 विभाग है, वित्त विभाग ने क्या किया। इर्रीगेशन और पी0 डब्लू0 डी0 को दिसम्बर में सैंक्शन कर दिया कि यह-यह काम होगा। लेकिन रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पहली मार्च को स्वीकृत हुआ और फिर यह कि 31 मार्च तक खर्च करें, चाहे अनावश्यक खर्च करें। अगर खर्च नहीं हुआ तो यह कहेंगे कि इकोनोमी हुई। मान्यवर, मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। उत्तर काशी में केवल सैंक्शन देने के कारण 80 लाख रुपये का घाटा हुआ है जिसकी हमें जानकारी है। यह बात अखबारों में आया है। पेपर्स में भी निकला है। 80 लाख का तो मैंने एक उदाहरण दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, और अधिक मैं उसी दिन कहूंगा कि जब सामान्य बजट पर अपनी बात रखूंगा।

इसी प्रकार शारदा सहायक में देखें। वहां कुछ काम हुआ नहीं और लाखों रुपया तनख्वाह और भत्तों पर खर्च हो गया। यह रिपोर्ट मेरी नहीं, इंजीनियर्स की है। एक और मिसाल इनकी बदनियती की देखें कि किस प्रकार से यह जनता के धन के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रधान मंत्री से लेकर यहां तक यह कह गया कि 1975 में चुनाव कराने वाले नहीं। आपने ऐडवर इन्वाइट कर लिये, किस चीज के लिये 1975 के लोक सभा के इलेक्शन के लिये। हालांकि यहां बार-बार यह कहा जाता रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मान्यवर,

लेखन सामग्री के लिये कुटेशन इन्वाइट कर लिये । साथ ही मान्यवर, आप यह देखें कि वोट आन-अकाउन्ट लिया जा रहा है। यह उस इन्तजार में थे कि इलेक्शन होगा, लेकिन इनके कुछ हाथ नहीं लगा। प्रधान मंत्री ने तमाम फाउन्डेशन स्टोन ले डाउन किये वह सब नष्ट होगा। मान्यवर, यह लोग इस इन्तजार में थे कि अगर इलेक्शन की घोषणा हो जाय तो उसी के अनुसार बजट बनावें, नहीं तो क्या आवश्यकता थी वोट आन एकाउन्ट की, क्यों नहीं समय से बजट तैयार किया। सबसे बड़ी इस सरकार की डिसआनेस्टी है पोलेटिकली पब्लिक का रुपया इस्तेमाल करते हैं अपनी पार्टी के लिये। जब सन् 1975 में इलेक्शन नहीं होने वाला था तो क्यों कोटेशन इन्वाइट कर लिये। मान्यवर, थोड़ा सा सामान इनका लघु उद्योग निदेशालय के जरिये खरीदा जाता है और उन्होंने कुटेशन इन्वाइट कर लिये और 2,80,000 रुपये का वहां गोलमाल हुआ है, ऐसा बताया जाता है। जो कुटेशन इन्वाइट किये उसमें एक कुटेशन 10.38 पैसे का था और दूसरा 29.27 पैसे का था। लेकिन कमाल किया, इन्होंने 29.27 पैसे कोटेशन एक्सेप्ट किया, भगवान जाने क्यों। यही इन्होंने एकोनोमी की। यह वित्तीय खिलवाड़ है। अभी तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को छुआ नहीं है।

(दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये)

दूसरी चीज मान्यवर, यह है कि इन्होंने पी0 डब्लू डी0 के लिये सप्ली नेंट्री ग्रान्ट मांगा है, जरा गौर करें। अगर आपने सर्वे कराया है तो बतायें कि कितना सर्वे कराया और 1974 का सर्वे अब हुआ है जब कि वह साल समाप्त हो गया। दुनिया के पर्दे पर कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जितनी भारतवर्ष में और वह भी उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जितना इस प्रदेश की जनता बरदाश्त कर सकती है दूसरी नहीं। इनको यह भी लज्जा नहीं आती कि किसका पैसा यह खर्च किया जा रहा है। मैं बहुगुणा जी से और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बतायें कि जो दो मर्तबा केशवदेव मालवीय जी बरती गये उस पर जो 70 हजार रुपया व्यय हुआ है वह दिया गया कि नहीं। वह 70 हजार का बिल इधर-उधर घूम रहा है। मान्यवर, महात्मा गांधी के वे शब्द मुझे याद आ रहे हैं जब उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि कांग्रेस के मंत्री मोटर कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और करेंगे तो कम से कम इस्तेमाल करेंगे।

एक जमाना था जब गरीबी 40 प्रतिशत थी और मंत्री कारों पर चला करते थे, ट्रेन से चला करते थे। जैसे-जैसे धनी और गरीबों की खाई बढ़ती गई, वैसे-वैसे यह लोग भी जमीन से उठकर आकाश में उठ गये क्योंकि यह तो अमीरों के साथी हैं। उनका सम्पर्क कैसे हो पाये इसलिये प्लेन पर यह चलने लगे, नीचे नहीं चलते। जिस देश में 70 फीसदी इंसान 29 पैसे या 35 पैसे प्रति दिन पर निर्वाह करता है वहां पर प्लेन पर चलने का क्या जस्टीफिकेशन है, 4, 5 हेलिकाप्टर्स खरीदने का क्या जस्टीफिकेशन है। क्या यह सदुपयोग है। आप लोगों को भगवान में विश्वास नहीं है। फांसी पर बहुत से झूलते थे। कोई सहारा नहीं रहता था। बिसमिल का एक शेर है। मुझे याद नहीं है। मंशा यह थी कि आह भर दो बड़ी ताकत है इसमें। जिनको दोनों पहर भोजन नहीं मिलता, जिनका ट्रेन में, सड़क पर तथा बस में चलना दूभर कर दिया है आज उनके प्रतिनिधि प्लेन पर चलते हैं। वह दिन दूर नहीं है जब उनकी आह होगी तो उसके परिणाम आप को भुगतने होंगे।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मैं सोच नहीं पाता कि यह कैसी स्थिति है। एक हवा बह रही है। जिसको द्वितीय गांधी कहते हैं उससे खलबलाहट मची हुई है और यह सरकार उसके कारण दमन पर उतारू हो गयी है। डी0 आई0 आर0 का, मीसा का इस्तेमाल करती है, विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज कराती है ऐसे विद्यार्थियों पर जो विरोध पक्ष के हैं। उन पर दमन करने के लिये रुपया खर्च किया जाता है और स्थिति यह है कि सेक्योरिटी मेजर्स पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं पब्लिक मैन के लिये आज सेक्योरिटी की आवश्यकता पड़ गयी है। इतना पैसा जो खर्च किया जाता है किस के लिये खर्च हो रहा है? कपड़े के लिये नहीं, मकान के लिये नहीं, दवाई के लिये नहीं। दवा के पर्चे की फीस 10 पैसे से बढ़ा कर 50 पैसे कर दी गयी। दवाई ज्यादा महंगी कर दी गयी। सड़कें बनती नहीं। डाक्टर अवेलेबिल नहीं। सड़क की इसलिये जरूरत नहीं है कि आप प्लेन पर आज चलते हैं। यह सरकार पोलिटिकली बेहया सरकार है। यह अपनी गलती को महसूस नहीं कर सकती। यह सिर्फ इतना जानती है कि शासन में कैसे बनी रहे, उसके लिये विरोधियों का दमन किस प्रकार करती रहे। यह दूसरी बात है कि ऊपर से यह हंसते रहेंगे और इस प्रकार घाव पर नमक छिड़कते रहेंगे।

आप चपत मार दीजिये मुझे नहीं खलेगा लेकिन जिस वक्त ये हवाई जहाज से चलते हैं तो कहते हैं कि अमुक को डी0 आई0 आर0 में, मीसा में बन्द कर दो। इस प्रकार यह नौकरशाही भी बेईमान बनाई जा रही है। गवर्नमेंट द्वारा दरोगा तथा एस0 पी0 से यही कहा जाता है कि डी0 आई0 आर0 लगा दो, इस पर 232 अथवा 224 लगा दो। इस तरह से ज्यादातर रुपया विरोधियों के दमन पर खर्च किया जा रहा है। इसलिये यह किया जा रहा है कि इनको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। लेकिन मैं फिर यह कहता हूं कि सरकार सोचे इस बात पर क्या यह रुपये का क्रिमिनल वेस्ट नहीं कर रही है? इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर) --

मान्यवर, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के पेश करते समय जो बातें भ्रष्टाचार के बारे में उठाई गयी वह एक विषाक्त वातावरण के बारे में उठाई जा रही हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश में फैले हुये भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करे। मैं यह महसूस करता हूं कि इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट में इस बात का कहीं अहसास नहीं मिलता है कि आज देश के सामने कितना जबरदस्त खतरा है। जिस तरीके से यह सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट पेश की जा रही है और पेश करनी चाहिये उसमें उसकी औथ्रेरिटी जरूर तय होनी चाहिये। सरकार ने इसको पेश करते हुये जो तकरीर दी उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि आज देश के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनके बारे में वह क्या कर रही है, और उसने क्या किया है। मैं समझता हूं कि विरोधी और रूलिंग पार्टी दोनों की बराबर जिम्मेदारी देश की आजादी को बचाने की है। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अमरीका द्वारा जो हथियार पाकिस्तान को दिये जा रहे हैं उससे देश को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे समय में हम एक होकर इस विषय में सोचना होगा. . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) —

इनके ऊपर रूस का भूत सवाल है । . . . . . .

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

1962 में क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आज देश के अन्दर क्या-क्या साजिशें हो रही हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा, एक होकर सोचना होगा । साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि देश के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, कैसे बेरोजगारी देश के अन्दर से मिटे । बहुत से काम आज बन्द हैं और आप चाहते हैं कि काम जारी रहें लेकिन काम जारी रखते वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि देश की आजादी को बचाने के लिये, देश की एकता को बनये रखने के लिये जो ताकतें देश के अन्दर काम कर रही हैं उनको मजबूती के साथ पकड़ा जाय । यहां पर एकता को तोड़ने की ताकतें भी काम कर रही हैं और उसके लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है । मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे, जो वातावरण आज यहां पर पैदा हो रहा है उससे दुश्मनों की हिम्मत बढ़ेगी और उनका काम आसान हो जायेगा । अगर आप चाहते हैं कि यह सदन अपनी जिम्मेदारी को निभाये और अपना अंकुश प्रदेश पर रखे तो आपको जनता को यकीन दिलाना होगा कि आप प्रजातंत्र को बड़ी जिम्मेदारी के साथ चला सकेंगे । अपने देश की गरीब जनता का विश्वास हासिल करके ही आप यहां की बागडोर चला सकते हैं । . . . . . (व्यवधान) । आपको मास्को की बात से क्यों तकलीफ होतीहै । अमरीका की बात से आपको खुशी होती है । वास्तविकता यह है कि आप में दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं है, आप देश को गुमराह करना चाहते हैं । आपकी नीयत नाकाम होगी और सत्ता आपके हाथ में नहीं आयेगी ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट सदन के सामने है जिसको पास करने की प्रक्रिया चल रही है उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें तो कही जा चुकी हैं लेकिन मैं दो-तीन अन्य बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा ।

गर्ग साहब को एक मीनिया है । श्री जय प्रकाश जी सामने आये हैं । हम तो कहते हैं कि अमेरिका और रूस दोनों बराबर हैं । मान्यवर पाकिस्तान का खतरा जो है आप इतिहास को उठा कर पढ़ें । पाकिस्तान को किसने मंजूरी दी थी, वह यही कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया थी । खैर मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमसे जो पैसा लिया जा रहा है जो गरीबों का पैसा है, यह उनका पैसा है जिनके पास दोनों टाइम खाने को नहीं है । मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों में 80 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम खाना मिलता है । तो उनसे आप पैसा ले रहे हैं और उसको कहां खर्च करने जा रहे हैं हैलीकाप्टरों में, अब मंत्री जी फर्स्ट क्लास में नहीं जायेंगे बल्कि हैलीकाप्टरों में जायेंगे जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा । तो कफन को आप खींचेंगे तो लाश ही नजर आयेगी । तो आज कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार की गंगा सिर से पैर तक न बहती हो । इकोनामी के नाम पर आप कत्ल कर रहे हैं उन लोगों का जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
गरीब हैं, जो अर्धनग्न हैं, जो वीकर सैक्शन हैं, जो पिछड़े और कमजोर लोग हैं। जिनकी दुहाई हमारे बहुगुणा जी मुख्य मंत्री जी देते रहते हैं। उनको आज खत्म करने की स्कीम बना रहे हैं।

सरकारी विभागों में बड़े लोगों को रिट्रेंच नहीं किया जाता है, बड़े लोगों की सुविधाओं में कमी नहीं की जाती है उनके इस्टेब्लिशमेंट में कमी नहीं की जाती है। आज कत्ल किसका किया जा रहा है जो छोटे तबके के हैं। 60 हजार मजदूरों को वह निकाल रहे हैं। ऐसे मजदूरों को जो 20 साल से किसी न किसी विभाग में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सफाई की जा रही है, उन लोगों को निकाला जा रहा है जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास दूसरे साधन नहीं हैं। तो ऐसे 50 और 60 हजार लोगों को जिनको 15 से 20 साल की नौकरी हो गई है। मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि जितने को तीन साल काम करते हो गये हैं उनको परमानेन्ट कर दिया जायेगा, कनफर्म कर दिया जायेगा। तो वह वायदे आपके आंधी में उड़ गये हैं। आज वह मजदूर परेशान हैं जिनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। तो यह ग्रांट आप पास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यह गरीबों के पैसे का, उनकी खून पसीने की कमाई का सदुपयोग करते हैं। उस पैसेको आप वीकर सैक्शन को ऊंचा उठाने के लिये लगाते तो उसमें हम आपका सौ फीसदी साथ देते। जैसा अभी बताया गया कि शारदा सहायक परियोजना में 80 लाख का गबन हुआ है। फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर में क्या हो रहा है। वह आपकी रिस्पान्सिबिलिटी। 10 करोड़ का गबन हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार की बात को सामने लाते हैं, इधर या उधर के लोग कुछ कहते हैं तो सरकार उसे सुनना नहीं चहती है। तो इस सप्लीमेन्टरी ग्रांट को पास होने के साथ-साथ मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करें और बड़े लोगों की सुविधायें कम करें।

जिनके पास कुछ नहीं है उनकी चमड़ी आप मत उधेड़ें। जो वीकर सैक्शन का पैसा है उसका सदुपयोग करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन इसमें शंका होती है क्योंकि अगर पिछला इतिहास आपका देखें, आपके पिछले कार्यकलापों को देखें तो उससे लगता है कि जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब हैं उनको राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप यह जो सप्लीमेन्टरी पास करने जा रहे हैं उसमें आप सदन को आश्वासन दें कि पिछड़े हुए लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है उनको सुविधा देंगे। जो साधन सम्पन्न लोग हैं उनकी सुविधाओं को कम करेंगे। मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो गरीबों का पैसा है उस एक-एक पैसे को उन्हीं के लिये खर्च करेंगे। ऐसा आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां पर देना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं बहुत अनुगृहीत हूं माननीय नेता जनसंघ दल का, जब कोई विनियोग विधेयक आता है तो वह अपने अनुभव से हमको, सरकार को लाभान्वित करते रहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया कि हमारे आज के जो खर्च हैं, उसके दो भाग है, एक कारपोरेशन के माध्यम से और दूसरे शासन के खर्च हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मैं आपसे एक आवश्यक जानकारी चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने शपथ ग्रहण की, उस समय उनके समारोह के अवसर पर दावत में 36 हजार रुपये ज्यादा खर्च हुए हैं। जिनके बारे में मालूम हुआ है कि उसे माननीय मुख्य मंत्री ने अपने किसी फण्ड से दिया है। यह आम चर्चा है कि सरकारी कोष से राज्यपाल महोदय के शपथ समारोह के संबंध में एक बड़ी राशि खर्च हुई है, तो वह किस फण्ड से दिया है हम यह जानना चाहते हैं? जिस समय जनता भूखों मर रही है, उस समय फिजूलखर्ची के लिये और ऐयाशी के लिये जो अतिरिक्त रुपया खर्च हुआ है वह कहां से दिया है सरकार ने ?

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

यह एक सामान्य सा प्रश्न उठा है, क्योंकि हमारे बजट से रुपया खर्च हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने यह रुपया 36 हजार जो दक्षिण के लोगों को शानदार होटलों में ठहराने पर खर्च हुआ है, यह आपने किस फण्ड से खर्च किया है ? जनता भूखों मरती है और आपने यह इतना धन ऐयाशी या किसलिए खर्च किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, अभी जो ग्रान्ट मंजूर हुई है, उसमें ग्रान्ट क्रम-संख्या (2) पर आप इसकी स्वीकृति दे चुके हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कारपोरेशन जो हैं, उनका लेखा-जोखा, उनका बैलेंस-शीट वगैरह तथा सब वार्षिक रिपोर्ट इस सदन के सामने रखी जाती है और पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी उन पर विचार करती है। कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया उसे देखते हैं और उन पर वह अपना पूरा नियन्त्रण रखते हैं तथा साथ ही पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने भी वे सब आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वे नियन्त्रण के बाहर हैं। कारपोरेशन, कारपोरेशन बनाने के लिये हम स्थापित नहीं करते हैं, वह तो जब मजबूरी होती है और प्रदेश के हित में परम आवश्यक होता है तभी हम करते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके मंत्री पाण्डेय जी ने यह उस दिन कहा था विद्युत् परिषद् के बारे में कि इस बात से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। वह खर्च करते हैं, अपना देखते हैं। वह आटोनामस बाडी है। वह खुद खर्च करते हैं, अपना नियन्त्रण रखते हैं। अधिकारियों को रखें और सस्पेंड कर सकते हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई आज का संगठन नहीं है, बहुत पुराना संगठन है। कई सरकारों के अन्तर्गत यह रह चुका है। जब माधव प्रसाद जी मंत्री थे, उस समय भी वह आटोनामस बाडी था। कोई सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि आज उसकी आवश्यकता नहीं है। यह कहना कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही नहीं रखेंगे, यह आज के जमाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

में कोई व्यवाहारिक बात नहीं है। अभी विश्व बैंक की एक टीम हमारे यहां आई, और उसने कहा कि हम तुम्हें 30 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, किन्तु शर्त यह है कि आपको इसके लिये 'जल निगम' बनाना पड़ेगा। अब यह बनाना पड़ा। यह न बनता तो फारेन एक्सचेंज के रूप में दुर्लभ मुद्रा 30 करोड़ रुपये की हमें नहीं प्राप्ति हो सकती थी। यदि हम इस औपचारिकता में रहते कि निगम नहीं बनायेंगे तो यह प्रदेश के हित में न होता। तो वह निगमों के मेरिट को देखें कि वह उस पर खरा उतरता है या नहीं। यह बात ठीक है, उनकी यह सूचना सही है कि पी0 डब्लू0 डी0 में जितना काम पहले हो रहा था, उसकी गति में कुछ कमी आ गई है। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि कोई रुपया खर्च नहीं हो रहा है। 15 करोड़ रुपये से सारे प्रदेश में आज भी सड़कें बन रही हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक महीने के अन्दर यह रिलीज किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो सड़कें पहले से बन रही हैं उनमें काम पूरा करने के लिये भी बजट में प्राविधान है। ऐसी बात नहीं है कि पी0 डब्लू0 डी0 में खर्च करना बन्द कर दिया गया है। यह जरूर है कि रिजर्व बैंक और प्लानिंग कमीशन का कहना है कि बिजली, सिंचाई और खेती को प्राथमिकता दी जाय बमुकाबले सड़कों के। इसलिये धन का आबंटन कम है।

श्री मोती लाल देहलवी—

मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वह वास्तविकता से अलग है। पी0 डब्लू0 डी0 तो इस तरह से दीवालिया हो गया है कि कोई सड़क बन नहीं रही है। दारुलशफा में रहने वालों को अपने पास से सामान खरीद करके लाना पड़ रहा है। यह तो हालत है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 की हालत तो यह है.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन शब्दों के साथ में सदन से अनुरोध करता हूं कि विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 पर कृपया विचार किया जाय।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जहां पर मैं रहता हूं कम से कम एक हजार चूहे हैं। वहां पर प्लास्टर के लिए पैसा नहीं है। सारे कपड़े काट डाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1974–75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975

31 मार्च, 1975 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1974–75 का अनुपूरक) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1974–75 के लिये 3,24,00,70,100 रुपयों का दिया जाना।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1975 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 3,24,00,70,100 रु0 (तीन सौ चौबीस करोड़, सत्तर हजार, एक सौ रुपये केवल) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1975 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	39,52,300	13,700	39,66,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय।	..	1,73,100	1,73,100

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची—(असमाप्त)

1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
4	न्याय प्रशासन	33,65,900	32,03,600	65,69,500
5	निर्वाचन	49,49,700	..	49,49,700
7	भू राजस्व	2,83,88,100	..	2,83,88,100
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	4,95,100	..	4,95,100
9	भूमि और भवन-कर	..	9,400	9,400
11	बिक्री कर	23,57,800	8,200	23,66,000
13	अन्य कर और शुल्क	1,18,300	..	1,18,300
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	3,75,000	..	3,75,000
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार।	..	4,72,000	4,72,000
*16	ब्याज का भुगतान	..	100	100
*17	लोक सेवा आयोग	..	10,28,400	10,28,400
18	सचिवालय	6,11,200	12,000	6,23,200
19	जिला प्रशासन	44,17,200	15,000	44,32,200
20	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	15,35,300	..	15,35,300
21	पुलिस	6,70,45,700	50,400	6,70,96,100
22	कारागार	58,01,500	..	58,01,500
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण	1,00,55,100	..	1,00,55,100
24	सार्वजनिक निर्माण कार्य	30,100	..	30,100
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,27,53,300	..	1,27,53,300
26	अभियंत्रण तथा योजनायें	72,54,300	1,01,900	73,56,200
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	100	..	100
28	शिक्षा	2,500	1,32,400	1,34,900
29	कला एवं संस्कृति	400	..	400
31	चिकित्सा	64,67,800	5,500	64,73,300
32	परिवार नियोजन	200	3,200	3,400
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	300	1,300	1,600
36	सूचना तथा प्रचार	400	1,400	1,800
37	श्रम एवं नियोजन	..	3,900	3,900
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12,81,800	..	12,81,800
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें।	6,00,000	..	6,00,000

विधान सभा

अनुसूची—(असमाप्त)

1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
41	सहकारिता	100	..	100
42	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	1,000	500	1,500
43	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	100	..	100
44	कृषि	24,86,400	31,300	25,17,700
45	सामुदायिक विकास	300	4,800	5,100
47	क्षेत्र विकास	100	..	100
48	खाद्य तथा पोषाहार	100	..	100
49	पशुपालन	900	..	900
50	दुग्धशाला (डेरी) विकास	200	..	200
51	मत्स्य उद्योग	200	..	200
52	वन	100	..	100
53	उद्योग	69,09,100	..	69,09,100
54	ग्राम एवं लघु उद्योग	1,36,37,500	..	1,36,37,500
56	विद्युत् विकास	6,75,000	..	6,75,000
57	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	92,800	..	92,800
59	सिविल विमानन	19,74,300	..	19,74,300
60	सड़कें तथा पुल	2,50,300	..	2,50,300
61	कार्यात्मक भवन	1,00,300	..	1,00,300
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	2,85,700	..	2,85,700
63	सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिये सहायक अनुदान।	2,13,05,100	..	2,13,05,100
65	पर्यटन	400	..	400
66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण।	100	..	100
67	सार्वजनिक निर्माण—कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	1,06,900	..	1,06,900
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	2,40,100	..	2,40,100
70	चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	100	..	100

अनुसूची (समाप्त)

1		2		3
		रु०	रु०	रु०
71	आवासन पर पूंजीगत परिव्यय।	1,10,000	..	1,10,000
72	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	86,900	86,900
73	सहकारिता तथा डेरी विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	4,50,00,100	..	4,50,00,100
74	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पंजीगत परिव्यय।	3,66,47,600	..	3,66,47,600
75	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।		2,00,000	2,00,000
77	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत व्यय।	17,15,63,000	7,000	17,15,70,000
78	सामुपायिक विकास योजनाओं पर पंजीगत परिव्यय।	27,43,000	..	27,43 000
80	पशूपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूजीगत परिव्यय।	100	..	100
82	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	23,50,00,000	..	23,50,00,000
84	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय।	4,10,86,700	..	4,10,86,700
*87	राज्य सरकार के ऋण ..		1,67,64,32,200	1,67,64,32,200
88	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	15,00,000	..	15,00,0000
89	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन	200	..	200
91	ऋण और अग्रिम—उद्योग	900	..	900
92	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	35,74,000	..	38,74,000
93	ऋण और अग्रिम—कृषि	600	..	600
95	ऋण और अग्रिम—विद्युत्	81,09,19,100	..	81,09,19,100
	योग ..	1,55,80,71,900	1,68,19,98,200	3,24,00,70,100

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 1975-76 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण में, जो 12 मार्च, 1975 को सदन में प्रस्तुत किया गया था पृष्ठ 1-5 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम एक महीने में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 1,04,77,03,000 रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 1975-76 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण में, जो 12 मार्च, 1975 को सदन में प्रस्तुत किया गया था पृष्ठ 1-5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम एक महीने में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 1,04,77,03,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

15 मिनट का हम समय बढ़ाये देते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, का 1975 पर विचार किया जाय। मैं माननीय त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वे परम्परा का ध्यान रखें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस पर आपत्ति नहीं हुई। मैं सदन का और सारे प्रदेश का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लेखानुदान बजट के सम्बन्ध में एक्सेप्शन होना चाहिये, जनरल रूल नहीं होना चाहिये। लेकिन यह हमारी सरकार के लिये जनरल बनता चला जा रहा है। 206 के अधीन लेखानुदान मांगा जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब कोई आकस्मिक परिस्थिति हो या इलेक्शन हुये हों या बजट तैयार न हो सका हो या कोई क्राइसिस हो। लेकिन यहां पर तो पूरा साल भर बीत गया। 12 महीने इनके पास थे। लेकिन यह बजट तैयार नहीं कर पाये। मैं इसके बीच में जाना नहीं चाहता हूं कि क्यों बजट तैयार नहीं कर पाये। लेकिन इतना जरूर है कि मंत्रिमंडल में आपस में खटपट थी और एक विचार मंत्रिमंडल में कभी नहीं हुआ। इसीलिये बजट नहीं बन सका। इसलिये वित्त विभाग को अच्छी तरह से गाइड नहीं कर सके।

सबसे बड़ा कारण यह था कि यह इंतजार में थे कि जब 1975 का चुनाव हो तो उस समय तक के लिये लेखानुदान ले लें। यह इन्होंने सदन को और प्रजा को बड़ा धोखा दिया। इसलिये मैं आपत्ति करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सुधर नहीं सकते हैं। इन्होंने पता लगाया है कि उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ चूहे हैं। सरकार मेंटल जिमनैस्टी खर्च में नहीं दिखाई बल्कि यह चूहों के बिलों में घुस कर चूहों को गिनेंगे, बड़े चूहे भले ही खा जायं, सुहागिन वाले खा जायं, बिड़ला, टाटा खा जायं, इस पर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है बल्कि गरीब चूहों पर जोर शोर के साथ हमला कर दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको बुद्धि प्रदान करे कि जिस प्रकार यह चूहों के बिलों में घुस कर चूहों का पता लगायेंगे कि कितने चूहे हैं इसी तरह से वित्त विभाग में घुस करके उसका पता लगायें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

चूहों को तो दिल्ली वाली बिल्ली खा जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इनसे हमारी एक प्रार्थना है कि ये प्रदेश को धोखा न दें। डेवलपमेंट वर्क रोक कर इकोनोमी न करें। आपने क्या कमाल कर के दिखा दिया कि आपने कहा कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन आपने जो किया है वह किसी समय कम न होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले आपने इसलिये लगाया कि 1975 में आपको टैक्स न लगाना पड़े। यह मेन्टल जिमनैस्टी नहीं दिखानी चाहिये थी। कृपा करके प्रदेश के डेवलपमेंट वर्क में किसी तरह की कोई कोताही न करें। चाहे अस्पताल का मामला हो या एग्रीकल्चर विभाग हो, कोई भी विभाग हो आप अवश्य ऐसी कोशिश कीजिये। चाहे एग्रिकल्चर विभाग में हों, चाहे किसी भी विभाग में हों, अगर आप इसको फालो करेंगे, मैं बिलकुल मजाक नहीं कर रहा हूं, तभी कल्याण कर पावेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय नेता विरोधी दल को बधाई देना चाहता हूं. . . .

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

वोट आन एकाउन्ट की जरूरत क्या थी? कोई इक्स्ट्रा स्थिति नहीं थी जिसके लिये आपने एक महीने लिया। आपने फरवरी के शुरू में क्यों नहीं लिया?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में बार-बार निवेदन किया और मैं यह चाहता था कि वोट आन एकाउन्ट लेने की जरूरत ही न पड़े। मैं यह चाहता था कि यह मैं 28 फरवरी को पेश कर सकूं, पहली मार्च को पेश कर सकूं। मैं इसके विवाद में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आपस की सहूलियत से यह तय हुआ था।

चौधरी चरण सिंह--

मैं माननीय तिवारी जी से यह निवेदन करूंगा कि सवाल यह है कि यह तो जनसंघ का सम्मेलन था तीसरी चौथी पांचवीं को, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप पहली मार्च को बजट ले आते तब भी 31 मार्च को पूरा नहीं होने वाला था, 24 दिन चाहिये डिमांड पर बहस करने के लिये, अगर पहली मार्च को लेते तब भी 31 मार्च को पास नहीं कर सकते थे। पहली मार्च को जो आप उनके जिम्मे डालना चाहते हैं कि इसलिये हमको 12 तारीख हो गई कि पहली से लेकर 8-9 दिन चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि क्या वह हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि 9 तारीख तक, 10 तारीख तक वह व्यस्त नहीं थे। इनके यहां पर जायं तब यह कहते थे कि बजट बनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। आपके इस मीठे बोलने का दुरुपयोग करते हैं, बहुगुणा जी आप। कभी भी ऐसी भूल करके गलती न करिये। आप यह न कहिए कि मेरी बजह से देर हुई।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, एक बात आपको भी याद होगी कि माननीय वित्त मंत्री जी मौजूद थे मैंने यह कहा था कि बजट पहले लावें तब उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली से छुटकारा नहीं है यह बात आपके कमरे में हुई थी। यहां पर सदन में माननीय वित्त मंत्री जी क्यों असत्य बात कह रहे हैं। इसलिये सदन को गुमराह करने की माननीय वित्त मंत्री जी कोशिश न करें। आपको हाई कमान से ही फुरसत नहीं थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपके सामने माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था, मैं इनको बहुत प्यार करता हूं, आपके सामने इन्होंने कहा था कि हम लेखानुदान प्रस्तुत करने वाले हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं अधिक नाराज नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

1 अप्रैल, 1975 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग लेखानुदान अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1975-76 के लिये 1,46,89,60,000 रुपयों का दिया जाना ।

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1975 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 1,46,89,60,000 रु0 (एक सौ छियालिस करोड़ नवासी लाख साठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधानमंडल ..	7,99,	12,	8,11,
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय।	..	84,	84,
3	मंत्रि परिषद् ..	2,21,	..	2,21,
4	न्याय प्रशासन ..	47,71,	9,75,	57,46,
5	निर्वाचन ..	19,12,	..	19,12,
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर	89,	1,	90,
7	भू-राजस्व ..	2,32,08,	1,06,03,	3,38,11,
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण ..	8,69,	1,	8,70,
9	भूमि और भवन कर ..	6,	..	6,
10	राज्य आबकारी ..	7,39,	1,	7,40,
11	बिक्री-कर ..	40,10,	27,93,	68,03,
12	मोटर गाड़ियों पर कर	69,03,	1,	69,04
13	अन्य कर और शुल्क ..	4,81,	1,	4,82,
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	3,17,	..	3,17,
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	2,33,79,	2,33,79,
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	6,36,41,	6,36,41,
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	2,18,	2,18,
18	सचिवालय ..	67,30,	1,	67,31,
19	जिला प्रशासन ..	56,43,	2,	56,45,
20	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	11,29,	1,	11,30,
21	पुलिस	4,19,41,	1,	4,19,42,
22	कारागार	38,98,	1,	38,99,
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण	35,77,	..	35,77,
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	2,41,	4,	2,45,
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	30,94,	1,	30,95,

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

विधान सभा

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक, (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	51,25,	33,	51,58,
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	10,88,	1,	10,89,
28	शिक्षा ..	17,12,41,	1,	17,12,42,
29	कला एवं संस्कृति ..	3,63,	..	3,63,
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	1,62,	..	1,62,
31	चिकित्सा ..	2,78,31,	1,	2,78,32,
32	परिवार नियोजन ..	73,57,	..	73,57,
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	1,38,66,	1,	1,38,67,
34	आवास भवन ..	2,63,	19,	2,82,
35	नगर विकास ..	2,44,	..	2,44,
36	सूचना तथा प्रचार ..	10,75,	1,	10,76,
37	श्रम एवं सेवायोजन ..	49,21,	1,	49,22,
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण ..	1,55,36,	1,	1,55,37,
39	दैवी आपदाओं के कारण सहायता ..	80,00,	18,17,	98,17,
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें ..	31,	..	31,
41	सहकारिता ..	36,31,	1,	36,32,
42	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	4,58,88,	1,	4,58,89,
43	सामान्य आर्थिक सेवाएं	9,74,	1,	9,75,
44	कृषि ..	2,03,50,	12,	2,03,62,
45	सामुदायिक विकास ..	1,57,89,	1,	1,57,90,
46	भूमि तथा जल संरक्षण	27,94,	..	27,94,
47	क्षेत्र विकास ..	55,85,	..	55,85,
48	खाद्य तथा पोषाहार	29,38,	4,	29,42,
49	पशुपालन ..	63,61,	1,	63,62,
50	दुग्धशाला (डेरी) विकास	5,74,	1	5,75,

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
51	मत्स्य उद्योग ..	6,56,	1,	6,57,
52	वन ..	48,84,	3,	48,87,
53	उद्योग ..	40,17,	1,	40,18,
54	ग्राम्य एवं लघु उद्योग ..	42,59,	..	42,59,
55	खाने तथा खनिज ..	4,06,	1,	4,07,
56	विद्युत् विकास ..	1,	..	1,
57	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	4,83,65,	1,	4,83,66,
58	सिंचाई अधिष्ठान ..	1,72,74,	1,	1,72,75,
59	सिविल विमानन ..	90,	..	90,
60	संचार साधन ..	1,21,25,	1,	1,21,26,
61	कार्यात्मक भवन ..	3,77,	..	3,77,
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	85,66,	1,	85,67,
63	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान	44,99,	..	44,99,
64	सड़क तथा जल परिवहन	68,	..	68,
65	पर्यटन ..	1,23,	..	1,23,
66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	79,97,	1,	79,98,
67	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	38,56,	21,	38,77,
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	20,47,	..	20,47,
69	चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ..	19,52,	..	19,52,
70	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	11,47,	..	11,47,

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
71	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	68,	4,	72,
72	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,00,61,	..	1,00,61,
73	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,14,33,	..	1,14,33,
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,20,31,	42,	1,20,73,
75	जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर ..	4,66,	..	4,66,
76	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	62,89,	1,	62,90,
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,21,	1,	1,22,
78	खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय ..	16,66,66,	..	16,66,66,
79	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ..	4,96,	..	4,96,
80	वनों पर पूंजीगत परिव्यय	76,	1,	77,
81	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	7,07,28,	1,	7,07,29,
82	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	97,68,	..	97,68,
83	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	1,60,12,	4,	1,60,16,
84	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,92,	..	2,92,

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-सं0	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
*86	राज्य सरकार के ऋण ..	..	41,75,52,	31,75,52,
87	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	5,17,	..	5,17,
88	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन	20,50,	..	20,50,
89	ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन ..	2,20,	..	2,20,
90	ऋण और अग्रिम—उद्योग	79,20,	..	79,20,
91	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	12,65,	..	12,65,
92	ऋण और अग्रिम—कृषि	1,50,00,	..	1,50,00,
94	ऋण और अग्रिम—विद्युत्	12,00,00,	..	12,00,00,
97	ऋण और अग्रिम—वित्त	9,50,	..	9,50,
	योग ..	1,04,77,03,	42,12,57,	1,46,89,60,

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खंड 3, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ।)

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

दर्शक-दीर्घा से नारे लगाने वालों की रिहाई

श्री अध्यक्ष—

एक और मामला है। आज 4.35 बजे सदन की कार्यवाही चलते समय तीन व्यक्तियों ने ऊपर की दर्शक-दीर्घा से डाक्टर अम्बेदकर जिन्दाबाद के नारे लगाये परन्तु वहां पर तैनात रक्षकों ने उन्हें अतिशीघ्र वहां पर अपने कब्जे में करके उस स्थान से हटा दिया। सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम तथा प्रवेश-पत्र दिलाने वाले व्यक्ति का ब्योरा इस प्रकार है :

नाम व्यक्ति	प्रवेश-पत्र दिलाने वाले का नाम
श्री छेदी लाल निराला	श्री ऊदल
श्री किशोरी लाल	श्री गंजी प्रसाद
श्री नसीर अहमद	श्री शतरुद्ध प्रकाश।

तीनों व्यक्ति आदेशार्थ रक्षकों की हिरासत में बैठाये हुये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) —

छोड़िये।

श्री अध्यक्ष—

सदन सहमत है। छोड़ दिया जाये।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री जंग बहादुर वर्मा, मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा का बाराबंकी नगर के सिटी इन्टर कालेज के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज एवं आंसू गैस का प्रयोग करने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य के लिये है। दूसरा विमल प्रसाद तिवारी का फर्रुखाबाद जिले में आलू की कीमत में मन्दी आने के फलस्वरूप आलू उत्पादकों में असंतोष के बारे में है। आलू का मामला है, महत्वपूर्ण है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहां पर आलू की बम्पर फसल हुई है जो आलू के बीज की कीमत 40 रुपये थी वह इस समय 27 रुपये के हिसाब से बिक रही है और जो आलू का बीज 35 रुपये था वह 23 रुपये के हिसाब के बिक रहा है। किसानों की हालत जर्जर हो रही है। बड़ा अहम मसला है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, इस पर वक्तव्य जरूर दिलावें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर आलू के सम्बन्ध में आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

श्री सूबेदार प्रसाद, उमा नाथ सिंह, राम जी सिंह, रणवीर राम, झिलमिट, कालीचरण यादव, हिम्मत सिंह, मोहम्मद रफी खां का ओले और अकाल से सम्बन्धित है। तो उनके नाम, जो स्वीकार हुआ है, उसमें जोड़ दिये जायेंगे।

एक माननीय काशीनाथ मिश्रा का है। इसमें इनका कहना है कि विकास विधेयक पारित होते समय माननीय मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि गंगा और घाघरा की घाटी में बालू और पानी की जमीन में विकास कर नहीं लगेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जब सदन में विकास-कर का विधेयक पास हुआ था तो मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि जो जमीन पानी और बालू के अन्दर वाली होगी, उन पर विकास-कर नहीं लिया जायगा। हमारे क्षेत्र की बहुत सी जमीन पानी और बालू में है लेकिन वहां के तहसीलदार और अन्य अधिकारी और अमीन वगैरह 3-3 साल की बकाया वसूल कर रहे हैं। जब मैंने वहां जिलाधिकारी से बात की और उन्हें जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट की धारा 205 का हवाला दिया जिसके अनुसार विकास-कर नहीं लगना चाहिये तो उन्होंने कहा कि हम लगान तो नहीं लेते हैं। तब मैंने कहा कि जब आप लगान नहीं लेते हैं तो विकास कर भी नहीं लेना चाहिये। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्य मत्री जी जिला बलिया के अधिकारियों को आदेश दें कि वे वहां के ऐसे किसानों से विकास कर न लें।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

जो प्रश्न माननीय मिश्र जी ने सदन में उठाया है, उसे सूचना मानकर सारे प्रदेश के लिये यह आज्ञा कर दी जायेगी, आज ही। गवर्नमेंट को पावर है कि वह किसी भी टैक्स को छोड़ सकती है विकास-कर या और किसी भी टैक्स को छोड़ सकती है जब कोई दैवी आपत्ति हो। जहां तक बलिया में उस जमीन का सम्बन्ध है जो पानी में और बालू में जमीन है, उसके लिये मैं आज ही आदेश करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक श्री भगवती सिंह का प्रश्न है उस पर चर्चा हो चुकी है। जहां तक मोती लाल जी का प्रश्न है जिला कानपुर के थानेदार के सम्बन्ध में, उसमें आप अल्प-सूचित प्रश्न कर लें।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
13 मार्च, 1975।

नत्थी "क"

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1093 पर)

होम्योपैथिक छात्र-संघ की आठ सूत्री मांगों की सूची

1--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का ऐक्ट जो कि विधान सभा में पारित किया जा चुका है, लागू किया जाय।

2--होम्योपैथिक का अलग निदेशालय हो।

3--समस्त होम्योपैथिक कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जाय।

4--बी० एम० एस० उत्तीर्ण छात्रों को कन्डेंस कोर्स, इन्टर्नशिप एवं जी० एच० एम० एस० डिग्री की व्यवस्था की जाय।

5--होम्योपैथिक कालेजों के प्रवक्ताओं का सेवा नियम किया जाय।

6--प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में होम्योपैथिक शाखायें खोली जायं तथा अधिक से अधिक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जायं।

7--राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों को राजपत्रित घोषित किया जाय।

8--सेन्ट्रल कौंसिल आफ होम्योपैथिक में प्रदेश के समस्त कालेजों के प्रधानाचार्य एवं योग्य चिकित्सकों को सदस्यता का स्थान दिया जाय।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

[देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1105 पर।]

दिनांक 7 फरवरी, 1975 को मदन मोहन मालवीय स्टेडियम (एलफ्रेड पार्क), इलाहाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान हुई घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 7 फरवरी, 1975 को मदन मोहन मालवीय स्टेडियम (एलफ्रेड पार्क) इलाहाबाद में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। दर्शकों की संख्या काफी थी जब कि स्टेडियम में केवल 15,000 व्यक्तियों के बैठने का स्थान था। खेल आरम्भ होने के कुछ समय बाद एक ओर से कुछ गड़बड़ी हुई। पुलिस ने गड़बड़ी करने वालों को रोका परन्तु उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। इसी बीच वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच गये तथा स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया। स्टेडियम के बाहर फाटक पर भारी भीड़ एकत्र थी जो अन्दर घुसना चाहती थी। कुछ समय बाद सैकड़ों व्यक्ति स्टेडियम के अन्दर घुस गये व कुछ लोग खेल के मैदान में भी आ गये। अधिकारियों ने किसी प्रकार स्थिति को सम्हाल लिया। दोपहर के खाने के बाद खेल पुन: आरम्भ हुआ। खेल दो घंटे तक चला। जब एक खिलाड़ी ने छक्का मारा तो इस पर दर्शकों में खलबली मच गई व भीड़ अपने स्थानों से उठकर मैदान में आ गयी। भीड़ ने खिलाड़ियों को घेर लिया व उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। पुलिस ने किसी प्रकार खिलाड़ियों को मैदान से बाहर निकाल लिया। भीड़ को मैदान में वापस करने का हर सम्भव प्रयास किया गया पर वह नहीं हटी। भीड़ हिंसा पर उतर आयी व उसने तोड़-फोड़ करना आरम्भ कर दिया। कुछ उपद्रवकारी स्टेडियम की दीवार पर चढ़ गये व शामियाने में आग लगाने की चेष्टा की। जब चेतावनी का कोई प्रभाव न पड़ा तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा व खेल को भी बन्द करना पड़ा।

2—स्टेडियम से निकल कर भीड़ हिन्दू छात्रावास के पास एकत्र हो गयी। भीड़ ने एक पुलिस ट्रक को रोक लिया व उसमें आग लगा दी। बस चालक को भी पीटा गया। पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच गयी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। छात्रावास की ओर से पुलिस पर गोली भी चलाई गई व एक हथगोला भी फेंका गया। जब समझाने-बुझाने व चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस का प्रयोग किया गया व हल्का लाठी चार्ज भी किया गया। 15 छात्रों को मौके पर गिरफ्तार किया गया जिनमें 7 को चोटें थीं। चार छात्रों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनको पांच दिन बाद डिस्चार्ज किया गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। 39 पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को भी चोटें आईं जिनमें से 5 की चोटें गम्भीर थीं। छात्रों ने 8 रोडवेज बसों को भी क्षतिग्रस्त किया। घटना के सम्बन्ध में 19 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1109 पर।)

प्रतिलिपि गोपनीय

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या 6098-इन्फ/78 इन्फ-73. दिनांक : लखनऊ, 28, सितम्बर, 1973

1--समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2--समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),
उत्तर प्रदेश।

मैं आप लोगों को समय-समय पर यह चेतावनी देता रहा हूं कि प्रवर्तन कार्य में काफी शिथिलता दृष्टिगत हो रही है और प्रतिदिन अनेकों अनियमिततायें विभिन्न मार्गों पर देखने में आती हैं। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आप व आपके अधीनस्थ अधिकारियों पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि न तो आप लोग अनियमितताओं के उन्मूलन की ओर सचेष्ट हैं और न भिन्न-भिन्न मार्गों पर आकस्मिक चेकिंग करके वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं।

प्रवर्तन अधिकारियों के अधिक्षेत्र पहले की अपेक्षा अब कुछ छोटे भी हो गये हैं। फिर भी कोई विशेष प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरसरी तरह से चेकिंग की जा रही है तथा आंकड़े पूरे किये जा रहे हैं। मैंने यह भी देखा है कि प्रवर्तन अधिकारी चुंगी के समीप अथवा उसके इर्दगिर्द ही चेकिंग कर कार्य पूरा करने का प्रयत्न करते हैं प्रवर्तन अधिकारियों से जो साप्ताहिक विवरण मुख्यालय में प्राप्त हुये हैं उनके देखने से यह प्रकट होता है कि ये लोग केवल कुछ ही मार्गों पर चेकिंग करते हैं और अपने क्षेत्र के अनेक मार्ग उनके द्वारा चेकिंग से वंचित रह जाते हैं। यही नहीं जो विवरण चेकिंग के भेजे जाते हैं उनमें यह निष्कर्ष निकलता है कि वे केवल कोटा पूरा करने के लिये घंटी, वाइपर इत्यादि मामूली बातें देखकर चालान कर देते हैं।

कई सम्भागों में मैंने यह देखा है कि एक अरसे से आप लोगों की गाड़ियां ठीक नहीं हैं। इसकी आड़ लेकर चेकिंग से सम्बन्धित कार्य समाप्त प्राय कर दिया गया है जबकि इस सम्बन्ध में यह आदेश है कि गाड़ी खराब होने की दशा में अन्य साधनों द्वारा चेकिंग की जाती रहे। यदि आपकी गाड़ी ठीक नहीं है तो आप किसी कर्मचारी को सम्पूर्ण पत्रावली सहित मुख्यालय भेजकर इस दिशा में समुचित प्रबन्ध करा लें।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चेकिंग की दशा और भी शोचनीय है. राज्य सड़क परिवहन निगम की गाड़ियों की चेकिंग तो आप लोगों द्वारा बिल्कुल बन्द सी ही कर दी गयी है जिसका कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो अनियमित ढंग से निजी गाड़ियां चल रही हैं, उनके संचालन को भी बिल्कुल बन्द करवाना अनिवार्य है। यह तभी हो सकता है जब आप व आपके अधीनस्थ प्रवर्तन अधिकारी ईमानदारी, परिश्रम एवं कार्य-कुशलता का परिचय देते हुये अपने क्षेत्र के प्रत्येक मार्ग पर योजनाबद्ध

और आकस्मिक चेकिंग करें। अत: अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी प्रति माह 500 क्वालिटी केसेज व इसके अतिरिक्त विविध प्रकार के 500 अन्य केसेज भेजें। इस प्रकार प्रतिमाह उनको 1,000 केसेज देना अनिवार्य हो गया है।

शासन ने आप लोगों के कार्य की बड़ी निन्दा की है तथा यह निर्णय लिया है कि यदि आप लोग सही प्रकार से कार्य करने में उदासीनता दिखायेंगे तो आप लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

मैं अपनी ओर से आप लोगों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पत्र की प्राप्ति के दिनांक से आप लोग अपने कार्य में तुरन्त ही विशेष सुधार और प्रगति लाने का वास्तविक प्रयास करें ताकि विभाग की ख्याति पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका निराकरण हो सके। मैं पूर्व ही समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को यह लिख चुका हूं कि उनका यह विशेष कर्त्तव्य है कि वह यह देखें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सत्यनिष्ठा व लगन से कार्य कर रहे हैं। इस ओर पुन: आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि आपके क्षेत्र में कोई भी शिकायत अथवा शिथिलता पायी गयी तो उसके लिये आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस ओर आप यह देखें कि प्रवर्तन अधिकारी केवल 8.00 घन्टे का बहाना न बनाकर प्रतिदिन ईमानदारी, मेहनत व चुस्ती से कार्य करें तथा इन अनियमितताओं को शीघ्रातिशीघ्र दूर करें।

यहां आप लोगों को यह भी बता देना चाहूंगा कि यदि एक मार्ग दो अथवा दो से अधिक प्रवर्तन अधिकारियों के अधिक्षेत्र में पड़ता हो तो वह प्रवर्तन अधिकारी पूरे मार्ग पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेकिंग कार्य कर सकते हैं तथा इसमें कोई बाधा प्रतीत नहीं होती है। इस कार्यक्रम के लिये यह आवश्यक है कि प्रवर्तन अधिकारी परस्पर बातचीत कर लें व इस प्रकार से ऐसा प्रोग्राम बनावें कि मार्ग के दोनों ओर से पर्याप्त चेकिंग होती रहे।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

(ह0) **नन्द प्रकाश बातल,**
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 60140(1)/इन्फ सम दिनांकित

प्रतिलिपि समस्त उप परिवहन आयुक्तों व सहायक परिवहन आयुक्तों को इस अभिव्यक्ति के साथ प्रेषित कि जाती है कि वे जब भी दौरे पर जायं तो कृपया सम्भागीय कार्यालयों तथा प्रवर्तन दलों के कार्य की भी जांच करें तथा आकस्मिक चेकिंग करके कार्य सम्पादन का विश्लेषण करें। यदि उन्हें कहीं कोई ढिलाई (लैंगजिटी) मिले तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तुरन्त दें तथा सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति वार्षिक प्रविष्टियों की संस्तुति में उसका ब्योरेवार उल्लेख करें।

(ह0) **नन्द प्रकाश बातल,**
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1113 पर।)

उपभोक्ता का नाम

1--सुखपाल आईस एन्ड कोल्ड स्टोरेज, झांसी।
2--झांसी आइरन एन्ड स्टील रौलिंग मिल्स, झांसी।
3--यहूजा वाटर वर्क्स, नगर पालिका, झांसी।
4--प्रिन्सिपल, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1116 पर।)

घटनाओं का विवरण

दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 को हसनपुर (जिला मुरादाबाद) में एक जुलूस निकाला गया जो लगभग 3 बजे अपरान्ह हसनपुर तहसील में पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने तहसील के अन्दर घुसकर परगना मजिस्ट्रेट पर हमला करने का प्रयत्न किया। उपस्थित पुलिस द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने, जिनमें अवांछनीय तत्व भी शामिल थे, ईंटों की वर्षा आरम्भ कर दी जिससे थानाध्यक्ष हसनपुर के अतिरिक्त कई अन्य पुलिस कर्मचारियों तथा तहसील के एक चपरासी को चोटें आईं। इनमें से पी0ए0सी0 के एक हेड कांस्टेबुल को अधिक चोट आने के कारण उसे एक अन्य कांस्टेबुल के साथ अस्पताल भेजा गया। भीड़ के तत्वों ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा अधिकारी से उक्त घायल सिपाही को उन्हें सौंपने को कहा और ऐसा न किये जाने पर उपद्रवियों ने वहां भी भारी पथराव किया जिससे सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंची तथा अस्पताल के एक कर्मचारी को भी चोट आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

इसके पश्चात् शहर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जब पुलिस की टुकड़ियों गश्त कर रही थीं तो उन्हें इब्राहीम नामक अभियुक्त, जो तहसील में हुई उपरोक्त घटनाओं में वांछित था, दिखाई पड़ा जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तभी एक भीड़ ने आकर पुलिस दल को घेर लिया तथा अभियुक्त को छुड़ाने के उद्देश्य से पुलिस दल पर हमला बोल दिया। इसी दौरान भीड़ से किसी ने उस कान्सटेबुल, जो उक्त अभियुक्त को पकड़े था, पर गोली चलाई जिससे उक्त कान्सटेबुल तथा दो व्यक्तियों श्री रियाजुद्दीन तथा श्री मुहम्मद आलम, जो उक्त कान्सटेबुल के बिलकुल पास थे, घायल हो गये, और अभियुक्त भाग निकला। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा हावई फायर करने पर भीड़ तितर-बितर हो गई।

चूंकि उपरोक्त दोनों घायलों की चोटें गम्भीर थीं, अत: उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के उपरान्त, उचित एस्कोर्ट के साथ, मुरादाबाद सदर चिकित्सालय भिजवाया गया। दुर्भाग्यवश श्री मुहम्मद आलम की मार्ग में ही मृत्यु हो गई तथा श्री रियाजुद्दीन की मृत्यु मुरादाबाद अस्पताल में हुई। उपरोक्त दोनों मृतकों के आश्रितों को एक-एक हजार रुपये सरकार की ओर से दिये गये।

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1120 पर।)

संलग्नक

योजनाओं की स्थिति योजनावार इस प्रकार है :

1—जखोली ब्लाक मुख्यालय—अनुमानित लागत 3.72 लाख रुपये

ऐसी कोई योजना विभाग द्वारा निर्मित नहीं की गई। जो योजना निर्मित की गयी वह जाखनी पेयजल योजना 3.39 लाख रुपये लागत की है। इस योजना में सम्मिलित 11 ग्रामों में से तीन (3) में पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। अनुमानित लागत से अधिक व्यय हो जाने के कारण योजना के 1969-70 में बनाये गये प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया जा रहा है और इसकी स्वीकृति के पश्चात् बाकी गांवों को पेयजल पहुंचाने हेतु शेष कार्य आरम्भ कराया जायेगा।

2—क्वीलाखाल भरदार योजना—अनुमानित लागत 6,00,000 रुपये

इस योजना की वास्तविक लागत 1,83,700 रुपये है और इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन जलश्रोत में पानी की मात्रा कम उपलब्ध होने के कारण पांच (5) ग्रामों में से दो (2) में पानी देना सम्भव हो सका है शेष तीन (3) ग्रामों में पेयजल व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

3—रायड़ी फुटगढ़ पेयजल योजना—अनुमानित लागत 1,46,000 रुपये

यह योजना 1,04,600 रुपये की लागत से बनाई गयी थी और सुचारुरूप से चल रही थी किन्तु ग्रामवासियों के आपसी मतभेद के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी। ग्रामवासियों को समझाने के बाद दो ग्रामों में पानी चल रहा है और शेष में जल व्यवस्था कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

5—खलियांणवागर पेयजल योजना—अनुमानित लागत 1,40,000 रुपये

इस योजना की वर्षा से क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कर दी गयी है और अब ग्रामवासियों को सुचारुरूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

5—गोर्ती-लस्या पेयजल योजना—अनुमानित लागत 1,00,000 रुपये

इस योजना को 1,27,900 रुपये की लागत के कार्यान्वित कराया गया है और वह सुचारुरूप से चल रही है तथा ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

6—जाख नैलचामी पेयजल योजना—अनुमानित लागत 1,30,000 रुपये

इस योजना का कार्यान्वियन 27,000 रुपये की लागत से वर्ष 1971-72 में कराया गया था तथा उससे ग्रामवासियों को सुचारुरूप से जल सुविधा प्रदान की जा रही है।

7—थाती-बड़मा पेयजल योजना—अनुमानित लागत 1,00,000 रुपये

इस नाम की विभाग द्वारा कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गयी है। जो योजना निर्मित की गई वह थाती पेयजल योजना 24,450 रुपये की लागत से वर्ष 1970-71 में निर्मित की गई थी। यह सुचारु रूप से चल रही है व ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1120 पर।)

तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर

कानपुर जनपद की डेरापुर तहसील के डेरापुर विकास खंड के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा एक योजना स्वीकृत कराई गई है जिसके अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्यक्रम चल रहा है।

डेरापुर विकास खंड के लिये स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना, जिसकी कुल लागत 46.07 लाख रुपये है, के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने का प्राविधान है :—

(1)	विद्युतीकरण किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	..	67
(2)	11,000 वोल्ट की लाइन का निर्माण	..	163.9 कि0मी0
(3)	एल0 टी0 लाइनों का निर्माण	..	196.5 कि0मी0
(4)	घरेलू कनेक्शन	..	2,074
(5)	उद्योगिक कनेक्शन	..	113
(6)	निजी नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन	..	563
(7)	सड़कों पर बत्ती लगाने की संख्या	..	580

डेरापुर विकास खंड की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक निम्न-लाइनों का निर्माण हो गया है :—

(1) 11 के0 वी0 रुराखानपुर चेन की 14 कि0 मी0 लम्बी लाइन बनकर चालू हो गई है।

(2) 11 के0 वी0 सिकन्द्रा-विरिया/डेरापुर लाइन—यह लाइन 20 कि0मी0 बनकर तैयार हो गई थी परन्तु इस लाइन के लगभग 13 कि0 मी0 तार की चोरी हो गई थी और कोई कनेक्शन भी नहीं आया है।

(3) अन्य लाइनों में खम्भे खड़े कर दिये गये हैं परन्तु कनेक्शन की मांग न होने के कारण तथा चोरी के डर से तार नहीं लगाया गया है। ऐसी 11 के0 वी0 लाइनों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(1)	रुरा-परोख	..	4.1 कि0मी0
(2)	सिकन्दरा-अस्बी	..	17.0 ,,
(3)	पिन्डारथू-टेंरा	..	4.6 ,,
(4)	सिकन्दरा-बिरिया-डेरापुर	..	1.9 ,,
(5)	सिकदरा-मन्डेमऊ	..	11.3 ,,
(6)	अगवासी-सनिहापुर	..	3.6 ,,

डेरापुर विकास खंड की उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक केवल एक निजी नलकूप/पम्प सेट का ऊर्जन किया गया है जोकि जिगनिस ग्राम के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग की परिभाषानुसार इस ग्राम का विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ होने से पहले ही हो चुका था। अभी तक और किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

डेरापुर विकास खंड की सम्बन्धित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर निर्माण कार्य दिसम्बर, 1973 से प्रारम्भ हुआ था और आशा की जाती है कि अप्रैल, 1977 तक योजना का कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ज"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1122 पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक महासंघ की मांगें तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण

मांग	शासन द्वारा की गयी कार्यवाही
(1) यू0जी0सी0 के वेतन-मान मांगोपांग लागू करना।	(1) स्वीकृत किया जा चुका है।
(2) वेतन वितरण की शासकीय व्यवस्था 1 अप्रैल, 1974 तक क्रियान्वित करना	(2) गैर सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से शासकीय एजेन्सी द्वारा वेतन वितरण का निर्णय शासन ने ले लिया है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।
(3) राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देना।	(3) स्वीकृत किया जा चुका है।
(4) समितियों में शिक्षक प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत तक करना।	(4) समितियों में शिक्षक प्रतिनिधित्व के लिये अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन परिनियमों में प्राविधान किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी "झ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1125 पर।)

जनपद शाहजहांपुर के थाना सिधौली में दिनांक 1 जनवरी, 1912 से 1 मई, 1974 तक हुये हत्या के अपराधों का विवरण

घटना स्थल व दिनांक	कत्ल किये गये लोगों का नाम व पता	कत्ल के अपराध में पकड़े गये लोगों के नाम व पता
1	2	3
अलमापुर 20-1-72	(1) राम भरोसे, पुत्र रूप राम, ग्राम अलमापुर, थान सिधौली।	(1) थम्मन, पुत्र खेम करन, (2) गुपाल पुत्र थम्मन, (3) नेमन, पुत्र थम्मन, (4) बलवन्त, पुत्र थम्मन, (5) सरदार, पुत्र बिहारी, (6) ओमा, पुत्र हुलास, (7) नरायन, पुत्र मुलई, साकिनान अलमापुर।
भटपुरा 4-3-72	(2) मंजूर खां, पुत्र मकबूल खां सा0 भटपुरा, थाना सिधौली।	(1) मजीद खां, पुत्र नवी हुसन खां, (2) शफीक खां, पुत्र नस्सू खां, (3) धुरई, पुत्र शफफू खां, सा0 भटपुरा, थाना सिधौली।
बद्रीपुर हदोरा 26-5-72	(3) राम लाल, पुत्र बंशीधर कुर्मी, सा0 हदोरा, थाना सिधौली।	(1) बाबू राम, पुत्र तोता राम, (2) सतीराम, पुत्र तोता राम (3) ओम प्रकाश, पुत्र बाबूराम, सा0 बद्रीपुर, हदोरा, थाना सिधौली।
खिरिया 11-7-72	4—नाम पता अज्ञात ..	नाम पता अज्ञात।
पचवेड़ा 23-8-74	5—शमशेर, पुत्र जाफर शेख, मौजा पचपेड़ा, थाना सिधौली।	(1) रामेश्वर, पुत्र चेता, (2) बेचे, पुत्र मूबर, (3) गंगा राम, पुत्र गुलाब, सा0 पचपेड़ा, थाना सिधौली, शाहजहांपुर।
नगरिया बुजुर्ग 4-10-72	6—मोहन सिंह, पुत्र हाकिम सिंह ठाकुर, नगरिया बुजुर्ग, थाना सिधौली।	(1) ज्वाला सिंह, पुत्र नन्हें सिंह, (2) नत्थू सिंह, (3) शिशुपाल सिंह, पुत्र ज्वाला सिंह, (4) छोटे सिंह, पुत्र हाकिम सिंह, (5) अजय वर्मा सिंह, पुत्र कुमर सिंह ठाकुर, सा0 नगरिया बुजुर्ग, थाना सिधौली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
मित्तया 7-12-72	7--विश्राम सिंह, पुत्र हजारी सिंह ठाकुर, मित्तया, थाना सिंधौली।	(1) मुक्खा, पुत्र लोचन जाटव, (2) सरकार, पुत्र जुगनू कोरी, ग्राम सिंगोपुर, थाना बिलसंडा, जिला पीलीभीत।
मुड़िया पमार 3-2-73	8--गजराज, पुत्र सिवा कोरी, सा0 मुड़िया पमार, थाना सिंधौली।	(1) बलजीत, (2) राम चरन, (3) गजराज, पुत्रगण बेचे, (4) लक्ष्मी, नरायन, पुत्र बल्देव, (5) राम भरोसे पुत्र दयाराम, सा0 मुड़िया पमार, थाना सिंधौली।
बढ़ेला 1-3-73	9--नन्दराम, पुत्र प्रीतम बढ़ई, सा0 बढ़ेला, थाना सिंधौली शाहजहांपुर।	(1) रामेश्वर, (2) बुधई, पुत्र बिशनू, (3) बिशनू, (4) सुन्दर, पुत्र जंगी बढ़ई, सा0 बढ़ेला, थाना सिंधौली।
रधौली 4-3-73	10--धुरई सिंह, पुत्र नवाब सिंह, रधौली ठा0, थाना सिंधौली।	(1) कृष्ण कुमार, पुत्र पुत्तू लाल कायस्थ, रधौली, थाना सिंधौली।
तिलोकापुर 8-3-73	11--राम विलास, पुत्र कंधई, लाल ब्रा0, पनवड़िया, थाना सिंधौली।	(1) छोटे, पुत्र शम्भू दयाल, (2) अवधेश पुत्र ओम प्रकाश, (3) हर सरन, पुत्र विन्द्रावन, ग्राम पनवड़िया, थाना सिंधौली।
सिंधौली 19-3-73	12--सुन्दर, पुत्र खेम करन तेली, सा0 सिंधौली, शाहजहांपुर।	(1) राम चन्दर, पुत्र दयाराम, वैश्य, (2) पुत्तू, पुत्र छेदा रैदास (3) साजिद, पुत्र रहमतुल्ला, सा0 व थाना सिंधौली।
मलिया 7-4-73	13--जागेश्वर, पुत्र राम लाल कहार, सा0 मल्लियां, थाना सिंधौली।	(1) लल्ला सिंह, पुत्र गंगा सिंह ठाकुर, (2) राम भजन, पुत्र बद्री भुर्जी, (3) बांके लाल, पुत्र भूधर धानुक, (4) बधा पुत्र खन्ना भुर्जी, ग्राम बहेड़ा, (5) सिया राम, पुत्र कुमर भुर्जी, सा0 नया गांव, थाना पसगंवा, जिला खीरी।
दिवाली 6-5-73	14--ईश्वरी, पुत्र ठकुरी लोध, ग्राम दिवाली, थाना सिंधौली।	(1) फूलचन्द, पुत्र खेम करन, (2) दुलारे पुत्र रघुनन्दन, (3) चोखे, पुत्र केदार, (4) सुमेर, पुत्र सोहन, कौम लोधा, सा0 दीवाली, थाना सिंधौली।
मुहासिर 17-7-73	15--माखन पुत्र छोटे लाल, सा0 मुहासिर, थाना सिंधौली।	(1) हेमराज, पुत्र सीता राम, (2) सुन्दर लाल पुत्र कंधई, (3) रूप चन्दर, पुत्र सुब्बा (4) दर्शन, पुत्र सुन्दर, (5) सीताराम पुत्र, रग्घू, ग्राम मुहासिर, थाना सिंधौली।

1	2	3
विलन्दापुर 8/9-6-73	16--राम पाल सिंह, पुत्र पराग सिंह ठाकुर, सा0 विलन्दापुर थाना सिंधौली।	(1) शिवराज सिंह, पुत्र फौजदार सिंह ठाकुर, सा0 मुजफ्फारापुर, थाना सिंधौली, (2) मान सिंह, पुत्र कालिका प्रसाद ठाकुर, (3) सुरेन्द्र सिंह, पुत्र रूप सिंह ठाकुर, (4) राम पाल, पुत्र द्वारिका भुर्जी, सा0 विलन्दापुर (5) जितेन्द्र सिंह, पुत्र गेन्दन सिंह ठाकुर, सा0 नौगवां, थाना सिंधौली।
मिश्रीपुर 26-6-73	17--बचन सिंह, पुत्र सोहन सिंह मिश्र, सा0 मिश्रीपुर, थाना सिंधौली।	(1) चितान सिंह, (2) शेर सिंह, पुत्र राम सिंह, (3) राम सिंह, पुत्र बलदेव सिंह, (4) ब्रजपाल सिंह, पुत्र जवाहर सिंह, (5) पुत्तू सिंह, पुत्र तेज सिंह ठाकुर, (6) जयपाल, पुत्र बल्देव किसान, सा0 भूड़ा फतेपुर, थाना सिंधौली।
जमदुइया 20-9-73	18--रामदीन, पुत्र बाबूराम अहिर, जमदुइया, थाना सिंधौली,	(1) राजाराम, पुत्र राम लाल, (2) सिया राम, पुत्र रामलाल अहिर सा0 जगदुइया थाना सिंधौली।
भटेला 17-11-73	19--मुलायम सिंह, ग्राम भटेला, थाना सिंधौली।	(1) शेर सिंह, पुत्र हुकम सिंह, (2) राजेश्वर, (2) मुनेश्वर सिंह, पुत्र शेर सिंह, (3) राम सिंह, पुत्र वीर सहाय सिंह, (5) मुलायम, सिंह पुत्र बलवन्त सिंह ठाकुर, भटेला, थाना सिंधौली, शाहजहांपुर।
लखराम 28-12-73	20--सरताज खां, पुत्र हबीबुल्ला खां पठान, सा0 लखराय, थाना सिंधौली।	(1) जयराम, पुत्र शंकर, (2) केदार, पुत्र खन्ना, जाटव, सा0 लखराम, थाना सिंधौली,
रेमा 25-4-74	21--मु0 गया कुंवर ब्राह्मण, सा0 रेमा, थाना सिंधौली।	(1) रामेश्वर, पुत्र बेनी राम ब्राह्मण, सा0 रेमा, थाना सिंधौली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ञ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 एवं 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1126 पर ।)

जनपद का नाम	दिनांक 1-9-74 से अब तक कम्पलसरी रिटायर्ड किये गये सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या	सब-इन्स्पेक्टर का नाम	रिटायर्ड किये जाने की तिथि	3/4 भाग के भुगतान की तिथि	भुगतान न किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6
1—बहराइच ..	1	श्री मुहम्मद सलीम खां ..	15-9-74	..	पेंशन प्रकरण न बन सकने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि इन्होंने अभी पेंशन प्रकरण नहीं बनवाये हैं ।
2—प्रतापगढ़ ..	2	(1) श्री अमीर हसन जैदी ..	13-9-74	..	तदैव
		(2) श्री नूरुल हसन कुरेशी ..	17-9-74	..	तदैव
3—गोण्डा ..	3	(1) श्री हरिहर प्रसाद यादव ..	17-9-74	30-9-74	..
		(2) श्री केदार नाथ मिश्र ..	18-9-74	5-10-74	..
		(3) श्री कुंवर नरायन सिंह टण्डन ..	27-9-74	30-9-74	..
योग ..	6				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ट"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1128 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के लिये गाजियाबाद नगर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्रों की सूची

नाम साप्ताहिक पत्र		वितरण संख्या
1--गाजियाबाद समाचार ..	हिन्दी साप्ताहिक	600-700
2--सौम्य सन्देश	,,	5,500
3--युग करवट	,,	7,225
4--लोक सन्देश	,,	1,800
5--प्रलयंकर	,,	3,000 से अधिक
6--कर्ण	,,	1,500
7--मनुराज	,,	अनुपलब्ध
8--दर्शक	,,	,,
9--सांस्कृतिक क्रान्ति ..	,,	,,
10--श्रम भगवान	,,	,,
11--गाजियाबाद सन्देश ..	,,	,,
12--मौन नियन्त्रण	,,	,,
13--चन्द्रदूत	,,	,,
14--गाजियाबाद की आवाज ..	,,	,,
15--मुक्ति युद्ध	,,	,,
16--समाज की आवाज ..	,,	,,
17--यात्री टाइम्स	,,	,,
18--सबकी आवाज	,,	,,
19--गाजियाबाद टाइम्स ..	,,	,,
20--बलि वैदी	,,	,,
21--हिट	अंग्रेजी साप्ताहिक	5,500

पी0एस0यू0पी0--एल0 101 वि0सभा (359)--1975--8451